SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का बिहार में जिला परिवहन कार्यालयों की कार्यपद्धति पर प्रतिवेदन

बिहार सरकार

2025 का प्रतिवेदन संख्या–5

(निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
बिहार में जिला परिवहन कार्यालयों की
कार्यपद्धति पर प्रतिवेदन

बिहार सरकार

2025 का प्रतिवेदन संख्या–5

(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

विषय–सूची

	कंडिका संख्या	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		vii
कार्यकारी सारांश		ix
बिहार में जिला परिवहन कार्यालयों की कार्यपद्धति पर निष्पादन लेखापरीक्षा		
अध्याय I: परिचय		
परिचय	1.1	1
संगठनात्मक संरचना	1.2	2
जिला परिवहन कार्यालयों के प्रमख कार्य	1.3	2
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.4	3
लेखापरीक्षा मानदंड	1.5	4
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, कार्यपद्धति और इस लेखापरीक्षा की सीमाएँ	1.6	4
इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संरचना	1.7	6
अभिस्वीकृति	1.8	6
अध्याय II: शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, चालक अनुज्ञप्ति और मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालय अनुज्ञप्ति जारी करना		
शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी/प्रदान करना	2.1	7
मोटर वाहन चालक अनुज्ञप्ति जारी/प्रदान करना	2.2	9
भारी मोटर वाहनों के लिए चालक अनुज्ञप्ति अनियमित रूप से प्रदान किया जाना	2.3	11
अपर्याप्त चालक कौशल परीक्षण अवसंरचना	2.4	12
अनिवार्य मापदंडों में ढील देकर स्वचालित चालक परीक्षण केन्द्र, पटना में चालक कौशल परीक्षण का संचालन	2.5	14
स्वचालित चालक परीक्षण केन्द्र, पटना में चालक कौशल परीक्षण का आकलन	2.6	15
मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालयों का संचालन	2.7	15
निष्कर्ष और अनुशंसाएँ	2.8	18
अध्याय III: परिवहन वाहनों को पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करना और परमिट प्रदान करना		
वाहनों को पंजीकरण प्रमाण–पत्र निर्गत/प्रदान करना	3.1	19
निर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद भारत स्टेज– IV वाहनों का पंजीकरण	3.1.1	19
कर पर अर्थदण्ड लगने से बचने के लिए अधिकृत डीलरों द्वारा *'वाहन'* सॉफ्टवेयर में गलत क्रय तिथि की प्रविष्टि	3.1.2	21
कर के विलंबित भुगतान के लिए गैर–परिवहन वाहनों पर अर्थदण्ड लगाने के प्रावधान का अभाव	3.1.3	22

	कंडिका संख्या	पृष्ठ संख्या
'वर्तमान पते' में परिवर्तन के मामले में वाहनों का पंजीकरण	3.1.4	24
मोटर वाहन कर की वसूली के बिना नीलाम वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण	3.1.5	24
नए खरीदे गए अपंजीकृत वाहनों द्वारा सर्वक्षमा योजना का लाभ उठाना	3.2	25
वाहनों के वित्तीय बकाया के समायोजन के बिना पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र द्वारा जमा का प्रमाण–पत्र जारी करना	3.3	26
परिवहन वाहनों के लिए परमिट प्रदान करना	3.4	28
वैध दस्तावेजों के बिना स्थायी परमिट धारक परिवहन वाहनों का परिचालन	3.4.1	28
परमिट प्रदान को सुनिश्चित किए बिना नए परिवहन वाहनों का पंजीकरण	3.4.2	29
माल वाहक गाड़ियों के लिए राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण न होना	3.4.3	30
मालवाहक गाड़ियों और अनुबंध गाड़ियों को अनियमित परमिट प्रदान करना	3.4.4	31
आयु समाप्त मालवाहक गाड़ियों को अनियमित रूप से राष्ट्रीय परमिट प्रदान करना	3.4.5	32
निष्कर्ष और अनुशंसाएँ	3.5	33
अध्याय IV: परिवहन वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण–पत्र की स्वीकृति		
स्वचालित परीक्षण स्टेशन द्वारा फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रदान करते समय निगरानी की कमी	4.1	35
ऑनलाइन परीक्षण समय की बुकिंग और निर्धारित मापदंडों को पूरा किए बिना वाहनों को फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करना/नवीनीकरण करना	4.2	36
वैध फिटनेस प्रमाण–पत्र के बिना परिवहन वाहनों का परिचालन	4.3	38
निष्कर्ष और अनुशंसाएँ	4.4	39
अध्याय V: मोटर वाहन करों और शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण		
बैंक खाते में सरकारी राजस्व का भंडारण	5.1	41
एकमुश्त कर का अल्प आरोपण और संग्रहण	5.2	41
डीलर पॉइंट के माध्यम से पंजीकृत वाहनों के लिए डीलरों द्वारा एकमुश्त कर का कम भुगतान	5.2.1	42
जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा वाहन मालिकों से एकमुश्त कर और एकमुश्त कर पर अर्थदण्ड़ की वसूली न करना	5.2.2	42
निर्माण उपकरण वाहनों से मोटर वाहन कर की वसूली न करना	5.2.3	43
वार्षिक मोटर वाहन कर भुगतान करने वाले परिवहन वाहनों से मोटर वाहन कर का उद्ग्रहण न करना	5.3	43

	कंडिका संख्या	पृष्ठ संख्या
वर्गीकरण के गलत आकलन के कारण स्टेज गाड़ियों पर मोटर वाहन कर का अल्प आरोपण	5.3.1	44
परिवहन वाहनों से हरित कर और अर्थदण्ड वसूली न करना	5.3.2	45
वाहनों के अस्थायी पंजीकरण पर व्यापार कर का आरोपण न होना	5.4.1	46
स्टॉक अंतरण पर व्यापार कर न लगाना	5.4.2	46
स्वामित्व हस्तांतरण के आवेदन में देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाना	5.5	47
निष्कर्ष और अनुशंसाएँ	5.6	47
अध्याय VI: मोटर वाहन अधिनियम/बिहार मोटर वाहन अधिनियम और नियमों का प्रवर्तन		
ई–चालान की वसूली में निगरानी की कमी के कारण बकाया में वृद्धि	6.1	49
मोटर वाहन कर का भुगतान किए बिना सड़कों पर चलने वाले वाहनों पर प्रवर्तन शाखा द्वारा जुर्माना न लगाया जाना	6.2	50
ई–चालान पर जुर्माना, साथ ही साथ वाहनों से कर की वसूली न होने के कारण बकाया में वृद्धि	6.3	51
सभी लंबित ई–चालान का निपटान करके सरकारी राजस्व की वसूली न करना	6.4	51
कर और जुर्माना का कम आरोपण और संग्रहण	6.5	52
ई–चालान पर वाहनों की अनुचित विशिष्ट आईडी दर्शाकर जुर्माना लगाना	6.6	53
जाँच चौकी में पाई गई अनियमितताएँ	6.7	53
जाँच चौकी पर राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निगरानी और पर्यवेक्षण की कमी	6.7.1	53
जाँच चौकी पर, दूसरे और उसके बाद के अपराधों के लिए दोषी वाहन मालिकों/चालकों पर अर्थदण्ड न लगाना	6.7.2	55
निष्कर्ष और अनुशंसाएँ	6.8	56
अध्याय VII: लोक सेवाओं का वितरण		
पंजीकरण के प्रमाणन के अनुमोदन की गैर–निगरानी	7.1	57
लोक सेवाओं के वितरण में विलंब	7.2	58
निष्कर्ष और अनुशंसा	7.3	59
परिशिष्ट		61

परिशिष्ट सूची

क्रम सं0	विवरण	संदर्भ कंडिका	पृष्ठ सं0
1	मोटर वाहन कर पर अर्थदण्ड लगने से बचने के लिए अधिकृत डीलरों द्वारा *'वाहन'* सॉफ्टवेयर में गलत क्रय तिथि की प्रविष्टि (परिवहन वाहन पर)	3.1.2	61
2	मोटर वाहन कर पर अर्थदण्ड लगने से बचने के लिए अधिकृत डीलरों द्वारा *'वाहन'* सॉफ्टवेयर में गलत क्रय तिथि की प्रविष्टि (गैर–परिवहन वाहन पर)	3.1.2	62
3	कर के विलंबित भुगतान के लिए गैर–परिवहन वाहनों पर अर्थदण्ड लगाने के प्रावधान का अभाव	3.1.3	63
4	'वर्तमान पते' में परिवर्तन के मामले में वाहन पंजीकरण का विवरण	3.1.4	64
5	मोटर वाहन कर की वसूली के बिना नीलाम वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण	3.1.5	65
6	नए खरीदे गए अपंजीकृत वाहनों द्वारा सर्वक्षमा योजना का लाभ उठाना	3.2	66
7	पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र द्वारा वाहन मालिक के अलावा अन्य व्यक्ति के नाम जमा प्रमाण–पत्र जारी करना	3.3	67
8	वाहनों से मोटर वाहन कर एकत्र किए बिना जमा का प्रमाण–पत्र जारी करना	3.3	68
9	वाहनों के वित्तीय बकाया के समायोजन के बिना पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र द्वारा जमा का प्रमाण–पत्र जारी करना	3.3	69
10	वैध दस्तावेजों के बिना स्थायी परमिट धारक परिवहन वाहनों का परिचालन	3.41	70
11	परमिट प्रदान को सुनिश्चित किए बिना नए परिवहन वाहनों का पंजीकरण	3.4.2	71
12	मालवाहक गाड़ियों के लिए राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण न होना	3.4.3	72
13	मालवाहक गाड़ियों और अनुबंध गाड़ियों को अनियमित परमिट प्रदान करना	3.4.4	72
14	वैध फिटनेस प्रमाण–पत्र के बिना परिवहन वाहनों का परिचालन	4.3	73
15	डीलर पॉइंट के माध्यम से पंजीकृत वाहनों के लिए डीलरों द्वारा एकमुश्त कर का कम भुगतान	5.2.1	74
16	जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा वाहन मालिकों से एकमुश्त कर और एकमुश्त कर पर अर्थदण्ड की वसूली न करना	5.2.2	75
17	निर्माण उपकरण वाहनों से मोटर वाहन कर की वसूली न करना	5.2.3	75

क्रम सं0	विवरण	संदर्भ कंडिका	पृष्ठ सं0
18	वार्षिक मोटर वाहन कर भुगतान करने वाले परिवहन वाहनों से मोटर वाहन कर का उद्ग्रहण न करना	5.3	76
19	वाहनों की श्रेणी का वर्गीकरण	5.3.1	77
20	वर्गीकरण के गलत आकलन के कारण स्टेज कैरेज़ पर मोटर वाहन कर का अल्प आरोपण	5.3.1	78
21	परिवहन वाहनों से हरित कर और अर्थदण्ड की वसूली न करना	5.3.2	79
22	वाहनों के अस्थायी पंजीकरण पर व्यापार कर का आरोपण न करना	5.4.1	80
23	स्वामित्व हस्तांतरण के आवेदन में देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाना	5.5	81
24	ई–चालान की वसूली में नमूना जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा निगरानी की कमी के कारण बकाया में वृद्धि	6.1	82
25	ई–चालान की वसूली में निगरानी की कमी के कारण राज्य में बकाया राशि में वृद्धि (मार्च 2024 तक)	6.1	83
26	लंबित ई–चालान निपटान के बिना वाहनों की रिहाई	6.4	84
27	कर और अर्थदण्ड का कम आरोपण एवं संग्रहण	6.5	84
28	जाँच चौकी पर, दूसरे और उसके बाद के अपराधों के लिए दोषी वाहन मालिकों/चालकों पर अर्थदण्ड न लगाना	6.7.2	85

प्रस्तावना

31 मार्च 2024 को समाप्त हुई अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन अप्रैल 2019 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान ''बिहार में जिला परिवहन कार्यालयों की कार्यपद्धति'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं, जो जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024 की अवधि के दौरान निष्पादन लेखापरीक्षा के क्रम में संज्ञान में आये, साथ ही साथ वे मामले जो पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आये किन्तु पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके; मार्च 2024 के आगे की अवधि के मामले भी, जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

केंद्र और राज्य दोनों के पास मोटर वाहनों से संबंधित अधिनियमों के कार्यान्वयन से संबंधित नियमों, विनियमों के कार्यान्वयन पर अधिकार क्षेत्र है। संसद द्वारा अधिनियमित मोटर वाहन अधिनियम, 1988, मोटर वाहनों के चालकों को अनुज्ञप्ति जारी करने, मोटर वाहनों के पंजीकरण करने, विभिन्न प्रकार के परमिट जारी करने आदि के संबंध में नियम प्रदान करता है। बिहार राज्य ने बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम/नियमावली, 1994 लागू किया, जिसमें मोटर वाहनों पर लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, सड़क सुरक्षा उपकर आदि का विवरण दिया गया है।

परिवहन विभाग (विभाग) राज्य में मोटर वाहन नियमों के प्रवर्तन और कर, जुर्माना, उपकर आदि के संग्रह के लिए जिम्मेदार है। राज्य परिवहन आयुक्त/प्राधिकारी विभाग के प्रमुख हैं। विभिन्न अधिनियमों के तहत परिकल्पित कराधान शक्तियों को राज्य परिवहन आयुक्त के तहत कार्य करने वाले जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा लागू किया जाता है।

''बिहार में जिला परिवहन कार्यालयों की कार्यपद्धति'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा संबंधित राज्य पदाधिकारियों द्वारा (क) अनुज्ञप्ति जारी करने, नवीनीकरण और रद्द करने (ख) पंजीकरण पर विनियमन और नियंत्रण, परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने (ग) आकलन, आरोपण, संग्रह और राजस्व का प्रेषण और (घ) प्रवर्तन गतिविधियाँ, आदि का आकलन करने के लिए किया गया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा ने 2019–20 से 2023–24 की अवधि को आच्छादित किया और शीर्ष स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त/राज्य परिवहन प्राधिकारी के कार्यालय और दो चेक पोस्ट सहित छः नमूना जिला परिवहन कार्यालयों के अभिलेख की नमूना–जाँच के माध्यम से, जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024 के दौरान किया गया था। इसके अलावा, विभाग के पदाधिकारियों के साथ नमूना इकाइयों में संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया था।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

जाँच के प्रत्येक केंद्रित क्षेत्र में प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार प्रस्तुत किए गए हैं:

अध्याय II: शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, चालक अनुज्ञप्ति और मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालय अनुज्ञप्ति जारी करना

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 4 और 18 के साथ पठित केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 11 के अनुसार, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदक ऐसी तारीख, स्थान और समय पर अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी के समक्ष खुद को प्रस्तुत करेगा, जैसा कि अनुज्ञप्ति देने वाला प्राधिकारी एक परीक्षण के लिए निश्चित कर सकता है और ऐसे प्राधिकारी को संतुष्ट करेगा कि आवेदक के पास नियम के तहत निर्धारित मामलों की पर्याप्त जानकारी और समझ है। किसी भी आवेदक को तब तक कोई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए ऐसे परीक्षण में सफल नहीं होता है जो निर्धारित किया गया हो। हालांकि, विभागीय पदाधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया किया कि कुल 789 आवेदकों में से केवल 21 आवेदक (2.66 प्रतिशत) हल्के मोटर वाहन के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति परीक्षण के लिए उपस्थित हुए। इसमें से सात आवेदकों ने इस परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया लेकिन *'सारथी'* डेटाबेस के अनुसार संयुक्त भौतिक सत्यापन की तारीखों पर उस परीक्षण में 766 आवेदक (97.08 प्रतिशत) सफल पाए गए। इसके अलावा, चालक अनुज्ञप्ति के लिए, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह भी पाया गया था कि 903 आवेदकों में से केवल 10 भौतिक रूप से परीक्षण के लिए उपस्थित हुए थे, लेकिन, *'सारथी'* डेटाबेस के अनुसार चालक अनुज्ञप्ति 856 (94.80 प्रतिशत) सफल उम्मीदवारों को दिया गया था। और आगे, संयुक्त भौतिक सत्यापन की तारीखों पर भारी

मोटर वाहन के लिए चालक कौशल परीक्षण करने के लिए 77 स्लॉट दर्ज किए गए थे। हालांकि, वास्तव में दी गई तारीख पर भारी मोटर वाहन के लिए केवल एक चालक कौशल परीक्षण आयोजित किया गया था। इसके बावजूद भारी मोटर वाहन से संबंधित 73 अनुज्ञप्ति दिए गए। इससे पता चलता है कि उम्मीदवारों की भौतिक उपस्थिति के बिना भी अनुज्ञप्ति जारी किए जा रहे थे, उम्मीदवारों की चालन क्षमता की परीक्षण करने की तो बात ही दूर है। स्वचालित चालक परीक्षण केंद्र, पटना में, आवेदकों को अनिवार्य मापदंडों के विरूद्ध अर्हता प्राप्त किए बिना सफल घोषित किया जा रहा था जो यह दर्शाता है कि हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए कौशल परीक्षण निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं किए जा रहे थे। इसके अलावा, मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालय सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे के बिना चल रहे थे।

अध्याय III: परिवहन वाहनों को पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करना और परमिट प्रदान करना

जिला परिवहन कार्यालयों और मोटर वाहन निरीक्षकों ने 18,851 वाहनों के पंजीकरण के समय 861 अधिकृत डीलरों द्वारा प्रस्तुत वाहनों से संबंधित अभिलेखों/सूचनाओं के सत्यापन में उचित ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.35 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई और ₹ 18.11 करोड़ की राशि का जुर्माना नहीं लगाया गया। इसके अलावा, इसने *'वाहन'* सॉफ्टवेयर में इनपुट नियंत्रण की कमी का भी संकेत दिया, क्योंकि उसने वाहन के बीमा की तारीख से बाद में वाहन की खरीद की तारीख स्वीकार कर ली।

एकमुश्त कर के देर से भुगतान के लिए गैर–परिवहन वाहनों पर जुर्माना लगाने के लिए बिहार मोटर वाहन नियमावलीं में दंडात्मक प्रावधान की अनुपलब्धता का मुद्दा जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा उचित स्तर पर नहीं उठाया गया था, जिससे जुर्माना के रूप में अतिरिक्त राजस्व की वसूली नहीं हुई।

सर्वक्षमा योजना जो पुराने कर चूककर्ता वाहनों के लिए था, के तहत नए खरीदे गए अपंजीकृत 539 ब्यवसायिक वाहनों (ट्रैक्टर) के पंजीकरण की अनुमति देने से ₹ 1.62 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। कर टोकन/फिटनेस प्रमाण–पत्र/बीमा और/या 9,522 परिवहन वाहनों के परमिट की वैधता समाप्त हो गई थी, लेकिन प्राधिकृत पदाधिकारियों ने उनके परमिट रद्द करने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया था। स्थायी परमिट जारी किए बिना 42,121 परिवहन वाहन को पंजीकरण का प्रमाण–पत्र दिया गया था, जिससे ₹ 28.09 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

अध्याय IV: परिवहन वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण–पत्र की स्वीकृति

विभागीय अधिकारियों ने स्वचालित परीक्षण केंद्र (एटीएस) के माध्यम से वाहनों की फिटनेस परीक्षण करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की निगरानी/अनुपालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप स्वचालित प्रणाली का उपयोग किए बिना और सभी निर्धारित मापदंडों के अनुसार परीक्षण किए बिना 300 नमूना–जाँच मामलों में फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी किए गए। 47,223 वाहनों में से, 42,672 (90.36 प्रतिशत) ऐसे वाहनों को फिटनेस का प्रमाण–पत्र दिया गया था, जहाँ प्रावधानों/निर्देशों का उल्लंघन करते हुए फिटनेस का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए अप्वाईन्टमेंट आवेदन ऑनलाइन नहीं की गई थीं। यह *'वाहन'* में विभागीय नियमों/अनुदेशों के अनुचित मानचित्रण का भी संकेत देता है। इसके अलावा, 66,345 परीक्षण जाँच किए गए वाहनों में से, 35,921 वाहनों का फिटनेस प्रमाण–पत्र कालातीत हो गया था, जिससे सड़क और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा था और फिटनेस जारी/नवीनीकरण शुल्क के रूप में ₹ 2.27 करोड़ की राजस्व राशि से भी राज्य वंचित हुआ।

अध्याय V: मोटर वाहन करों और शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण

जिला परिवहन कार्यालय, पटना, ने ₹ 45.06 लाख की राजस्व प्राप्तियों में से, सरकारी खाते में ₹ 28.95 लाख प्रेषित नहीं किए। इसके अलावा, 238 वाहनों के मामलों में संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा वार्षिक/त्रैमासिक एकमुश्त कर के संग्रह के परिणामस्वरूप ₹ 75.05 लाख (कर: ₹ 25.01 लाख, देरी के लिए अर्थदण्ड ₹ 50.04 लाख) के राजस्व की कम वसूली हुई।

नमूना–जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा 1,255 निर्माण उपकरण वाहनों के पंजीकरण के समय मोटर वाहन कर की आंशिक वसूली के परिणामस्वरूप ₹ 20.41 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई। इसके अलावा, नमूना–जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों में, 7,649 परिवहन वाहन बकाया मोटर वाहन कर और अर्थदण्ड/जुर्माना राशि ₹ 50.40 करोड़ का भुगतान किए बिना सड़कों पर चल रहे थे। इसके अलावा, नमूना–जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों में संबंधित पंजीकरण अधिकारियों द्वारा स्टेज गाड़ियों (बसों) की श्रेणी के गलत आकलन के परिणामस्वरूप ₹ 1.43 करोड़ का कर कम लगाया गया। इसके अलावा, विभाग ने 228 इंच से अधिक और 142 इंच से कम के व्हीलबेस के साथ स्टेज गाड़ियों पर मोटर वाहन कर के आकलन का प्रावधान नहीं किया।

'वाहन' में नियमों के अनुचित मानचित्रण और अपर्याप्त निगरानी के कारण, नमूना–जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों ने 943 आयु समाप्त परिवहन वाहनों के संबंध में बिना उद्ग्रहणीय हरित कर लिए मोटर वाहन कर की वसूली की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 43.94 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई। इसके अलावा, नमूना–जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों ने वाहनों के अस्थायी पंजीकरण के 66,260 मामलों के संबंध में व्यापार कर की देयता का पता नहीं लगाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.36 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई। इसके अलावा, जिला परिवहन कार्यालय सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण में पाँच डीलरों पर अपने 38 उप–डीलरों को 52,182 दोपहिया वाहनों की बिक्री/हस्तांतरण के लिए व्यापार कर नहीं लगाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 78.27 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई। और भी, वाहनों के स्वामित्व के हस्तांतरण के 13,113 मामलों में, नमूना–जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों ने वाहनों के क्रेताओं द्वारा आवेदन जमा करने में देरी के कारण अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.09 करोड़ की राशि का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया।

अध्याय VI: मोटर वाहन अधिनियम/बिहार मोटर वाहन अधिनियम और नियमों का प्रवर्तन

नमूना जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों में, 858 वाहनों को उसी जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र दिया गया था, जिसने अपराधों के लिए वाहनों पर कई ई–चालान जारी किए थे, यह दर्शाता है कि फिटनेस प्रमाण पत्र देने के समय संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों ने सभी लंबित ई–चालान का निपटान सुनिश्चित नहीं किया था। 2020–21 से 2023–24 की अवधि के दौरान राज्य में जारी ई–चालान के भुगतान में बकाया 4.40 प्रतिशत से बढ़कर 39.21 प्रतिशत हो गया। ई–चालान के संबंध में सरकारी राजस्व का बकाया ₹ 14.30 करोड़ (2020–21) से बढ़कर ₹ 109.82 करोड़ (2023–24) हो गया। ₹ 203.36 करोड़ के कुल 80,901 ई–चालान निपटान के लिए लंबित थे।

चार नमूना–जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों (पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पटना और सीतामढ़ी) में 373 ई–चालान के माध्यम से 171 वाहनों पर ₹ 1.10 करोड़ कर का जुर्माना लगाया गया था, जिसमें से प्रत्येक वाहन में दो या दो से अधिक लंबित ई–चालान थे। 179 ई–चालान के निपटान के दौरान, संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों ने केवल अंतिम जारी ई–चालान का निपटान किया और इससे पहले जारी किए गए ई–चालान का निपटान नहीं किया। यह इस तथ्य के कारण भी था कि, एकाधिक ई–चालान के मामले

में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के परिवहन पोर्टल ने सभी लंबित ई–चालान के भुगतान के बिना, अंतिम जारी ई–चालान के भुगतान की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 57.75 लाख के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

यह देखा गया कि बिहार के बाहर पंजीकृत 139 वाहन वैध परमिट के बिना राज्य में चल रहे थे और इसके लिए संबंधित सहायक प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अर्थदण्ड लगाने और संग्रह करने के लिए जवाबदेह थे। इसके अलावा, वैध अल्फान्यूमेरिक चेसिस नंबर/पंजीकरण प्रमाण–पत्र संख्या के स्थान पर वाहनों की अनुचित चेसिस या पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या दर्ज कर 540 ई–चालान के माध्यम से विभिन्न परिवहन/यातायात पुलिस अधिकारियों द्वारा जुर्माना लगाया गया था, परिणामस्वरूप ₹ 1.11 करोड़ का जुर्माना नहीं वसूला गया था क्योंकि इन वाहनों का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा, विभिन्न अवसरों पर एक ही वाहन द्वारा एक ही अपराध के लिए निर्धारित अधिक जुर्माने के गैर–उद्ग्रहण के कारण, अर्थदंड का कम आरोपण हुआ।

अध्याय VII: लोक सेवाओं का वितरण

वाहनों के पंजीकरण के लिए 1,097 आवेदनों के मामले में, मोटर वाहन निरीक्षक स्तर पर पंजीकरण दस्तावेजों के सत्यापन में 183 से 745 दिनों की देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप नमूना–जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा इन वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए। *'वाहन'* सॉफ्टवेयर भी पंजीकरण दस्तावेजों के सत्यापन में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विलम्ब को चिह्नित करने में असमर्थ था, यह दर्शाता है कि इसे बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम, 2011 में निर्धारित समयसीमा के साथ मैप नहीं किया गया था और संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों की ओर से अपर्याप्त निगरानी की गई थी।

हालांकि, बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित सभी 20 सेवाओं को दिया जा रहा था, 20 सेवाओं में से नौ में, इन सेवाओं को प्रदान करने में 1,973 दिनों तक की देरी हुई।

लेखापरीक्षा अनुशंसाएँ:

जिला परिवहन कार्यालयों के कामकाज को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए, विभाग कर सकता है:

1. *यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली विकसित कर सकता है कि शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति/चालक अनुज्ञप्ति आवेदकों की वास्तविक उपस्थिति (बायोमेट्रिक, चेहरा से पहचान आदि द्वारा सुनिश्चित) और उचित परीक्षण के बाद ही जारी किया जाए;*
2. *सरकारी खजाने के नुकसान को रोकने के लिए डीलर–पॉइंट पर पंजीकरण की निगरानी के लिए एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र की स्थापना सुनिश्चित कर सकता है;*
3. *सुनिश्चित करें कि 'वर्तमान पते' में परिवर्तन के मामले में, वाहन मालिक पिछले पंजीकरण अधिकारियों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को अपलोड करके वाहन पोर्टल के माध्यम से वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन करता है और मानवीय हस्तक्षेपों से बचता है;*
4. *निर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार स्वचालित परीक्षण केन्द में जाँच और परीक्षण सफल हो चुके हों तभी फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रदान करना सुनिश्चित कर सकता है;*
5. *कर भुगतानों को ट्रैक और निगरानी करने, वाहन मालिकों को अनुस्मारक और माँग पत्र जारी करने और कर चोरी को रोकने के लिए चूककर्ताओं के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई के लिए चेतावनी उत्पन्न करने के लिए स्वचालित प्रणालियों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकता है;*

6. व्यापार कर के भुगतान के साथ वाहनों के पंजीकरण को एकीकृत कर सकता है और अपने निर्देशों के पालन के लिए डीलरों से आवधिक अनुपालन रिपोर्ट माँग सकता है;

7. लंबित ई–चालान के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित कर सकता है और वाहन सॉफ्टवेयर में मैप करके अपने निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है;

8. (i) 'वाहन' और ई–चालान सॉफ्टवेयर सिस्टम के एकीकरण पर विचार करे (ii) यह सुनिश्चित करे कि ई–चालान प्रणाली को इस तरह मैप किया गया है कि सबसे हाल के चालान के निपटान की अनुमति पहले से लंबित सभी चालानों के निपटाने के बाद ही दी जायें;

9. यह सुनिश्चित कर सकता है कि चेसिस संख्या/पंजीकरण प्रमाण–पत्र संख्या के आधार पर जारी ई–चालान लंबित जुर्माना/ई–चालान के संग्रह के लिए वाहन की निगरानी के लिए 'वाहन' सॉफ्टवेयर से जुड़े है; और

10 बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अनुसार लोक सेवाओं को समय पर प्रदान करना सुनिश्चित कर सकता है।

अध्याय–I

परिचय

अध्याय I

1.1 परिचय

''यांत्रिक रूप से संचालित वाहन एवं उनपर कर लगाने का सिद्धांत'', भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार समवर्ती सूची (सूची III के अधीन प्रविष्टि संख्या 35) के अंतर्गत है। इसका मतलब यह है कि केन्द्र और राज्य दोनों के पास मोटर वाहनों के लिए नियमों, विनियमों और विनियमों के कार्यान्वयन पर अधिकार क्षेत्र है। संसद द्वारा बनाया गया मोटर वाहन अधिनियम, 1988 मोटर वाहनों के चालकों को अनुज्ञप्ति जारी करने, स्टेज गाड़ियों के कंडक्टरों को अनुज्ञप्ति जारी करने, मोटर वाहनों के पंजीकरण, विभिन्न प्रकार के परमिट जारी करने आदि के संबंध में नियम प्रावधित करता है। भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार, सड़क परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, सड़क परिवहन से संबंधित व्यापक नीतियों के निर्माण के लिए और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 से संबंधित व्यापक नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 68 ने पूरे भारत में राज्य परिवहन प्राधिकार की स्थापना को अनिवार्य कर दिया। बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 नियम 259 प्रावधित करता है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को प्रमण्डल स्तर पर नियुक्त किया गया है और जिला परिवहन पदाधिकारी को जिला स्तर पर नियुक्त किया गया है। राज्य परिवहन आयुक्त/प्राधिकरी परिवहन विभाग के प्रमुख हैं।

समवर्ती सूची में उल्लिखित वाहनों पर कराधान राज्य सूची (प्रविष्टि संख्या 57) में भी शामिल है। बिहार राज्य ने बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम/नियमावली, 1994 बनाया, जिसमें मोटर वाहनों पर लगाए जाने वाले करों, शुल्क, सड़क सुरक्षा उपकर आदि का विवरण दिया गया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत परिकल्पित प्रमुख नियामक कार्य, और विभिन्न राज्य अधिनियमों के तहत परिकल्पित कराधान शक्तियों को राज्य परिवहन आयुक्त (एसटीसी) के अन्तर्गत कार्य करने वाले जिला परिवहन कार्यालयों (डीटीओ) द्वारा लागू किया जाता है।

राज्य में वाहनों पर शुल्क की आरोपण और संग्रहण मोटर वाहन अधिनियम, 1988; एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के प्रावधानों द्वारा शासित है। मोटर वाहनों पर कर बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994; बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 और समय–समय पर जारी परिपत्रों और सरकारी आदेशों के तहत शासित होते हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान वाहनों पर करों से वार्षिक राजस्व प्राप्तियों और राज्य के समग्र कर राजस्व में उनके हिस्से का विवरण **तालिका 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.1: वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान वाहनों पर करों से राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वाहनों पर करों से वार्षिक राजस्व प्राप्तियाँ	राज्य की कर राजस्व प्राप्तियाँ	राज्य की कर प्राप्तियों से वाहनों पर कर से वार्षिक प्राप्तियों का प्रतिशत
2019-20	2,712.75	30,157.98	8.99
2020-21	2,267.75	30,341.67	7.47
2021-22	2,475.09	34,854.54	7.10
2022-23	2,935.47	44,017.73	6.67
2023-24	3,357.75	48,360.69	6.94

(स्रोतः संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए बिहार सरकार के वित्त लेखे)

परिवहन विभाग राज्य में मोटर वाहन नियमों के प्रवर्तन और कर, अर्थदण्ड, उपकर आदि के संग्रह के लिए जिम्मेदार है। राज्य परिवहन प्राधिकारी की शक्ति राज्य परिवहन आयुक्त में निहित है। राज्य परिवहन प्राधिकारी वाहनों के अंतरराज्यीय संचालन के लिए परमिट प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य परिवहन प्राधिकारी, अपने कार्यों के निर्वहन के लिए किसी भी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को निर्देश जारी कर सकता है।

1.2 संगठनात्मक संरचना

परिवहन विभाग, बिहार सरकार, की संगठनात्मक संरचना **चार्ट 1.1** में दी गई है।

चार्ट 1.1: परिवहन विभाग, बिहार सरकार, की संगठनात्मक संरचना

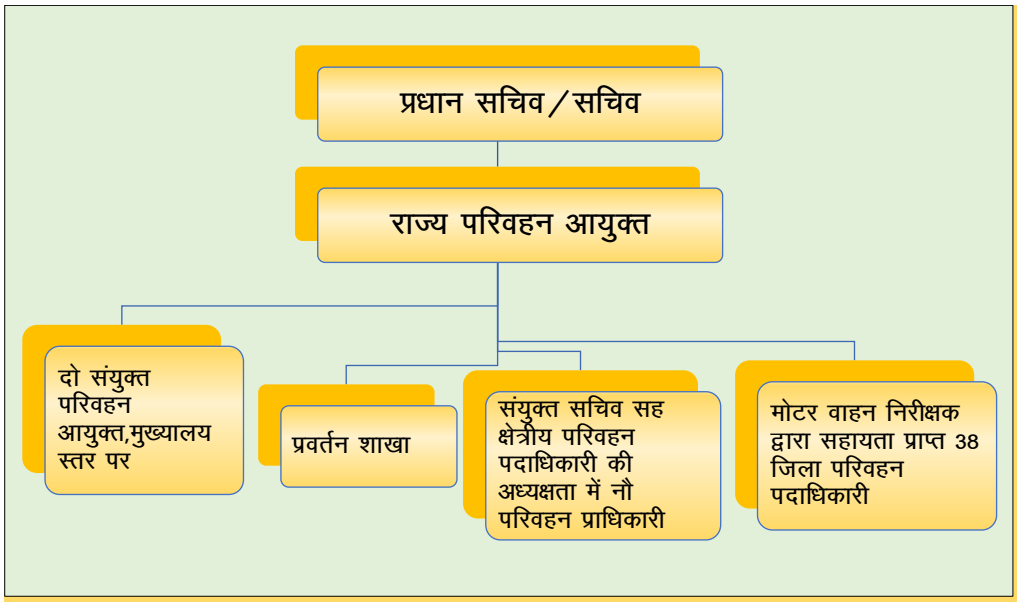

(स्रोत: https://state.bihar.gov.in/transport)

विभाग का नेतृत्व सरकार के स्तर पर प्रधान सचिव/सचिव द्वारा और विभाग के शीर्ष स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाता है। राज्य परिवहन आयुक्त राज्य में मोटर वाहनों के उपयोग के विनियमन और मोटर वाहन कानून के प्रवर्तन के लिए समग्र रूप से जिम्मेदार है।

राज्य, नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों[1] और 38 जिला परिवहन कार्यालयों एवं छः जाँच चौकियों[2] में विभाजित किया गया है। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में जिला परिवहन पदाधिकारियों की सहायता पदस्थापित मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा की जाती हैं। जिला स्तर पर 97 मोटर वाहन निरीक्षक पदस्थापित हैं और राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय से संबद्ध 242 प्रवर्तन उप–निरीक्षक जिला स्तर पर पदस्थापित हैं।

1.3 जिला परिवहन कार्यालयों के प्रमुख कार्य

मोटर वाहन अधिनियम, 1988, और बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994, और उसके तहत बनाए गए नियमावली राज्य में राज्य परिवहन प्राधिकारी और जिला परिवहन कार्यालयों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं।

---

1 *(i) भागलपुर, (ii) दरभंगा, (iii) कोशी, (iv) मगध, (v) मुंगेर, (vi) पटना, (vii) पूर्णिया, (viii) सारण और (ix) तिरहुत।*

2 *(i) मोहनिया (कैमूर), (ii) बलथरी (गोपालगंज), (iii) दालकोला (पूर्णिया), (iv) रजौली (नवादा), (v) डोभी (गया) और (vi) करमनाशा (बक्सर)।*

मोटर वाहनों, चालक अनुज्ञप्ति और सभी प्रकार के परमिट (स्टेज गाड़ियों के परमिट को छोड़कर) जारी करने से संबंधित करों और शुल्क के आरोपण और संग्रहण का काम जिला परिवहन कार्यालय करते हैं। जिला परिवहन कार्यालयों के अधीन काम करने वाली जाँच चौकियाँ अंतरराज्यीय वाहनों की आवाजाही की निगरानी, अस्थायी परमिट शुल्क के आरोपण और संग्रह और चूककर्त्ता वाहन मालिकों/चालकों पर जुर्माना/अर्थदंड लगाने के लिए जिम्मेदार हैं।

जिला परिवहन कार्यालयों की प्रमुख जिम्मेदारियाँ **चार्ट 1.2** में दी गई हैं।

चार्ट 1.2: जिला परिवहन कार्यालयों की प्रमुख जिम्मेदारियॉं

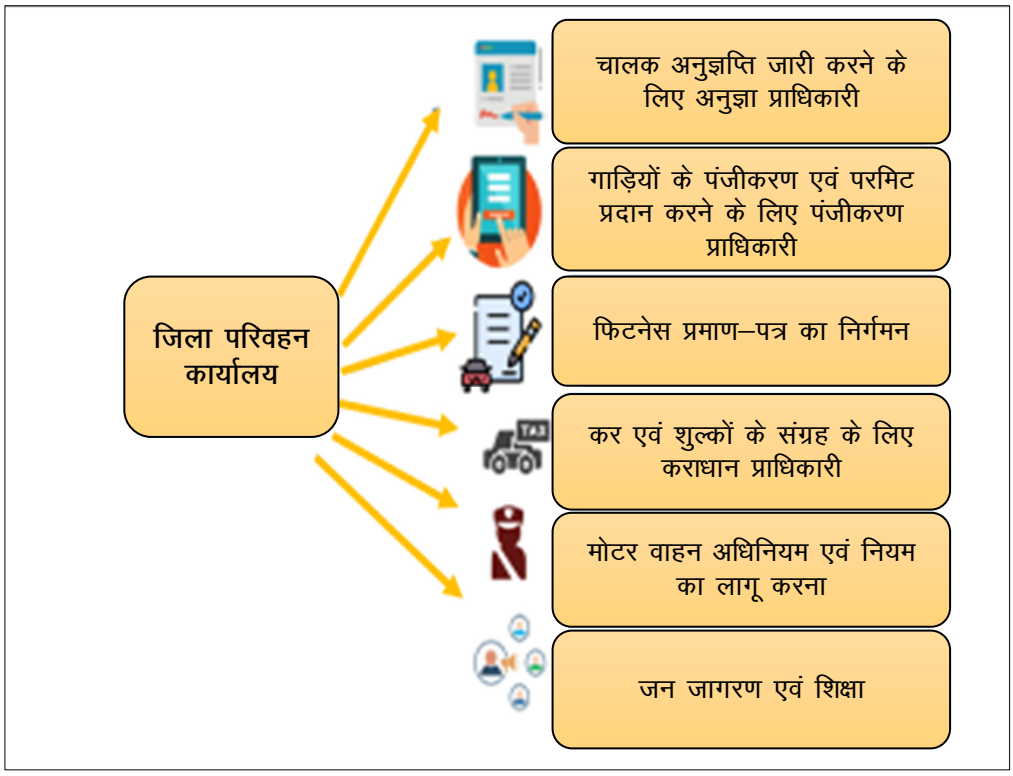

1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

बिहार में जिला परिवहन कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर यह निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई थी:

- जिला परिवहन कार्यालयों ने लागू अधिनियमों/नियमों के अनुसार अनुज्ञप्ति जारी करने, नवीनीकरण और रद्द करने का प्रभावी प्रबंधन किया।

- पंजीकरण पर विनियमन और नियंत्रण एवं पंजीकरण के माध्यम से वाहनों का उपयोग, परमिट और फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करना।

- जिला परिवहन कार्यालयों ने कुशलतापूर्वक मूल्यांकन, आरोपण, संग्रहण और प्रेषित राजस्व (मोटर वाहन कर, जुर्माना, अर्थदण्ड, सड़क सुरक्षा उपकर, आदि अधिनियमों/नियमों के अनुसार) और बकाया पर प्रभावी कार्यवाई की।

- उल्लंघन को रोकने के लिए पर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई के साथ, मोटर वाहन अधिनियम/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा प्रवर्तन गतिविधियाँ प्रभावी ढंग से की गईं।

• जिला परिवहन कार्यालयों को उनके कर्त्तव्य का निर्वहन करने के साथ ही पारदर्शी और कुशल तरीके से सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए जरूरी मानवबल, उपकरण और अन्य संसाधन प्रदान किए गए हैं।

1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

यह लेखापरीक्षा निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदंडों के आधार पर की गई थी:

i. मोटर वाहन अधिनियम, 1988;

ii. केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989;

iii. बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992;

iv. बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994;

v. बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994;

vi. बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016;

vii. बिहार पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग नीति पर आधारित पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र नियमावली;

viii. स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियमावली, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार;

ix. परिवहन विभाग के साथ–साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाएँ, निर्देश/परिपत्र;

x. बिहार वित्तीय नियमावली, 2005;

xi. बिहार सरकार के कार्यपालक कार्य के नियम;

xii. बिहार बजट मैनुअल, 2016;

xiii. बिहार और उड़ीसा लोक मांग और वसूली अधिनियम, 1914; और

xiv. बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम, 2011।

1.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, कार्यपद्धति और इस लेखापरीक्षा की सीमाएँ

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

यह निष्पादन लेखापरीक्षा वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2023–24 की अवधि को आच्छादित करते हुए जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024 की अवधि के दौरान की गई थी।

लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों के चयन के लिए, स्तरीकृत नमूनाकरण का उपयोग किया गया था जहाँ 2019–20 और 2023–24 के दौरान सभी 38 जिला परिवहन कार्यालय में परिवहन/गैर–परिवहन पंजीकृत वाहनों की संख्या, सृजन राजस्व और *वाहन*[3] सॉफ्टवेयर

[3] *वाहन' सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वाहन पंजीकरण प्रक्रिया और फिटनेस करों, परमिट और प्रवर्तन जैसी अन्य संबंधित गतिविधियों को स्वचालित और प्रबंधित करने के लिए विकसित एक सॉफ्टवेयर है।*

के माध्यम से किए गए लेनदेन की संख्या एवं *सारथी*[4] सॉफ्टवेयर पर अपलोड किए गए आवेदनों की संख्या जैसे डेटा पर विचार किया गया था। तब जिलों को स्कोरिंग प्रणाली के आधार पर उच्च, मध्यम और कम जोखिम वाली स्तरों में वर्गीकृत किया गया था और विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए प्रत्येक श्रेणी से नमूने चुने गए थे। 38 में से दो जांच चौकी[5] सहित छः (16 प्रतिशत) जिला परिवहन कार्यालयों[6] को स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना के आधार पर लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था, जिसमें अधिकतम तीन जिलों को उच्च जोखिम श्रेणी से चुना गया था, दो मध्यम जोखिम स्तर से और एक कम जोखिम श्रेणी से। इसके अलावा, शीर्ष इकाई होने के कारण राज्य परिवहन आयुक्त/राज्य परिवहन प्राधिकारी के कार्यालय को भी लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था।

लेखापरीक्षा कार्यपद्धति

लेखापरीक्षा कार्यपद्धति में अभिलेख की जाँच, विभाग से डेटा का संग्रह, डेटा विश्लेषण, लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए क्षेत्रीय इकाइयों (जिला परिवहन कार्यालय) में अभिलेखों का सत्यापन और जाँच, लेखापरीक्षा ज्ञापन जारी करना, प्रश्नावली, सभी नमूना–जाँच की गई इकाइयों में संयुक्त भौतिक सत्यापन करना, प्रवेश सम्मेलन और बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित करना आदि शामिल थे।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों, इसकी कार्यपद्धति, कार्य़ेक्षेत्र, दायरा, केन्द्र बिन्दु को समझने और विभागीय दृष्टिकोण/चिंताओं को जानने के लिए, 15 जुलाई 2024 को राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके अलावा, विभाग की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, 28 मई 2025 को एक बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया था। विभाग से प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा की सीमाएँ

इस निष्पादन लेखापरीक्षा की सीमाओं में महत्वपूर्ण अभिलेखों/सूचनाओं का गैर/आंशिक प्रस्तुतीकरण शामिल था जिसने विभाग में मानव संसाधन प्रबंधन और राज्य में प्रदूषण नियंत्रण केंद्रों के संचालन से संबंधित मुद्दों के आच्छादन को प्रभावित किया। विभाग की कुल स्वीकृत संख्या से उनके विरूद्ध पदस्थापित उपलब्ध मानवबल से संबंधित अभिलेखों/सूचना के गैर/आंशिक प्रस्तुतीकरण के कारण, यह जाँच नहीं की जा सकी कि क्या जिला परिवहन कार्यालयों को मानव बल की जरूरतों को पूरा करने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक दोनों संवर्गों के तहत पर्याप्त कर्मचारी प्रदान किए गए थे। इसके अलावा, प्रदूषण नियंत्रण केंद्र के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने/नवीनीकरण से संबंधित अभिलेखों/सूचनाओं, विभागीय पदाधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या, जारी प्रदूषण नियंत्रण केंद्र की संख्या के गैर/आंशिक प्रस्तुतीकरण के कारण, लेखापरीक्षा यह जाँच नहीं कर सकी कि क्या ये केन्द्र वाहनों के वायु प्रदूषण के परीक्षण के लिए निर्धारित मानकों का पालन कर रहे थे।

---

4 *'सारथी' मोटर वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुज्ञप्ति जारी करने/प्रदान करने, कंडक्टर अनुज्ञप्ति प्रदान करने और मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालय का अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है।*

5 *बलथरी जाँच चौकी, गोपालगंज और डोभी जाँच चौकी, गया।*

6 *उच्च जोखिमः पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), गया और पटना; मध्यम जोखिमः गोपालगंज और सीतामढ़ी और कम जोखिमः बांका। इसके अलावा बिहार सरकार की सर्वक्षमा योजना के तहत कर लाभ प्राप्त करने से संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों अररिया, बक्सर, दरभंगा, मधेपुरा, सुपौल और पश्चिमी चंपारण के निष्कर्ष भी समावेशित किये गये हैं।*

1.7 इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संरचना

यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नीचे दिए गए सात अध्यायों में संरचित है:

अध्याय I: संगठनात्मक सरंचना, लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदंडों, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, और कार्यपद्धति आदि से संबंधित है।

अध्याय II: बिहार में शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, चालक अनुज्ञप्ति जारी करने के साथ–साथ मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालयों/स्वचालित चालक परीक्षण केन्द्र के संचालन के लिए अनुज्ञप्ति देने में विसंगतियों पर प्रकाश डालता है।

अध्याय III: वाहनों के पंजीकरण में अनियमितताओं और उचित प्राधिकार/दस्तावेजीकरण के बिना वाहनों को परमिट जारी करने पर प्रकाश डालता है।

अध्याय IV: परिवहन वाहनों को अनुचित रूप से फिटनेस प्रमाण–पत्र देने, सत्यापन और परीक्षण प्रक्रियाओं के साथ–साथ अपर्याप्त प्रवर्तन उपायों से संबंधित है।

अध्याय V: मोटर वाहन करों और शुल्क के संग्रह में विसंगतियों को शामिल करता है जिसमें कर चोरी, गलत वर्गीकरण और अभुक्त हरित और व्यापार करों के मामलें शामिल है।

अध्याय VI: मोटर वाहन/बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन खामियों, अपर्याप्त निगरानी, राजस्व संग्रह में गिरावट और जुर्माने का गलत आरोपण पर प्रकाश डालता है।

अध्याय VII: सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के संबंध में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देने में कमियों से संबंधित है।

1.8 अभिस्वीकृति

हम बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी और अभिलेख प्रदान करने में दिए गए सहयोग को स्वीकार करते हैं।

अध्याय–II

शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, चालक अनुज्ञप्ति और मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालय अनुज्ञप्ति जारी करना

अध्याय II

2 शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, चालक अनुज्ञप्ति और मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालय अनुज्ञप्ति जारी करना

2.1 शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी/प्रदान करना

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 4 और 18 के साथ पठित केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 11 में निहित प्रावधानों के अधीन, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदक ऐसी तिथि, स्थान और समय पर अनुज्ञप्ति प्रदाता प्राधिकार के समक्ष स्वयं को परीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा, जैसा कि अनुज्ञप्ति प्राधिकार प्रदाता परीक्षण के लिए निश्चित करेगा और ऐसे प्राधिकार को संतुष्ट करेगा कि आवेदक के पास नियम के तहत निर्धारित मामलों का पर्याप्त ज्ञान और समझ है। किसी भी आवेदक को तब तक कोई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अनुज्ञप्ति प्रदाता प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए निर्धारित ऐसे परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा नहीं करता है।

बिहार में वित्त वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान जारी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का विवरण **तालिका 2.1** में दिया गया है

तालिका 2.1: बिहार में 2019–20 से 2023–24 के दौरान जारी किए गए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का विवरण

वित्तीय वर्ष	शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या	शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति निर्गत	निर्गत शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का प्रतिशत	नमूना जाँच किये गये जिला परिवहन कार्यालयों में प्राप्त आवेदन	नमूना जाँच किये गये जिला परिवहन कार्यालयों में जारी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति	जारी किये गये शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का प्रतिशत
2019-20	8,41,195	8,41,191	99.99	2,32,018	2,32,017	99.99
2020-21	4,67,885	4,67,864	99.99	1,24,178	1,24,176	99.99
2021-22	5,05,279	5,04,952	99.93	1,37,096	1,37,028	99.95
2022-23	5,20,890	5,20,624	99.94	1,23,634	1,23,561	99.94
2023-24	5,83,951	5,83,938	99.99	1,41,714	1,41,713	99.99
कुल	**29,19,200**	**29,18,569**		**7,58,640**	**7,58,495**	

(स्रोतः परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी/डेटा)

तालिका 2.1 2019–20 से 2023–24 के दौरान शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी/प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या एव राज्य में जारी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति की संख्या और सभी नमूना–जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालय को दर्शाती है। सभी जिला परिवहन कार्यालयों में शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाले लगभग सभी आवेदक अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी द्वारा किए गए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति परीक्षणों में सफल पाए गए। सफल आवेदनों का प्रतिशत 99.93 प्रतिशत से 99.99 प्रतिशत के बीच था।

लेखापरीक्षा ने शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति परीक्षणों के संबंध में छः जिला परिवहन कार्यालयों[1] में संयुक्त भौतिक सत्यापन किए (जुलाई 2024 से सितंबर 2024)। इन संयुक्त भौतिक सत्यापनों के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि यह प्रमाणित करने के लिए कोई अभिलेख नहीं थे कि क्या आवेदक शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति परीक्षण के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित थे। छः नमूना जिला परिवहन कार्यालयों में आयोजित संयुक्त भौतिक सत्यापनों के परिणाम **तालिका 2.2** में वर्णित हैं।

---

1 *बांका, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, पटना और सीतामढ़ी।*

तालिका 2.2: नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में संयुक्त भौतिक सत्यापन के तिथि को जारी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का विवरणी

जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तारीख को शिक्षार्थी परीक्षण के लिए आवेदकों की संख्या/ बुक किये गये स्लॉट	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि को शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति परीक्षणों में सफल आवेदकों की संख्या	संयुक्त भौतिक सत्यापन के समय शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति परीक्षणों में वास्तव में उपस्थित आवेदकों की संख्या	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि को शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति परीक्षण में सफल आवेदकों की संख्या
बांका	08 अगस्त 2024	01	01	01	01
पूर्वी चम्पारण	29 जुलाई 2024	177	173	03	0
गया	31 जुलाई 2024	48	45	03	0
गोपालगंज	17 अगस्त 2024	193	189	03	01
पटना	07 जुलाई 2024	148	142	04	02
	09 सितम्बर 2024	160	157	03	02
सीतामढ़ी	02 सितम्बर 2024	62	59	04	01
कुल		**789**	**766**	**21**	7

(स्रोतः संबंधित जिला परिवहन कार्यालय का 'सारथी' डेटा)

तालिका 2.2 दर्शाता है कि '*सारथी* ' डेटाबेस के अनुसार, छः नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में कुल 789 आवेदकों ने स्लॉट बुक किए और 07 जुलाई से 09 सितंबर 2024 की अवधि के दौरान आयोजित संयुक्त भौतिक सत्यापन की तारीखों पर शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति परीक्षणों में शामिल हुए। इसमें से 766 आवेदकों (97.08 प्रतिशत) को '*सारथी* डेटाबेस के अनुसार संयुक्त भौतिक सत्यापन की तारीखों पर परीक्षण में सफल पाया गया। हालाँकि, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि, इन 789 आवेदकों में से केवल 21 शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति परीक्षण के लिए उपस्थित थे। इन 21 आवेदकों में से केवल सात (33 प्रतिशत) ने अपना परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि परीक्षा में उपस्थित और सफलतापूर्वक उत्तीर्ण दर्शाये गए उम्मीदवारों की संख्या उन उम्मीदवारों की तुलना में बहुत अधिक थी, जो वास्तव में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति परीक्षण के लिए उपस्थित हुए थे। यह उम्मीदवार की शारीरिक उपस्थिति के बिना और उम्मीदवार के चालक परीक्षण कौशल और क्षमता का परीक्षण किए बिना शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी करने का संकेत देता है।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक आवेदक को एक पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित ड्राइविंग पर एक शैक्षणिक पूरा करना था। यह भी कहा गया था कि शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति केवल उन आवेदकों को जारी किया गया था जो परीक्षण के लिए उपस्थित थे और परीक्षण में सफल रहे। हालाँकि, लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में आवेदकों की उपस्थिति रजिस्टर का रख रखाव किया जाएगा।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ट्यूटोरियल आवेदकों के लिए वैकल्पिक है। इसके अलावा, संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथियों पर, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति परीक्षणों के लिए केवल 21 आवेदक उपस्थित हुए, हालाँकि इन तिथियों पर 766 शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति प्रदान किए गए थे।

2.2 मोटर वाहन चालक अनुज्ञप्ति जारी/प्रदान करना

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 15 में प्रावधान है कि चालक क्षमता का परीक्षण अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकार या ऐसे किसी अन्य प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। अपने नाम पर चालक अनुज्ञप्ति जारी करने से पहले आवेदक को परीक्षण करने वाले व्यक्ति को संतुष्ट करने की आवश्यकता होगी कि वह निर्धारित नियमों के अनुसार मोटर वाहन चलाने में सक्षम है।

राज्य में वित्त वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान जारी मोटर वाहन चालक अनुज्ञप्तियों का विवरणी **तालिका 2.3** में दिया गया है।

तालिका 2.3: वित्त वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान राज्य में जारी चालक अनुज्ञप्तियों की विवरणी

वित्तीय वर्ष	चालक अनुज्ञप्तियों के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या	जारी किये गये नये चालक अनुज्ञप्तियों की संख्या	जारी किये गये नये चालक अनुज्ञप्तियों का प्रतिशत	नमूना जाँच किये गये जिला परिवहन कार्यालयों में प्राप्त आवेदन	नमूना जाँच किये गये जिला परिवहन कार्यालयों में जारी नये चालक अनुज्ञप्ति की सख्या	जारी किये गये नये चालक अनुज्ञप्ति का प्रतिशत
2019-20	8,78,206	8,78,177	99.99	2,83,302	2,83,293	99.99
2020-21	8,16,899	8,16,889	99.99	2,37,202	2,37,201	99.99
2021-22	7,55,792	7,54,826	99.87	1,86,688	1,85,726	99.48
2022-23	7,17,686	7,17,686	100.00	1,79,780	1,79,780	100.00
2023-24	6,09,681	6,09,679	99.99	1,52,999	1,52,999	100.00
कुल	**37,78,264**	**37,77,257**		**10,39,971**	**10,38,999**	

(स्रोतः परिवहन विभाग, विहार सरकार)

तालिका 2.3 2019–20 से 2023–24 के दौरान नए चालक अनुज्ञप्तियों के जारी/प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या एवं राज्य में जारी नए चालक अनुज्ञप्तियों की संख्या और नमूना–जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालय को इंगित करती है। चालक अनुज्ञप्ति को प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले लगभग सभी आवेदक संबंधित मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा आयोजित चालक कौशल परीक्षणों में सफल पाए गए। इसके आधार पर, संबंधित अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकार द्वारा चालक अनुज्ञप्ति प्रदान किए गए थे। सफल आवेदकों का प्रतिशत 99.87 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच था।

पाँच[2] नमूना–जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों में चालक अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए चालक अनुज्ञप्ति कौशल परीक्षणों के संबंध में लेखापरीक्षा ने (जुलाई 2024 से अगस्त 2024), संयुक्त भौतिक सत्यापन की और पाया कि संयुक्त भौतिक सत्यापन की तारीखों पर चालक कौशल परीक्षणों में उपस्थित आवेदकों की संख्या, '*सारथी*' डेटाबेस के अनुसार दर्ज किए गए स्लॉट की संख्या और जारी किये गये चालक अनुज्ञप्ति की संख्या से कम थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि, आवेदकों की भौतिक उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए कोई अभिलेख संधारित नहीं किये जा रहे थे। नमूना जिला परिवहन कार्यालय में संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम **तालिका 2.4** में वर्णित हैं।

---

2 *जिला परिवहन कार्यालय पटना को छोड़कर, जिसमें एक स्वचालित चालक परीक्षण केंद्र के माध्यम से चालक परीक्षण किए जा रहे थे। जिला परिवहन कार्यालय, पटना पर चालक अनुज्ञप्ति जारी करने के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन को **कंडिका 2.5** में उजागर किया गया है।*

तालिका 2.4: जारी किए गए चालक अनुज्ञप्ति और नमूना–जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों का संयुक्त भौतिक सत्यापन का विवरणी

जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि	चालक अनुज्ञप्ति के लिए आवेदकों द्वारा दर्ज स्लॉट की संख्या	चालक अनुज्ञप्ति परीक्षण में सफल आवेदकों की संख्या	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान चालक अनुज्ञप्ति परीक्षण में उपस्थित आवेदकों की संख्या	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि को चालक अनुज्ञप्ति परीक्षण में उपस्थित आवेदकों की संख्या में सफल आवेदकों की संख्या
बांका	06 अगस्त 2024	29	22	03	03
पूर्वी चम्पारण	23 जुलाई 2024	289	274	03	02
गया	24 जुलाई 2024	122	120	01	01
गोपालगंज	20 अगस्त 2024	155	142	02	02
सीतामढ़ी	30 अगस्त 2024	308	298	01	01
कुल		**903**	**856**	**10**	**09**

(स्रोत : संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों के 'सारथी' डेटाबेस)

लेखापरीक्षा ने पाया कि संयुक्त भौतिक सत्यापन की तारीखों को, परीक्षणों में उपस्थित होने और सफल होने के रूप में दर्शाये उम्मीदवारों की संख्या संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान वास्तव में देखी गई, की तुलना में बहुत अधिक थी। इन जिला परिवहन कार्यालयों में संयुक्त भौतिक सत्यापन की दी गई तिथियों पर, चालक अनुज्ञप्ति परीक्षणों के लिए आवेदकों द्वारा कुल 903 स्लॉट दर्ज किए गए थे। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि इनमें से केवल 10 उम्मीदवार भौतिक रूप से परीक्षणों के लिए उपस्थित हुए थे, लेकिन चालक अनुज्ञप्ति (*'सारथी'* डेटाबेस के अनुसार), 856 सफल उम्मीदवारों को प्रदान किया गया था। यह दर्शाता है कि उम्मीदवारों के भौतिक उपस्थिति के बिना ही चालक अनुज्ञप्ति प्रदान किए गए थे, उम्मीदवार की चालक क्षमता का परीक्षण करने की तो बात ही दूर है।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने जिला परिवहन कार्यालय, पटना **(कंडिका 2.5)** के तहत कार्यरत स्वचालित चालक परीक्षण केन्द्र[3] पटना में उपलब्ध आंकड़ों की जाँच की और पाया कि इस स्वचालित परीक्षण केन्द्र में किए गए परीक्षणों के मामले में (जो परीक्षण की पूरी अवधि के दौरान आवेदकों के चेहरे का रेकॉडिग उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करता है), चालक अनुज्ञप्ति कौशल परीक्षण की सफलता दर[4] केवल 69.43 से 89.42 प्रतिशत के बीच थी, लेकिन पाँच नमूना–जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों के मामले में, जहाँ परीक्षण मैनुअल रूप से किए गए थे, चालक अनुज्ञप्ति कौशल परीक्षण की सफलता दर लगभग 100 प्रतिशत थी (अप्रैल 2019 से मार्च 2024)। यह इंगित करता है कि अन्य जिला परिवहन कार्यालयों में मैनुअल प्रक्रियाओं की तुलना में स्वचालित चालक प्रशिक्षण केन्द्र में भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित होने के कारण सफलता दर बहुत कम/यथार्थ थी।

---

3 दोपहिया और हल्के मोटर वाहन के लिए चालक कौशल परीक्षण करने के लिए एक केन्द्र।

4

अवधि	*चालक अनुज्ञप्ति परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए उम्मीदवारों की संख्या*	*चालक अनुज्ञप्ति परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की संख्या*	*प्रतिशत में सफलता दर*
जुलाई 2021 से मार्च 2022	*8,212*	*5,702*	*69.43*
जुलाई 2022 से मार्च 2023	*32,467*	*29,032*	*89.42*
जुलाई 2023 से मार्च 2024	*51,005*	*44,859*	*87.95*
कुल	***91,684***	***79,593***	***86.81***

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि: (i) चालक अनुज्ञप्ति परीक्षणों में उपस्थित आवेदकों के लिए उपस्थिति पंजी रखा गया था (ii) भौतिक रूप से उपस्थित होने वाले आवेदकों के लिए परीक्षण किए गए थे और (iii) चालक अनुज्ञप्ति परीक्षणों के लिए आवेदकों की भौतिक उपस्थिति पूरी तरह से उनकी अनुपस्थिति, उपस्थिति या किसी विशेष तिथि पर सफलता के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती थी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवेदकों की भौतिक उपस्थिति से संबंधित अभिलेख किसी भी नमूना–जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, संयुक्त भौतिक सत्यापन की तारीख पर, आवेदकों द्वारा दर्ज किए गए 903 स्लॉट में से केवल 10 ही उनके परीक्षणों में उपस्थित हुए। जिनमें से नौ आवेदकों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की, हालाँकि इन तारीखों पर 856 आवेदकों को चालक अनुज्ञप्ति प्रदान किए गए थे। यह इंगित करता है कि 847 चालक अनुज्ञप्ति आवेदकों की भौतिक उपस्थिति के बिना और उनके चालक कौशल के किसी भी परीक्षण के बिना दिए गए थे।

2.3 भारी मोटर वाहनों के लिए चालक अनुज्ञप्ति अनियमित रूप से प्रदान किया जाना

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 15(3)(एफ) और (3)(के) ने भारी मोटर वाहनों सहित सभी वर्ग के वाहनों के लिए चालक कौशल परीक्षण प्रावधित किया। इन नियमों में यह भी कहा गया है कि आवेदक को परीक्षण करने वाले व्यक्ति को संतुष्ट करने की आवश्यकता होगी कि वह निर्धारित नियमों के अनुसार वाहन चलाने में सक्षम है।

लेखापरीक्षा ने पाँच जिला परिवहन कार्यालयों[5] के '*सारथी*' डेटाबेस की जाँच की और पाया कि संयुक्त भौतिक सत्यापन की तारीखों पर भारी मोटर वाहनों के लिए चालक कौशल परीक्षण करने के लिए 77 स्लॉट दर्ज किए गए थे। हालाँकि, उपलब्ध अभिलेखों से यह पाया गया कि संयुक्त भौतिक सत्यापन की इन तारीखों पर भारी मोटर वाहनों के लिए वास्तव में केवल एक चालक कौशल परीक्षण किया गया था, लेकिन **तालिका 2.5** में वर्णित 73 अनज्ञप्ति प्रदान किये गए थे। इससे पता चलता है कि भारी मोटर वाहनों के लिए चालक अनुज्ञप्ति उम्मीदवारों की भौतिक उपस्थिति के बिना ही जारी किए गए थे, उम्मीदवारों की चालक क्षमता का परीक्षण करने की तो बात ही दूर है।

तालिका 2.5: चालक कौशल परीक्षण और जारी अनुज्ञप्ति के लिए दर्ज किए गए स्लॉट की संख्या

जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि	भारी मोटर वाहन चालक कौशल परीक्षण के लिए दर्ज स्लॉट की संख्या	भारी मोटर वाहन के लिए दिये गये अनुज्ञप्ति की संख्या	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान किये गये कौशल परीक्षण की संख्या
पूर्वी चम्पारण	23 जुलाई 2024	14	14	0
गया	24 जुलाइ 2024	9	9	0
गोपालगंज	20 अगस्त 2024	37	34	0
सीतामढ़ी	30 अगस्त 2024	07	06	0
पटना	12 सितम्बर 2024	10	10	1
कुल		**77**	**73**	**1**

(स्रोत: संबंधित जिला परिवहन कार्यालय का सारथी डेटा)

लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब में, विभाग ने कोई उपयुक्त उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और कहा (अप्रैल 2025) कि भारी मोटर वाहनों के लिए चालक अनुज्ञप्ति उन आवेदकों को

[5] *पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, सीतामढ़ी और पटना ।*

जारी किए गए थे, जो पहले हल्के मोटर वाहन के लिए चालक अनुज्ञप्ति धारक थे और भारी मोटर वाहन के लिए आवश्यक एक महीने का चालक प्रशिक्षण पूरा किये थे। कौशल परीक्षण किए बिना भारी मोटर वाहनों को चलाने के लिए चालक अनुज्ञप्ति जारी करना न केवल अनुज्ञप्ति देने की प्रक्रिया की प्रमाणिकता को कमजोर करता है, बल्कि सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम भी पैदा करता है।

2.4 अपर्याप्त चालक कौशल परीक्षण अवसंरचना

चार जिला परिवहन कार्यालयों[6] में चालक कौशल परीक्षण के अवसंरचना के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि चालक कौशल परीक्षण लेने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आरामदायक और सुविधाजनक अनुभव प्रदान करने के लिए आवश्यक सुविधाओं/अवसंरचना की कमी थी, जैसा कि **तालिका 2.6** में वर्णित है और **चित्र 1 से 4** में दिखाया गया है।

तालिका 2.6: नमूना जिला परिवहन कार्यालयों में चालक कौशल परीक्षण सुविधाओं/अवसंरचना की कमी

क्र0 सं0	जिला परिवहन कार्यालय का नाम	सुविधाओं/अवसंरचना की कमी
1	बांका	परीक्षण ट्रैक पर वाहनों के प्रवेश के लिए पहुँच सड़क का निर्माण नहीं किया गया था। केवल दोपहिया और हल्के मोटर वाहनों के लिए चालक परीक्षण किए जा रहे थे। भारी मोटर वाहनों के लिए कौशल परीक्षण करने के लिए कोई ट्रैक उपलब्ध नहीं पाया गया।
2	पूर्वी चम्पारण	अनधिकृत सार्वजनिक प्रवेश को रोकने के लिए परीक्षण ट्रैक के लिए कोई सीमा–दीवार नहीं थी। इसके अलावा, आवेदक के कौशल का परीक्षण करने के लिए लेन/ट्रैक के निशान अनुपस्थित थे।
3	सीतामढ़ी	परीक्षण ट्रैक क्षेत्र को ठीक से रख–रखाव नहीं किया गया क्योंकि मैदान में घास उगी हुई थी और जलभराव भी था। हालाँकि, सीसीटीवी स्थापित किए गए थे और विश्राम कक्षों, चालक जाँच मैदान में पीने के पानी के लिए अवसंरचना था, लेकिन ये कार्यात्मक नहीं थे
4	पटना	भारी मोटर वाहनों के कौशल परीक्षण करने के लिए कोई समर्पित ट्रैक/लेन नही था। मोटर वाहन निरीक्षक जिला परिवहन कार्यालय भवन के सामने कौशल परीक्षण कर रहा था जहाँ सड़क के दोनों ओर वाहनों को खड़ा किया गया था।

[6] *बांका, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और पटना।*

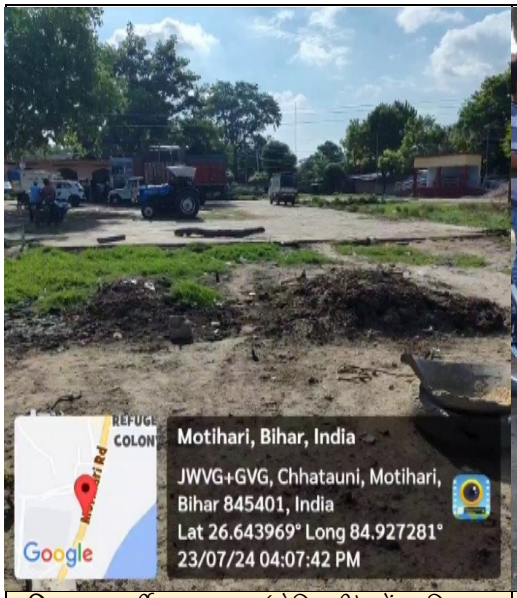

चित्र 1: पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) में क्षतिग्रस्त चालक परीक्षण ट्रैक

चित्र 2: पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) में ट्रैक पर बिना निशान एवं सीमा दीवार के चालक परीक्षण किया जा रहा है

चित्र 3 एवं 4: भारी मोटर वाहन का चालक कौशल परीक्षण जिला परिवहन कार्यालय पटना के सामने किया जा रहा है (12 सितम्बर 2024)

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि (i) जिला परिवहन कार्यालय, (बांका) में पहुँच सड़क के निर्माण का मुद्दा भवन निर्माण विभाग के साथ उठाया गया है, (ii) जिला परिवहन कार्यालय, पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) में परीक्षण ट्रैक का निर्माण किया गया है, और सीमा दीवार का निर्माण प्रक्रियाधीन है (iii) जिला परिवहन कार्यालय, सीतामढ़ी के मामले में, निर्मित चालक ट्रैक निचले क्षेत्र में है जिससे बरसात के मौसम के दौरान घास की वृद्धि होती है। पेयजल और सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था प्रक्रियाधीन थी और (iv) जिला परिवहन कार्यालय पटना में, मोटर वाहन निरीक्षक के द्वारा स्वचालित चालक जाँच केंद्र के सामने सड़क पर भारी मोटर वाहन चालक कौशल परीक्षण किए गए थे।

भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक सड़कों पर चालक परीक्षण करने का विभाग का निर्णय गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा करता है और सड़क सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करता है।

2.5 अनिवार्य मापदंडों में ढील देकर स्वचालित चालक परीक्षण केन्द्र पटना में चालक कौशल परीक्षण का संचालन

आवेदकों को प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति प्रदान करने से पहले केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 15 (3) के तहत निर्धारित सभी अनिवार्य मानदंडों[7] को पूरा करना आवश्यक है। स्वचालित चालक परीक्षण केन्द्र, पटना, जिला परिवहन कार्यालय पटना की देखरेख में दोपहिया और हल्के मोटर वाहन के चालक कौशल परीक्षण करता है।

अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि स्वचालित चालक परीक्षण केन्द्र, पटना द्वारा चालक कौशल परीक्षण के संचालन से संबंधित लागू मानदंडों को अंतिम रूप देने के लिए शीर्ष स्तर (राज्य परिवहन आयुक्त) पर एक समिति का गठन (अप्रैल 2021) किया गया था। केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य मापदंडों को पूरा करने के साथ ही इन मानदंडों को संबंधित परीक्षणों के संचालन के लिए स्वचालित चालक परीक्षण केन्द्र, पटना द्वारा लागू करने के लिए समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था (जुलाई 2021)।

इसके बाद, जिला परिवहन कार्यालय, पटना, ने विभाग से मानदंडों में छूट के लिए अनुरोध किया (अगस्त 2021), जिसमें कहा गया कि सख्त अनिवार्य शर्तों के परिणामस्वरूप स्वचालित चालक परीक्षण केन्द्र, में कौशल परीक्षण के लिए कम संख्या में आवेदक उपस्थित हुए हैं। अनुरोध के अनुसरण में, विभाग ने एक विभागीय समीक्षा समिति का गठन किया (सितंबर 2021) जिसने सिफारिश की (सितंबर 2021) कि स्वचालित चालक परीक्षण केन्द्र, चालक कौशल परीक्षण के विभिन्न खंडों में अनिवार्य रूप से सफल करने के स्थान पर अंकों के आधार पर चालक कौशल परीक्षणों का आकलन करे। इसे जिला परिवहन कार्यालय और स्वचालित चालक परीक्षण केन्द्र, पटना द्वारा सितंबर 2021 में अपनाया गया था और तब इन सिफारिशों के अनुसार चालक कौशल परीक्षण किए गए थे।

इस प्रकार, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 15 (3) में निर्धारित सभी अनिवार्य मापदंडों के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने को शिथिल करने और आवेदकों के चालक कौशल का आकलन केवल उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर करने के कारण अकुशल आवेदकों को अनुज्ञप्ति देने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) किः (i) केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावलीं के नियम 15 (3) के प्रावधानों के अनुसार स्वचालित चालक परीक्षण केन्द्र, पटना में चालक कौशल परीक्षण, निर्धारित सभी मॉड्यूल की उपलब्धता के साथ एक स्वचालित तरीके में आयोजित किया जा रहा था और (ii) सभी सफल आवेदकों के लिए न्यूनतम सफलता अंक की आवश्यकता थी और विभाग ने चालक कौशल परीक्षण करने के लिए किसी भी पैरामीटर में ढील नहीं दी थी।

"विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कि जिन आवेदकों ने विभिन्न चालक खण्ड़ों के तहत मानक –ट्रैक/ अपहिल"" और ""रिवर्स S फॉर्मेशन"" में 'शून्य' अंक प्राप्त किए थे, उन्होंने परीक्षण पास किया था और चालक अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लिया था। यह विसंगति केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 15 (3) के अनुसार स्वचालित चालक परीक्षण केन्द्र, पटना में चालक जाँच प्रक्रिया की विश्वसनीयता के बारे में चिंता पैदा करती है। इसके

---

[7] *यह जाँचने के लिए (i) एक खड़ी ऊपर की ओर झुकाव में वाहन को रोकने/पुनः चालू करने (ii) रिवर्स गियर वाले वाहन के मामले में, वाहनों को पीछे की ओर चलाने और वाहन को अपने नियंत्रण में और उचित सटीकता के साथ एक सीमित जगह में या तो दाएँ या बाँये घुमाने के लिए। (iii) रिवर्स 'S' गठन और "ग्रेडिएंट–ट्रैक/अपहिल" आदि बनाने के लिए सक्षम है, परीक्षण के लिए 24 पैरामीटर है।*

अलावा, स्वचालित चालक परीक्षण केन्द्र, औरंगाबाद द्वारा संचालित चालक कौशल परीक्षण के खंडों जैसे "बाधाओं में क्रिया–कलाप और रिवर्स पार्किंग" को स्वचालित चालक परीक्षण केन्द्र, पटना द्वारा नहीं अपनाया गया था।

2.6 स्वचालित चालक परीक्षण केन्द्र, पटना में चालक कौशल परीक्षण का आकलन

दो–पहिया और हल्के मोटर वाहन के चालक कौशल परीक्षण करने के लिए पटना में एक स्वचालित चालक परीक्षण केन्द्र की स्थापना (जुलाई 2021) में की गई थी। केन्द्र, जिला परिवहन कार्यालय, पटना के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के तहत काम कर रहा है।

स्वचालित चालक परीक्षण केन्द्र, पटना में चालक कौशल जाँच का संयुक्त भौतिक सत्यापन 11 सितंबर 2024 को मोटर वाहन निरीक्षक के साथ आयोजित किया गया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन की तारीख को आवेदकों द्वारा कौशल परीक्षण के लिए 521[8] स्लॉट दर्ज किए गए थे, जिसमें 23 आवेदकों के कौशल परीक्षण के लिए संयुक्त भौतिक सत्यापन आयोजित किया गया था। इन 23 में से, दोपहिया वाहन के लिए छः और हल्के मोटर वाहन के लिए 11 आवेदक संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान आयोजित चालक कौशल जाँच में सफल पाए गए।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने जुलाई 2021 से सितंबर 2024 की अवधि के लिए स्वचालित चालक परीक्षण केन्द्र, पटना से संबंधित 283 हल्के मोटर वाहन और 313 दो–पहिया वाहनों के लिए आयोजित चालक कौशल परीक्षण के परिणामों से संबंधित अभिलेखों का विश्लेषण किया। विश्लेषण में यह पाया गया कि परीक्षण पास करने के लिए 60 (100 में से) के आवश्यक अंक के खिलाफ, हल्के मोटर वाहन परीक्षण में 152 सफल आवेदकों को 70 के बराबर अंक आवंटित किए गए थे। इसके अलावा, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 15 (3) के उल्लंघन में, चालक ट्रैक[9] के अनिवार्य खंडों को विफल करने के बाद भी आवेदकों को सफल घोषित किया गया था। अनिवार्य खंडों की अर्हता प्राप्त किए बिना आवेदकों को सफल होने की घोषणा दर्शाता है कि स्वचालित चालक परीक्षण केन्द्र, पटना में, हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए कौशल परीक्षण निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं किए जा रहे थे।

विभाग ने स्वचालित चालक परीक्षण केन्द्र, पटना में केवल अंकों के आधार पर चालक कौशल परीक्षण करने और चालक परीक्षण के अनिवार्य खंड को अर्हता प्राप्त किए बिना आवेदकों को सफल घोषित करने के कारणों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया।

2.7 मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालयों का संचालन

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 12 के साथ पठित केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 24 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्ति प्रदाता प्राधिकार द्वारा प्राधिकरण द्वारा दिए गए अनुज्ञप्ति के बिना मोटर वाहनों को चलाने में किराए या इनाम के निर्देश देने के लिए किसी भी चालक विद्यालय या प्रतिष्ठान की स्थापना या रखरखाव नहीं करेगा। इन नियमों के प्रावधान के तहत, परिवहन विभाग, बिहार सरकार ने मोटर चालक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की (दिसंबर 2020)। इस योजना का उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित विद्यालय की स्थापना के माध्यम से हरेक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी और यातायात के सुचारू संचालन के साथ–साथ कुशल और प्रशिक्षित चालकों जो रोजगार के अवसरों आदि से लाभान्वित होंगे की उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके ।

---

[8] *229–हल्के मोटर वाहन; 286–गियर के साथ मोटर साईकिल; 03–ट्रांस (भारी मोटर वाहन); 03–ई–रिक्शा।*

[9] *जैसे कि 'रिवर्स 'S' निर्माण और ''ग्रेडिएंट–ट्रैक/अपहिल''।*

इस प्रोत्साहन योजना के तहत मोटर चालक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना और उसमें अनुज्ञप्ति देने के लिए निम्नलिखित बुनियादी ढांचे की आवश्यकता थी:

(क) 40 शिक्षार्थियों के लिए लिखने के पैड–कुर्सी के साथ कक्षा में बैठने की सुविधा (ख) शिक्षार्थियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति पत्रक (ग) वास्तविक प्रशिक्षण की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित स्कूल का परिसर; (घ) 150 मीटर की न्यूनतम लंबाई का चालक ट्रैक (च) जिग–जैग में निर्मित शिक्षार्थी अभ्यास ट्रैक, अपहिल–रिवर्स–डाउनहिल, **8** आकार विपरीत समानांतर पार्किंग, रिवर्स **S**–प्रशिक्षण ट्रैक (छ) प्रशिक्षण कक्षा में प्रोजेक्टर और ऑडियो/वीडियो प्रणाली (ज) प्रत्येक प्रशिक्षण वर्ग के लिए दोहरी नियंत्रण रोक (अर्थात, चालक और प्रशिक्षक दोनों के बगल में क्लच और ब्रेक) वाला दो वाहन और (झ) वाहन के प्रत्येक वर्ग के लिए सिम्युलेटर आदि।

विभाग ने संबंधित जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति देने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया। जिला परिवहन कार्यालय को उक्त नियम के प्रावधानों के अनुसार इन प्रशिक्षण विद्यालय की गतिविधियों की निगरानी करने का अधिकार दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाँच नमूना–जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों[10] में मोटर वाहन निरीक्षण के साथ पाँच मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालयों के संयुक्त भौतिक सत्यापन का संचालन किया और पाया कि मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण विद्यालयों को सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे के बिना संचालित किया जा रहा था, जैसा कि **तालिका 2.7** में वर्णित है।

तालिका 2.7: मोटर वाहन प्रशिक्षण विद्यालय के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पायी गई अनियमितताओं का विवरण

क्र0 सं0	पायी गई अनियमितताएँ	मोटर वाहन प्रशिक्षण विद्यालय का नाम (जिला परिवहन कार्यालय)
1.	प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपयोग किए जा रहे वाहन वैध फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा और प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण–पत्र के बिना चल रहे थे	दामोदरी देवनारायण मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालय (बांका), गोल्डन कैंप मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालय (गया), और लीला एनआरएस जेवी, नदवाँ (पटना) द्वारा बिहार मोटर प्रशिक्षण विद्यालय (3)
2.	प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपयोग किए जा रहे हल्के मोटर वाहनों में से कोई भी दोहरी नियंत्रण प्रणाली से सुसज्जित नहीं था	दामोदरी देवनारायण वाहन चालक प्रशिक्षण विद्यालय (बांका), चंपारण चालक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी चंपारण) और लीला एनआरएस जेवी, नदवाँ (पटना) द्वारा बिहार मोटर प्रशिक्षण विद्यालय (3)
3.	बायोमेट्रिक उपस्थिति सुविधा उपलब्ध नहीं	दामोदरी देवनारायण मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालय (बांका), गोल्डन कैंप मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालय (गया), तेज सिंह मोटर प्रशिक्षण विद्यालय (गोपालगंज), चंपारण चालक प्रशिक्षण संस्थान (मोतिहारी) और लीला एनआरएस जेवी, नदवाँ (पटना) द्वारा बिहार मोटर प्रशिक्षण विद्यालय (5)
4.	चालक प्रशिक्षण ट्रैक कीचड़ और घास के साथ और बिना सीसीटीवी के	
5.	प्रशिक्षण ट्रैक की लंबाई निर्धारित मानदंडों से कम थी। ट्रैक में ज़िगज़ैग, अपहिल–रिवर्स–डाउनहिल, विपरीत समानांतर पार्किंग, रिवर्स S संरचना आदि नहीं थे।	

जैसाकि **तालिका 2.7** से देखा जा सकता है, सभी पाँच नमूना जाँच किए गए मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालयों में:

[10] *बांका, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज और पटना।*

(i) बायोमेट्रिक उपस्थिति सुविधा (ii) आरसीसी/ईंट सोलिंग के साथ बनाए गए और सीसीटीवी से आच्छादित प्रशिक्षण ट्रैक (iii) निर्धारित मानदंड़ों के अनुसार लंबाई वाले प्रशिक्षण ट्रैक और (iv) जिगजैग, अपहिल– रिवर्स–डाउनहिल, विपरीत समानांतर पार्किंग, रिवर्स S निर्माण आदि की कमी थी। इसके अलावा पाँच में से तीन मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालयों में (i) वैध फिटनेस प्रमाण–पत्र, बीमा और नियंत्राधीन प्रमाण–पत्र वाले वाहन और (ii) दोहरी नियंत्रण प्रणाली से सुसज्जित हल्के मोटर वाहन नहीं थें। उपरोक्त में से कुछ अनियमितताएं विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ली गई **चित्रों में 5 एवं 6** देखी जा सकती है।

चित्र 5: तेज सिंग मोटर प्रशिक्षण (गोपालगंज) में चालक प्रशिक्षण के लिए पुराने वाहन का उपयोग

चित्र 6: लीला एनआरएस जेवी नदवाँ (पटना) द्वारा बिहार मोटर प्रशिक्षण विद्यालय में हल्के मोटर वाहन और दोपहिया वाहन के लिए क्षतिग्रस्त परीक्षण ट्रैक

इसके अलावा, नदवाँ (पटना) में स्थित मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालय को अपर जिला परिवहन पदाधिकारी पटना द्वारा निरीक्षण किया गया (मई 2024) और इसी तरह की अनियमितताएँ पाई गईं। इन निष्कर्षों की एक प्रतिवेदन अपर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा मई 2024 में विभाग को भेजी गई थी, लेकिन इसकी सूचना अनुज्ञप्ति देनेवाले प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) को नहीं दी गई थी। तीन महीने (सितंबर 2024 तक) से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, न तो विभाग और न ही जिला परिवहन कार्यालय, पटना, ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई की कि प्रतिवेदन में बताई गई कमियों को दूर किया जाए। इसने आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित मोटर चालक विद्यालय जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके, को स्थापित करने के सरकार के उद्देश्य को विफल कर दिया।

जिला परिवहन कार्यालय, पटना ने वास्तव में, इस मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा जारी प्रमाण–पत्रों के आधार पर नियमित आधार पर भारी मोटर वाहनों के लिए चालक अनुज्ञप्ति जारी करना जारी रखा। इसके अलावा, 2022–23 और 2023–24 की अवधि के दौरान, इन पाँच मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालयों में 4,320 आवेदक नामांकित[11] पाए गए,

11

जिला परिवहन कार्यालय का नाम	*मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालय का नाम*	*पंजीकृत आवेदकों की संख्या*
बांका	*दामोदर देवनारायण*	*12*
पूर्वी चंपारण	*चंपारण चालक प्रशिक्षण केन्द्र*	*174*
गया	*गोल्डेन कैंप*	*448*
गोपालगंज	*तेज सिंह*	*3,395*
पटना	*बिहार मोटर चालक विद्यालय*	*291*

जिन्होंने इन संस्थानों से प्रशिक्षण का पूर्णता प्रमाण–पत्र भी प्राप्त किया। यह न केवल अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी की ओर से विफलता को दर्शाता है, बल्कि अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित चालको को अनुज्ञप्ति जारी करने का जोखिम भी इंगित करता है।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालयों में पायी गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित जिला परिवहन कार्यालय को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

2.8 निष्कर्ष और अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा ने जिला परिवहन पदाधिकारियों के कार्यालयों में प्रणालीगत कमियों अर्थात अपर्याप्त परीक्षण प्रक्रियाएँ और अवसंरचना पाया, जो सड़क सुरक्षा के संबंध में प्रश्न उठाते हैं। इसके अलावा, सभी आवश्यक अवसंरचना के बिना मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालयों का संचालन किया जा रहा था। और भी, चालक प्रशिक्षण के दौरान आवेदकों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा रही थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, विभाग निम्नलिखित अनुशंसाओं पर विचार कर सकता है:

अनुशंसा 1: विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली विकसित कर सकता है कि शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति/चालक अनुज्ञप्ति आवेदकों की वास्तविक उपस्थिति (बायोमेट्रिक, चेहरा से पहचान आदि द्वारा सुनिश्चित) और उचित परीक्षण के बाद ही जारी किया जाए।

अनुशंसा 2: विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालयों को अनुज्ञप्ति आवश्यक अवसंरचना की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही जारी किया जाए।

अध्याय–III

परिवहन वाहनों को पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करना और परमिट प्रदान करना

अध्याय III

3. परिवहन वाहनों को पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करना और परमिट प्रदान करना

3.1 वाहनों को पंजीकरण प्रमाण–पत्र निर्गत/प्रदान करना

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 में कहा गया है कि एक मोटर वाहन को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वाहन पंजीकृत न हो और वाहन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र निलंबित या रद्द नहीं किया गया हो, और वाहन निर्धारित तरीके से प्रदर्शित पंजीकरण चिह्न रखता है। इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 41 में प्रावधान है कि एक नए मोटर वाहन के मामले में, राज्य में वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन ऐसे मोटर वाहन के डीलर द्वारा किया जाएगा।

2019–20 से 2023–24 की अवधि के दौरान राज्य के 38 जिला परिवहन कार्यालयों और नमूना–जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों में पंजीकृत वाहनों की संख्या **तालिका 3.1** में वर्णित है।

तालिका 3.1: राज्य में पंजीकृत वाहनों की संख्या

वर्ष	बिहार में पंजीकृत मोटर वाहन	नमूना–जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में पंजीकृत वाहन	नमूना–जाँचित परिवहन कार्यालयों में पंजीकरण का प्रतिशत
2019-20	13,61,586	3,26,755	24.00
2020-21	9,08,545	2,31,168	25.44
2021-22	9,97,863	2,63,773	26.43
2022-23	11,75,481	3,21,363	27.34
2023-24	13,19,613	3,46,259	26.24
कुल	**57,63,088**	**14,89,318**	

(स्रोतः परिवहन विभाग, बिहार सरकार)

3.1.1 निर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद भारत स्टेज–IV वाहनों का पंजीकरण

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने (24 अक्टूबर 2018) आदेश दिया कि 31 मार्च 2020 के बाद कोई भी भारत स्टेज–IV (बीएस–IV) वाहन बेचा और पंजीकृत नहीं किया जाएगा। तदनुसार, विभाग ने 31 मार्च 2020 के बाद बीएस–IV वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर रोक लगाने के संबंध में एक आदेश जारी किया (मार्च 2020)।

बाद में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डब्लयूपी(सी) संख्या 13029 वर्ष 1985 के आलोक में कहा, (19 अगस्त 2020) कहा कि असामान्य रूप से बड़ी संख्या में बीएस–IV वाहनों का लेनदेन डीलरों के बीच[1] थे, को 25 मार्च 2020 से प्रभावी लॉकडाउन अवधि के दौरान हुए थे। हालाँकि, अदालत ने आदेश दिया कि इन्हें वास्तविक बिक्री और पंजीकरण के उद्देश्य से मान्यता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये लेनदेन ग्राहकों को बिक्री नहीं किये गये थे। केवल ऐसे बीएस–IV वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी गई थी (मार्च, 2020 के बाद) जहाँ बिक्री '*वाहन*' सॉफ्टवेयर' पर अपलोड की गई थी, और जहाँ अस्थायी पंजीकरण किए गए थे, क्योंकि मार्च 2020 के महीने के दौरान पूरी तरह से पंजीकृत नहीं किये जा सकते थे।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में, विभाग ने इन आदेशों के अनुपालन के लिए सभी जिला परिवहन कार्यालयों को एक निर्देश जारी किया (21 अगस्त 2020)।

---

1 *एक डीलर से दूसरे डीलर या स्वयं डीलर के पक्ष में ।*

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने '*वाहन*' सॉफ्टवेयर में छः नमूना जिला परिवहन कार्यालयों के लिए नए वाहन पंजीकरण डेटा की जाँच की और पाया कि:

(i) दो जिला परिवहन कार्यालयों (गोपालगंज और पटना) में, मार्च 2020 से अप्रैल 2021 की अवधि के दौरान डीलरों के बीच से 36 डीलरों के नाम पर 527 वाहन[2], (1,52,724 में से) बीएस–IV वाहन पंजीकृत पाए गए। ये पंजीकरण भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और विभाग के निर्देशों का उल्लंघन थे, क्योंकि इन्हें वास्तविक बिक्री नहीं माना जा सकता था। इसके बाद, पटना में, 27 डीलरों ने ग्राहकों को 396 (527 में से) वाहन बेचे और जिला परिवहन कार्यालय, पटना से अनुरोध किया कि इन वाहनों का स्वामित्व डीलर से ग्राहक को हस्तांतरित किया जाए। जिला परिवहन कार्यालय, पटना, विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, इन डीलरों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और अन्य ग्राहकों के पक्ष में इन 396 वाहनों का स्वामित्व (जून 2020 और नवंबर 2023 के बीच) स्थानांतरित कर दिया।

(ii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 43 के अनुसार, अस्थायी पंजीकरण एक महीने के लिए वैध है और नवीनीकरण योग्य नहीं है। गोपालगंज और पटना जिला परिवहन कार्यालय दोनों में, यह देखा गया कि अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 के बीच 212 बीएस–IV वाहनों[3] को पंजीकरण की अनुमति दी गई थी, इस तथ्य के बावजूद कि इन वाहनों का अस्थायी पंजीकरण अगस्त 2017 और जनवरी 2020 के बीच जारी किया गया था और समाप्त हो गया था। इसलिए, इन वाहनों का पंजीकरण छूट अवधि (31 मार्च 2020 तक) के अंतर्गत नहीं आता था।

(iii) जिला परिवहन कार्यालय, गोपालगंज में, 52 बीएस–IV वाहनों के मामले में (जो 18 मार्च 2020 और 27 मार्च 2020 के बीच खरीदा गया), डीलरों ने छूट अवधि (31 मार्च 2020 के बाद) के बाद नए पंजीकरण के लिए आवेदन किया, लेकिन जिला परिवहन कार्यालय द्वारा इसे 10 अप्रैल 2021 को एक वर्ष से अधिक की छूट अवधि समाप्त होने के बाद अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा, जिला परिवहन कार्यालय, गोपालगंज द्वारा चार अपंजीकृत[4] बीएस–II और बीएस–IV वाहनों के पंजीकरण की भी अनुमति दी गई थी, हालाँकि उनका पंजीकरण निर्दिष्ट अन्तिम तिथि (31 मार्च 2020 का) के बाद ही शुरू होना था।

पंजीकरण के ये अनुमोदन अनियमित थे और न ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों या विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में थे।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जिला परिवहन कार्यालय, गोपालगंज में, बीएस–IV वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध अप्रैल 2020 से लगा दिया गया था और केवल ऐसे वाहन, जिन्होंने मार्च 2020 तक '*वाहन*' पोर्टल पर अस्थायी पंजीकरण दर्ज किए थे, पंजीकृत किए गए थे।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि: (i) जिला परिवहन कार्यालय गोपालगंज में डीलरों के बीच उनके नाम पर 54 वाहनों के पंजीकरण और जिला परिवहन कार्यालय पटना के तहत 396 मामलों में स्वामित्व के हस्तांतरण के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया (ii) सभी 212 मामलों में, अस्थायी पंजीकरण एक वर्ष से अधिक पुराने पाए गए, लेकिन इसके बावजूद, वाहनों को पंजीकृत करने की अनुमति दी गई थी (iii) जिला परिवहन कार्यालय, गोपालगंज, 10 अप्रैल 2021 को 52 नए वाहनों के पंजीकरण को मंजूरी दी, यानी एक वर्ष के अंतराल के बाद जिसके लिए अप्रैल 2020 के महीने में डीलरों द्वारा कर का भुगतान किया गया था।

---

[2] *जिला परिवहन कार्यालय गोपालगंज: 54 वाहनों (02 डीलर) और जिला परिवहन कार्यालय पटना: 473 वाहनों (34 डीलर)।*

[3] *जिला परिवहन कार्यालय गोपालगंज: 32 वाहनों और जिला परिवहन कार्यालय पटना: 180 वाहनों।*

[4] *BR28XXXX06, BR28XXXX48, BR28XXXX62 (BS-IV) और BR28XXXX58(BS-II).*

3.1.2 कर पर अर्थदण्ड लगने से बचने के लिए अधिकृत डीलरों द्वारा 'वाहन' सॉफ्टवेयर में गलत क्रय तिथि की प्रविष्टि

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 47 के अनुसार, वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन, बिक्री के प्रमाण–पत्र, उसके बाद उत्पन्न वाहन के बीमा का प्रमाण–पत्र और उचित पंजीकरण शुल्क और कर के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 192(बी)(4) में कहा गया है कि यदि कोई डीलर, किसी भी गलत दस्तावेज या किसी भी तथ्य के गलत प्रस्तुति के आधार पर वाहन के लिए पंजीकरण का प्रमाण–पत्र प्राप्त करता है, तो यह जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। जुर्माने की राशि वार्षिक सड़क कर (परिवहन वाहन) की राशि का दस गुना या मोटर वाहन (गैर–परिवहन वाहन) के आजीवन कर का दो–तिहाई के बराबर होगी।

आगे, विभाग ने निर्देश दिया (दिसंबर 2018) कि डीलर प्वाइंट पंजीकरण के मामले में, सभी डीलरों को सभी प्रकार के वाहनों की बिक्री के दो दिनों के भीतर जिला परिवहन कार्यालय को पंजीकरण कर का भुगतान करना चाहिए। फिर पंजीकरण से संबंधित सभी दस्तावेज *'वाहन'* सॉफ्टवेयर में दर्ज किए जाएं।

इसके अलावा, बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1994 के नियम 4(2) में कहा गया है कि परिवहन वाहनों के मामले में, वाहन के क्रय तारीख से 15 दिनों के लिए अनुग्रह अवधि की कर के भुगतान के लिए अनुमति है। देरी के मामले में, वाहन के क्रय की तारीख से 25 प्रतिशत से 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड लगाया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने सभी छः नमूना जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों में *'वाहन'* सॉफ्टवेयर में उपलब्ध वाहन इतिहास[5] और बीमा विवरण[6] सहित डीलर प्वाइंट पंजीकरण डेटा की जाँच की। पंजीकरण डेटा की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 861 अधिकृत डीलरों[7] (1,551 डीलरों में से) ने 18,851 वाहनों (14,136 गैर–परिवहन वाहन और 4,715 परिवहन वाहन) के मामले में गलत क्रय की तारीख दर्ज की। ऐसे सभी मामलों में, वाहन के बीमा की तारीख उन वाहनों के क्रय की तारीख से पहले पाई गई थी। क्रय की तारीख बीमा तिथि के बाद *'वाहन'* सॉफ्टवेयर में आठ से 1,246 दिनों तक दर्ज की गई। यह इन मामलों में, संबंधित डीलरों द्वारा वाहनों की गलत बिक्री की तारीख दर्ज करने को इंगित करता है, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी

---

5 *वाहन इतिहास का अर्थ है इस शीट के तहत दर्ज किए गए वाहन की गतिविधि का विवरण जैसे वाहय स्वामी का इतिहास, खरीद, पंजीकरण, कर और शुल्क का भुगतान, फिटनेस, बीमा, परमिट, काली सूची में डालना आदि। डीलर द्वारा वाहन का प्रारंभिक विवरण दर्ज किया जाता है।*

6 *वाहन का बीमा विवरण स्वचालित रूप से 'वाहन' सॉफ्टवेयर में बनता है जब चेसिस संख्या उस वाहन की बिक्री के समय बीमा के लिए दर्ज की जाती है।*

7

जिला परिवहन कार्यालय का नाम	शामिल डीलरों की संख्या	शामिल वाहनों की संख्या	
		(परिवहन)	(गैर– परिवहन)
बांका	71	213	1,016
पूर्वी चंपारण	63	360	722
गया	148	1,261	2,940
गोपालगंज	76	439	4,079
पटना	432	2,140	3,638
सीतामढ़ी	71	302	1,741
कुल	**861**	**4,715**	**14,136**

को गलत जानकारी प्रस्तुत की गई, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192(बी)(4) में निर्धारित दंड को आकर्षित करती है साथ ही कर का विलंबित भुगतान दर्शाती है।

आगे, बीमा की तारीख के बाद क्रय की तारीख दर्ज करने के कारण, '*वाहन*' सॉफ्टवेयर बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1994 के नियम 4(2) के तहत निर्धारित कर के देर से भुगतान के लिए दंड के रूप में ली जाने वाली राशि की सटीक गणना करने में असमर्थ था। *'वाहन'* सॉफ्टवेयर में क्रय की तारीख के गलत प्रविष्टि के परिणामस्वरूप 4,715 परिवहन वाहनों के लिए कर के विलंबित भुगतान (16 से 639 दिनों के बीच) के कारण राज्य सरकार को ₹ 4.35 करोड़ की राजस्व की कम वसूली हुई। इसके अलावा, 4,715 परिवहन वाहनों ***(परिशिष्ट–1)*** के मामले में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए डीलरों पर ₹4.14 करोड़ का अर्थदण्ड लगाया जाना था।

इसके अलावा, डीलरों द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए 14,136 गैर–परिवहन वाहनों के मामले में ₹13.97 करोड़ का अर्थदण्ड लगाया जाना था ***(परिशिष्ट–2)***।

उपरोक्त अवलोकन दर्शाता है कि संबंधित नमूना–जाँच वाले जिलों के मोटर वाहन निरीक्षक और जिला परिवहन कार्यालय, जो डीलरों द्वारा दर्ज वाहनों से संबंधित दस्तावेजों/सूचनाओं के सत्यापन के लिए जिम्मेदार थे, ने इन वाहनों के पंजीकरण के समय उचित ध्यान से काम नहीं किया। और भी, इसने '*वाहन*' सॉफ्टवेयर में इनपुट नियंत्रण की कमी को भी दर्शाया, क्योंकि इसने उस वाहन के बीमा की तारीख से बाद में वाहन की क्रय तिथि को स्वीकार कर ली।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि वाहन की क्रय तिथि से दंड की वसूली के लिए नमूना–जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा अधिकृत डीलरों को माँग सूचना जारी किए गए थे। इसके अलावा, वाहन की क्रय की तारीख से अर्थदण्ड एकत्र करने के प्रावधान को अब *'वाहन'* सॉफ्टवेयर में मैप किया गया है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिवहन वाहन के मामले में अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान पहले से ही *'वाहन'* में मैप किया गया था, लेकिन लेखापरीक्षा द्वारा उजागर मामलों में, संबंधित डीलरों द्वारा सही क्रय तिथि दर्ज नहीं की गई थी। गैर–परिवहन वाहनों के लिए, *'वाहन'* सॉफ्टवेयर में अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान नहीं किया गया था।

3.1.3 कर के विलंबित भुगतान के लिए गैर–परिवहन वाहनों पर अर्थदण्ड लगाने के प्रावधान का अभाव

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 47 में निहित प्रावधानों और डीलर पॉइंट पंजीकरण के लिए विभाग द्वारा जारी निर्देशों (दिसंबर 2018) के उक्त पैराग्राफ 3.1.2 के आलोक में, लेखापरीक्षा ने छः नमूना जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों में *'वाहन'* डेटाबेस में गैर–परिवहन वाहन पंजीकरण डेटा की जाँच की।

जाँच के दौरान, यह पाया गया कि अप्रैल 2019 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान, 1,39,530 गैर–परिवहन वाहनों (11,95,509 वाहनों में से) के मामलों में, अधिकृत डीलरों ने 16 दिनों से 3,658 दिनों की देरी के साथ मोटर वाहन कर (एकमुश्त कर) और शुल्क (पंजीकरण शुल्क) जमा किए।

यह देखा गया कि गैर–परिवहन वाहनों के लिए कर और शुल्क के देर से भुगतान के मामले में अर्थदण्ड लगाने के लिए बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 में कोई प्रावधान नहीं था। नियमों में किसी भी निवारक उपाय के अभाव के कारण, गैर–परिवहन वाहनों के लिए डीलर पॉइंट पंजीकरण के मामले में विलंबित भुगतान के लिए, डीलरों ने 16 दिनों से 3,658 दिनों तक अपने पास सरकारी धन रखा।

इसके अलावा, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 43 के अनुसार, वाहनों के लिए व्यापार प्रमाण–पत्र रखने वाले प्रत्येक डीलर को स्टॉक का एक रजिस्टर बनाए रखना होगा और इस रजिस्टर को संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी (जिला परिवहन कार्यालय) को प्रस्तुत करना होगा, जब भी उस प्राधिकारी द्वारा माँगी जाय।

इसलिए, हालाँकि बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, में कोई प्रावधान नहीं था, संबंधित जिला परिवहन कार्यालय, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, के आलोक में डीलरों के स्टॉक की जाँच कर सकते थे और विभागीय निर्देशों (दिसंबर 2018) के उल्लंघन के लिए कार्रवाई कर सकते थे, जिसमें कहा गया है कि डीलरों को सभी प्रकार के वाहनों की बिक्री के दो दिनों के भीतर पंजीकरण कर का भुगतान जिला परिवहन कार्यालय को करना चाहिए। हालाँकि, न तो जिला परिवहन कार्यालय ने वाहनों के पंजीकरण को मंजूरी देते समय कर और शुल्क जमा करने में किसी देरी का पता लगाया, न ही उन्होंने उचित स्तर पर बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, में दंडात्मक प्रावधान की अनुपलब्धता का मुद्दा उठाया।

यदि बिहार मोटर वाहन करारोपण नियमावली, 1994 के नियम 4(2) (परिवहन वाहनों के लिए) के समान गैर–परिवहन वाहनों के लिए डीलरों द्वारा कर और शुल्क के विलंबित भुगतान के लिए दंडात्मक प्रावधान होता, तो सरकार को ₹ 85.20 करोड़ राशि का अर्थदंड के रूप में अतिरिक्त राजस्व की वसूली होती ***(परिशिष्ट–3)***।

विभागीय निर्देशों और बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, के उल्लंघन में मोटर वाहन कर और शुल्क जमा करने में अधिकृत डीलरों की ओर से देरी **चार्ट 3.1** में दिखाई गई है।

चार्ट 3.1: नमूना जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों में अधिकृत डीलरों द्वारा मोटर वाहन कर और शुल्क के भुगतान में विलम्ब

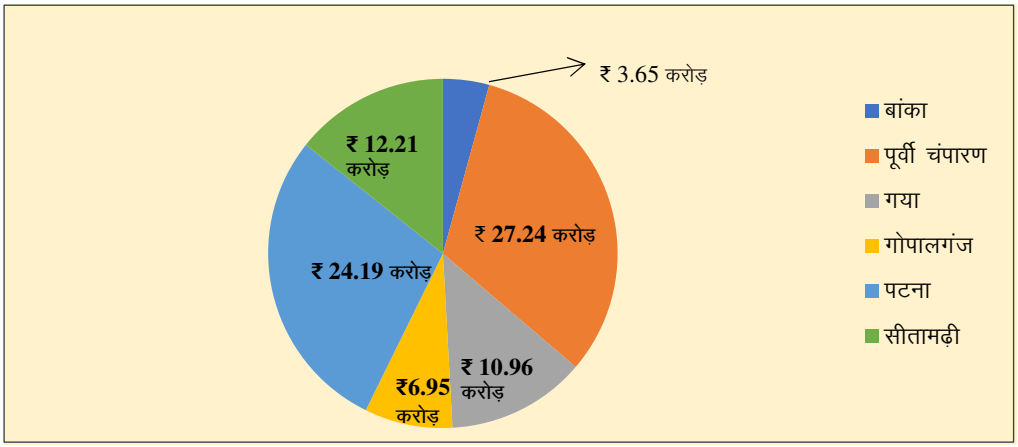

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि: (i) संबंधित जिला परिवहन कार्यालय ने मोटर वाहन कर के भुगतान में देरी के कारण डीलरों से अर्थदण्ड संग्रह करने के लिए माँग सूचना जारी किए थे। (ii) अप्रैल 2021 से नए वाहनों के मामले में, पंजीकरण संख्या, कर और शुल्क के भुगतान के बाद ही जारी की गई थी और (iii) वाहन की खरीद तिथि से अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान *'वाहन'* सॉफ्टवेयर में मैप किया गया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है: (i) हालाँकि, इन मामलों में कर और शुल्क के भुगतान के बाद नए वाहनों के पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, अधिकृत डीलर देरी से करों का भुगतान कर रहे थे और अपने पास सरकारी धन रखा था और (ii) गैर–परिवहन वाहनों के लिए मोटर वाहन कर के देर से भुगतान के लिए *'वाहन'* सॉफ्टवेयर में दंड के मैपिंग के संबंध में विभाग द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।

3.1.4 'वर्तमान पते' में परिवर्तन के मामले में वाहनों का पंजीकरण

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 49 के साथ पठित केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 59 में कहा गया है कि यदि मोटर वाहन का मालिक अपना पता बदलता है, तो वह पते के ऐसे किसी भी परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर, नए पंजीकरण प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में अनापत्ति प्रमाण–पत्र (पिछले पंजीकरण प्राधिकारी से प्राप्त) से सूचित करेगा।

बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4(1) में कहा गया है कि कर के भुगतान के लिए देयता (नए पंजीकरण प्राधिकारी को) वाहन के अधिग्रहण की तिथि है (यानी, पिछले पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की तिथि है)।

लेखापरीक्षा ने छः नमूना–जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालय (अप्रैल 2019 से मार्च 2024) में *'वाहन'* डेटाबेस में पंजीकरण प्रमाण–पत्र में निवास के 'वर्तमान पते' में परिवर्तन और इसकी संबंधित जानकारी से संबंधित अभिलेखों की जाँच की। चार जिला परिवहन कार्यालयों[8] के मामले में, यह देखा गया कि बिहार के बाहर जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र में 'वर्तमान पते' में परिवर्तन के लिए 224 आवेदन (2,751 में से) प्राप्त हुए थे। ये आवेदन पिछले पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की तारीख से 1,539 दिनों तक की देरी के साथ जिला परिवहन कार्यालय को प्रस्तुत किए गए थे। हालांकि, संबंधित जिला परिवहन कार्यालय ने अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने की तारीख से इसकी गणना के स्थान पर 'वर्तमान पते' की आवेदन तिथि से करके, इनमें से 117 वाहनों पर कर आरोपित की और संग्रह किया। इसके परिणामस्वरूप राज्य को ₹ 20.43 लाख (मोटर वाहन करः ₹ 4.98 लाख और अर्थदंड ₹ 15.45 लाख) की राजस्व राशि की कम वसूली हुई ***(परिशिष्ट–4)***।

यह इस तथ्य के कारण भी था कि 'वर्तमान पते' में परिवर्तन के मामलों में पंजीकरण के अनुरोध पर कार्रवाई करते समय, वाहन के नए पंजीकरण प्राधिकारी को वाहन में मैनुअल रूप से पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र की तारीख और आवेदन की तिथि को दर्ज करनी थी। इसलिए, अनापत्ति प्रमाण–पत्र की तारीख या आवेदन की तिथि की अलग तिथियों में प्रविष्टि करने के मामले में *'वाहन'* सॉफ्टवेयर उद्ग्रहणीय मोटर वाहन कर और दंड की गणना नहीं कर सकता है।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि कर और शुल्क की वसूली के लिए संबंधित वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया गया था। इसके अलावा, निवास परिवर्तन के मामले में आवेदन जमा करने में देरी के लिए अर्थदण्ड *'वाहन'* सॉफ्टवेयर में मैप किया गया है।

3.1.5 मोटर वाहन कर की वसूली के बिना नीलाम वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 57 में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने सरकार द्वारा या उसकी ओर से आयोजित सार्वजनिक नीलामी में मोटर वाहन हासिल किया है या खरीदा है, वह वाहन पर कब्जा प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

इसके अलावा, पूर्व के कंडिका 3.1.2 में उल्लिखित मानदंडों के आलोक में, परिवहन वाहनों के मामले में, कर के भुगतान के लिए वाहन की खरीद की तारीख से 15 दिनों के लिए अनुग्रह अवधि की अनुमति है। देरी के मामले में, वाहन की खरीद की तारीख से 25 प्रतिशत से 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड लगाया जाएगा।

---

[8] *पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पटना और सीतामढ़ी।*

लेखापरीक्षा ने छः नमूना जाँच किए गए जिलों में *'वाहन'* डेटाबेस में नीलाम वाहनों के पंजीकरण डेटा की जाँच की। दो जिला परिवहन कार्यालयों[9] के मामले में यह देखा गया कि नवंबर 2021 से नवंबर 2023 के दौरान नमूना जाँच में 94 मालवाहक गाड़ियों[10] में से 10 की नीलामी की गई थी। बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4(1) के अनुसार, नीलाम वाहनों के अधिग्रहण की तारीख से लागू उद्ग्रहणीय मोटर वाहन कर की वसूली के बिना, इन 10 गाड़ियों का स्वामित्व हस्तांतरित करने की अनुमति (फरवरी 2022 से मई 2024) दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.73 लाख (मोटर वाहन करः ₹ 1.91 लाख और अर्थदंडः ₹ 3.82 लाख) के राजस्व की कम वसूली हुई ***(परिशिष्ट–5)***।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि इसके निर्देशों के अनुसार, उत्पाद और निषेध अधिनियम, 2016 के तहत जब्त किए गए वाहन के मामले में बकाया राशि के भुगतान के लिए देयता लागू नहीं है, क्योंकि वे 'भार से मुक्त' हो जाते हैं।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन मामलों में, वाहनों के नए मालिक नीलाम वाहनों के अधिग्रहण की तारीख से कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे। नीलाम वाहनों के नए मालिकों द्वारा कर का भुगतान न करने के कारण, वे कर चूककर्त्ता बन गए और अर्थदंड के साथ कर की वसूली के लिए उत्तरदायी थे।

3.2 नए खरीदे गए अपंजीकृत वाहनों द्वारा सर्वक्षमा योजना का लाभ उठाना

पंजीकृत/अपंजीकृत वाहनों के कर चूककर्त्ताओं[11] के मालिकों को माफी देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा एक सर्वक्षमा योजना लाई गई थी।

जुलाई 2017 से जून 2020 की अवधि के दौरान, कृषि/वाणिज्यिक गतिविधियों और अन्य परिवहन वाहनों के लिए उपयोग किए जा रहे ट्रैक्टर–ट्रेलरों के लिए लागू विभिन्न समय–सीमा के साथ सर्वक्षमा योजना के संबंध में बिहार सरकार द्वारा कई अधिसूचनाएँ जारी की गई थीं।

सर्वक्षमा योजना के तहत जारी अधिसूचनाओं का विवरण **तालिका 3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.2: सर्वक्षमा योजना के लिए अधिसूचनाओं का विवरण

अधिसूचना संख्या और दिनांक	वाहनों के पंजीकरण/विनियमन के लिए प्रभाव की अवधि	कर चूककर्त्ता वाहन सुनिश्चित करने के लिए लागू समय–सीमा	योजना के प्रावधान
			कृषि/वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए उपयोग किये जाने वाले ट्रैक्टर–ट्रेलरों के लिए
583 दिनांक 05 जुलाई 2017	05 जुलाई 2017 से 04 जनवरी 2018 (छः महीने)	04 जुलाई 2017 तक	₹ 25,000 की एकमुश्त राशि जमा करने पर पंजीकृत/विनियमित किया जाना
194 दिनांक 08 मार्च 2018	08 मार्च 2018 वे 30 जून 2018 (पिछली अधिसूचना का विस्तार)		
1262 दिनांक 15 नवम्बर 2019	15 नवम्बर 2019 से 12 फरवरी 2020 (90 दिन)	14 नवम्बर 2019 तक	
335 दिनांक 01 जून 2020	1 जून 2020 से 30 सितम्बर 2020 (पिछली अधिसूचना का विस्तार)	31 मई 2020 तक	

9 *पटना और सीतामढ़ी।*

10 *सीतामढ़ी और पटना, प्रत्येक में पाँच–पाँच मामले।*

11 *इस कंडिका के लिए, कर चूककर्त्ता वाहन वे वाहन है जिन्होंने उस अवधि की समाप्ति की तारीख के 15 दिनों के भीतर अपने करो का भुगतान नहीं किया गया था, जिसके लिए कर का अंतिम भुगतान किया गया था या वाहन के अधिग्रहण की तारीख से या उस तारीख से जब कानून द्वारा कर का आरोपण किया गया {बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली 1994 के नियम 4(1) और (2)}।*

बिहार सरकार की अधिसूचना के अनुसार, सर्वक्षमा योजनाओं का लाभ केवल उन ट्रैक्टर–ट्रेलरों के लिए लागू था जिनका उपयोग कृषि/वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था और ऐसी अधिसूचनाओं के प्रकाशन की तारीख से पहले कर चूककर्त्ता थे।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 7(3) और 7(8) में ट्रैक्टर पर कर लगाने का प्रावधान है, जो उनके एक्स–शो रूम की कीमत पर 4.5 प्रतिशत की दर से है। इसके अलावा, देय कर के 25 से 200 प्रतिशत के बीच अर्थदंड, देय तिथि के 15 दिनों के भीतर कर का भुगतान न करने के मामले में, बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम 4(2) के अनुसार लगाया जाना था।

लेखापरीक्षा ने सात जिला परिवहन कार्यालयों[12] के *'वाहन'* डेटाबेस की जाँच की और पाया कि 13,914 वाहन सर्वक्षमा योजना की अवधि के दौरान इन जिला परिवहन कार्यालय के पास पंजीकृत थे। इनमें से 3,785 वाहनों को सर्वक्षमा योजना का लाभ उठाने के बाद पंजीकृत (सितंबर 2017 से सितंबर 2020) किया गया था।

यह देखा गया कि यद्यपि योजना (अर्थात जुलाई 2017 से सितंबर 2020) की अवधि के दौरान 539 वाणिज्यिक ट्रैक्टर खरीदे गए थे और पंजीकरण की नियमित प्रक्रिया के तहत पंजीकृत किए जाने थे, इन ट्रैक्टरों को सर्वक्षमा योजना (जुलाई 2017 और जुलाई 2021 के बीच) के तहत पंजीकृत पाया गया था। इन 539 ट्रैक्टरों के मालिकों ने अनियमित रूप से ₹25,000 की निर्धारित एकमुश्त राशि का भुगतान करके इस योजना का लाभ उठाया। हालांकि, वे वाहनों की लागत के 4.5 प्रतिशत की दर से कर के अपेक्षित भुगतान साथ ही ऐसे कर के भुगतान में देरी के लिए देय अर्थदण्ड (जैसा लागू हो) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, इससे ₹1.62 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ ***(परिशिष्ट–6)***।

इसे इंगित किए जाने पर, पाँच जिला परिवहन कार्यालयों[13] ने कहा (मई 2022 से फरवरी 2023) कि वाहनों को *'वाहन'* सॉफ्टवेयर में सत्यापन जाँच की कमी के कारण सर्वक्षमा योजना के तहत पंजीकृत किया गया था। जिला परिवहन कार्यालय, बांका और दरभंगा ने कहा (जुलाई से दिसंबर 2022) कि, माँग उठाई जाएगी। विभाग से आगे का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 2025)।

3.3 वाहनों के वित्तीय बकाया के समायोजन के बिना पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र द्वारा जमा का प्रमाण–पत्र जारी करना

सड़क परिवहन एवं उच्च पथ मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी अधिसूचना (सितंबर 2021) के अनुसार, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 3 के उप नियम (1) (सी) में प्रावधित है कि स्क्रैपिंग के लिए वाहन प्राप्त होने पर, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र को उक्त पंजीकृत वाहन के मालिक को वाहन जमा करने का प्रमाण–पत्र जारी करना था। इन नियमावली के नियम 10 के उप नियम (1) (iv) में आगे कहा गया है कि पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र एक डिजिटल शपथ पत्र पर भी हस्ताक्षर करेगी जो दर्शाता है कि यह उस वाहन पर चालान, मोटर वाहन कर आदि जैसे वित्तीय बकाया के लिए उत्तरदायी था।

इसके अलावा, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र के संचालन के लिए विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (जनवरी 2024) के अनुसार, वाहन की अनुक्रमित लागत (मानक संचालन प्रक्रिया[14] में उल्लिखित सूत्र के अनुसार गणना किया जाना है) बराबर नए वाहन की खरीद

---

12 *अररिया, बांका, बक्सर, मधेपुरा, सुपौल और पश्चिमी चंपारण।*

13 *अररिया, बक्सर, मधेपुरा, सुपौल और पश्चिमी चंपारण।*

14 *वाहन की अनुक्रमित लागत = पुराने वाहन का खरीद मूल्य, नये वाहन की खरीद के वर्ष में नए मुद्रास्फीति सूचकांक पुराने वाहन की खरीद के वर्ष में मुद्रास्फीति सूचकांक।*

पर मोटर वाहन कर में 25 प्रतिशत की रियायत संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा 'जमा प्रमाण–पत्र' के प्रतिहस्ताक्षर के आधार पर अनुमति दी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने जिला परिवहन कार्यालय पटना में दिसंबर 2023 से सितंबर 2024 की अवधि के लिए *'वाहन'* डेटाबेस में उपलब्ध डेटा की जाँच की और पाया कि:

(i) संबंधित जिला परिवहन कार्यालय द्वारा जमा प्रमाण–पत्र के प्रतिहस्ताक्षर के आधार पर नए वाहनों की खरीद पर मोटर वाहन कर पर छूट की अनुमति दी गई थी। हालांकि, जिला परिवहन कार्यालय पटना द्वारा जमा प्रमाण–पत्र के प्रतिहस्ताक्षर के बिना, जनवरी 2024 से सितंबर 2024 के दौरान नए वाहनों की खरीद पर कर छूट की अनुमति दी गई थी।

(ii) 19 नए वाहन मालिकों (35 वाहनों में से जिनके लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र द्वारा जमा प्रमाण–पत्र जारी किए गए थे) को जमा प्रमाण–पत्र के आधार पर मोटर वाहन कर में रियायत की अनुमति दी गई थी। हालांकि, यह देखा गया कि वाहनों के मालिक से अलग अन्य व्यक्तियों के नाम पर जमा प्रमाण–पत्र जारी की गई थी। इस प्रकार, नए वाहन के मालिकों को कर छूट का अनुचित लाभ मिला। परिणास्वरूप, ₹ 10.49 लाख की कर में छूट अनियमित रूप से दी गई थी, जिससे राजस्व का नुकसान हुआ ***(परिशिष्ट–7)***।

(iii) बिहार के बाहर पंजीकृत वाहन के मामले में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मोटर वाहन कर छूट का लाभ उठाने के लिए, उस वाहन के पिछले पंजीकरण प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने और नए पंजीकरण प्राधिकरण को वाहन कर का भुगतान करने के बाद पंजीकरण के प्रमाण–पत्र पर पता बदलना था हालांकि, जिला परिवहन कार्यालय, पटना, बिहार के बाहर पंजीकृत आठ वाहनों को कर छूट देते समय, इन आठ वाहनों में पंजीकरण प्रमाण–पत्र पते में परिवर्तन और देय मोटर वाहन कर के संग्रह को सुनिश्चित नहीं किया। इससे राज्य को ₹2.25 लाख कर का नुकसान हुआ ***(परिशिष्ट–8)***।

(iv) पटना में नौ वाहनों के लिए, जमा प्रमाण–पत्र के आधार पर ही कर छूट की अनुमति दी गई थी। लेकिन मोटर वाहन कर और लंबित ई–चालान ₹2.67 लाख ***(परिशिष्ट–9)*** जैसे वित्तीय बकाया का समायोजन सुनिश्चित नहीं किया गया।

एक मामला जिसमें ₹5.05 लाख की अनुक्रमित लागत वाले वाहन को मोटर वाहन कर में छूट थी, जबकि ₹1.30 करोड़ के खरीद मूल्य के साथ एक नए वाहन पर मोटर वाहन कर छूट की अनुमति दी गई थी, पर प्रकाश डालते हुए एक अध्ययन नीचे दिया गया है:

एक वाहन को जिसका पंजीयन संख्या BR01XXXX20 था श्री नीलायम प्रीकोटेड स्टील प्राईवेट लिमिटेड (पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र) द्वारा रद्द कर दिया गया था। लिमिटेड द्वारा जारी जमा प्रमाण–पत्र पर, 'वाहन' सॉफ्टवेयर में इस वाहन के लिए ₹ 5.05 लाख के बिक्री मूल्य का उल्लेख किया गया था। जमा प्रमाण–पत्र मेसर्स किरण ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र द्वारा जारी किया गया था। जमा प्रमाण–पत्र में निर्धारित सूत्र के अनुसार, इस वाहन की अनुक्रमित लागत ₹ 6.27 लाख[15] थी। तदनुसार, मोटर वाहन कर पर 25 प्रतिशत की छूट केवल पुराने वाहन की अनुक्रमित लागत के बराबर मूल्य वाले वाहन की खरीद पर दी जानी थी। इस प्रकार, नए वाहन के लिए मोटर वाहन कर पर केवल ₹ 0.14 लाख[16] की छूट की अनुमति थी। हालांकि, जिला परिवहन कार्यालय, पटना, ने अनियमित रूप से ₹ 1.30 करोड़ के खरीद मूल्य वाले नए वाहन के लिए ₹3.90 लाख के कर में छूट की

---

15 *₹6.27 लाख = ₹5.05 लाख * 348 (नए वाहन की खरीद के वर्ष में मुद्रास्फीति सूचकांक/280/(पुराने वाहन की खरीद के वर्ष की मुदास्फीति सूचकांक) ।*

16 *₹0.14 लाख = ₹6.27 लाख (वाहन की अनक्रमित लागत)* 9 प्रतिशत (मोटर वाहन कर) * 25 प्रतिशत (छूट की दर) ।*

अनुमति दी। पुराने वाहन की अनुक्रमित लागत की तुलना में नए खरीदे गए वाहन का खरीद मूल्य काफी अधिक था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.76 लाख का राजस्व नुकसान हुआ।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि जिन परिस्थितियों में उन वाहनों के लिए जमा प्रमाण–पत्र बनाया गया था, उनकी जाँच की जा रही थी।

3.4 परिवहन वाहनों के लिए परमिट प्रदान करना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1992 के नियम 80 के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 में प्रावधान है कि मोटर वाहन का कोई भी मालिक वैध परमिट के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन के रूप में वाहन का उपयोग नहीं करेगा या करने की अनुमति देगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 81 के अनुसार, अस्थायी परमिट को छोड़कर एक परमिट इसके जारी होने की तारीख से पाँच साल की अवधि के लिए वैध है। इसके अलावा, परिवहन विभाग ने मालवाहक गाड़ी, अनुबंध गाड़ी और स्टेज गाड़ी आदि के मामले में परमिट जारी करने/नवीनीकरण के लिए आवेदन/परमिट शुल्क को संशोधित किया (मई 2017), और जारी करने, या नवीनीकरण, या एक परमिट की स्थिति में परिवर्तन के लिए एक प्रसंस्करण शुल्क लागू किया।

बिहार सरकार ने फरवरी 2019 में, जिला परिवहन कार्यालय को परिवहन वाहनों के लिए परमिट देने की अनुमति देने के लिए बिहार मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया, जो पहले केवल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा जारी किया जा रहा था।

2019–20 से 2023–2024 तक राज्य में सभी जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा परिवहन वाहनों को दिए गए परमिट की वर्ष–वार संख्या **चार्ट 3.2** में दी गई है।

चार्ट 3.2 जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा बिहार परिवहन वाहनों को दिए गए परमिट

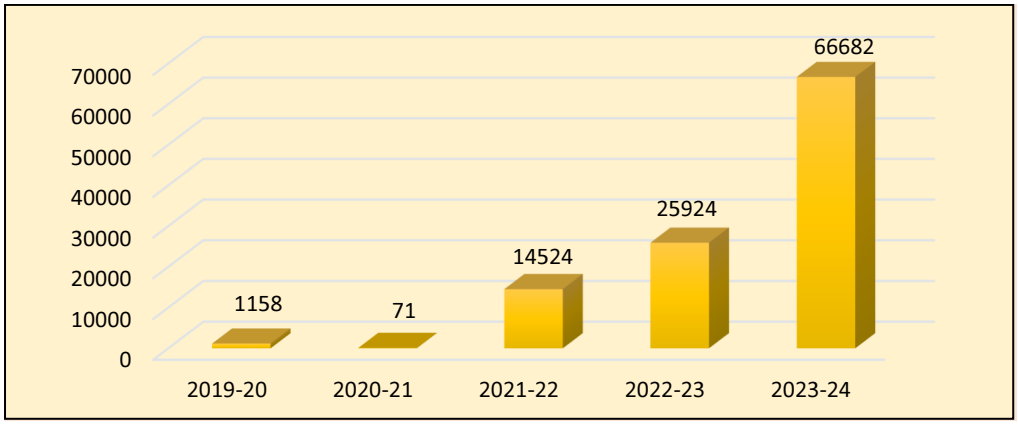

(स्रोत: वाहन डैशबोर्ड)

3.4.1 वैध दस्तावेजों के बिना स्थायी परमिट धारक परिवहन वाहनों का परिचालन

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 90 के उप नियम 5 और बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम की धारा 84 और 86 में प्रावधान है कि परिवहन वाहनों को फिटनेस, बीमा, पंजीकरण, वैध परमिट (स्थायी परमिट) और कराधान के प्रमाण–पत्र रखना था।

लेखापरीक्षा ने *'वाहन'* डेटाबेस (राज्य परिवहन प्राधिकार पटना में) में अप्रैल 2019 से मार्च 2024 की अवधि के लिए स्थायी परमिट जारी रिपोर्ट की जाँच की और पाया कि 570

नमूना–जाँच की गई स्टेज गाड़ियों में से 272, अप्रैल 2019 से नवंबर 2023 के बीच वैध दस्तावेजों के बिना चल रहे थे, जैसा कि नीचे वर्णित है:

(क) 78 (272 में से) स्टेज गाड़ी के कर टोकन[17] दिसंबर 2019 और सितंबर 2024 के बीच समाप्त हो गए थे, लेकिन उनके परमिट सितंबर 2028 तक वैध थे; और

(ख) अप्रैल 2020 से सितंबर 2024 के बीच वैध फिटनेस प्रमाण–पत्र के बिना सभी 272 स्टेज कैरेज़ चल रही थीं और 165 स्टेज गाड़ियाँ वैध बीमा के बिना थीं।

नमूना–जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालय में आगे यह देखा गया कि जुलाई 2021 और मार्च 2024 के दौरान 9,522 परिवहन वाहनों को स्थायी परमिट जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया किया कि इन 9,522 वाहनों[18] के कर टोकन/ फिटनेस प्रमाण–पत्र/बीमा और/ या परमिट की वैधता समाप्त हो गई थी, लेकिन अधिकृत पदाधिकारियों ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अनुसार उनके परमिट रद्द करने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप कर के भुगतान और अन्य वैध दस्तावेजों के बिना परिवहन वाहन चलाए गए। इसके अलावा, अयोग्य वाहनों को चलाने से सार्वजनिक सुरक्षा और सरकारी खजाने को नुकसान का जोखिम पैदा हुआ ***(परिशिष्ट–10)***।

ऐसे मामलों का न तो राज्य परिवहन प्राधिकार और न ही संबंधित जिला परिवहन कार्यालय ने पता लगाया और इन परमिट को रद्द करने के लिए कार्रवाई की। इन वाहनों की सूची न तो दंडात्मक कार्रवाई के लिए विभाग के प्रवर्तन शाखा को अग्रेषित की गई थी और न ही इन वाहन मालिकों को संबंधित दस्तावेजों को अद्यतन करने के लिए कोई नोटिस जारी किया गया था, जो राज्य परिवहन प्राधिकार/जिला परिवहन कार्यालय की ओर से अपर्याप्त निगरानी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र पर प्रकाश डालता है।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि: (i) सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पांच साल के लिए स्टेज कैरिज परमिट दिए गए थे। 78 स्टेज गाड़ियों के कर टोकन की समाप्ति के संबंध में, कर त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक आधार पर एकत्र किया जाना था (ii) देय अवधि के भीतर कर का भुगतान न करने के मामले में, अर्थदंड लगाया जाना था और (iii) यदि परमिट धारक वाहन वैध दस्तावेजों के बिना सड़क पर चलते हुए पाए गए थे, तो संबंधित अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के तहत अर्थदण्ड लगाया गया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उन्होंने वैध दस्तावेजों के बिना परिचालित वाहनों पर की गई कार्रवाई के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।

3.4.2 परमिट प्रदान को सुनिश्चित किए बिना नए परिवहन वाहनों का पंजीकरण

पूर्व कंड़िका 3.4 में उल्लिखित मानदंडों के आलोक में, बिहार सरकार ने पंजीकरण के समय परिवहन वाहनों की सभी श्रेणियों (स्टेज गाड़ी परमिट को छोड़कर) के लिए परमिट जारी करने के लिए जिला परिवहन कार्यालय को शक्तियाँ प्रत्यायोजित कीं, ताकि कोई भी वाहन बिना वैध परमिट के सड़क पर परिचालित न हो सके।

आगे, विभिन्न वर्गों के वाहनों के स्थायी परमिट देने से संबंधित विभिन्न प्रकार के शुल्क बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के नियम 74 के प्रावधान के अनुसार लगाए जा सकते हैं, जो मई 2017 से प्रभावी हो गए। इसके अलावा, अनुबंध गाड़ी के संबंध में

---

17 *किसी मोटर वाहन पर लगाए गये करों या शुल्कों (त्रैमासिक या वार्षिक) के भुगतान के बाद कर संग्रहकर्ता या अधिकृत कर्मचारी द्वारा करदाता को जारी किया गया एक टोकन या कार्ड या प्रमाण–पत्र।*

18 *नमूना जाँच की गई 21,543 परमिट वाहनों में से ।*

स्थायी परमिट देने के लिए अक्टूबर 1996 से देय शुल्क के 50 प्रतिशत की दर से अधिभार भी लगाया जाता है।

लेखापरीक्षा ने नमूना–जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालय में डीलर पॉइंट्स के माध्यम से पंजीकृत परिवहन वाहनों को परमिट प्रदान करने से संबंधित स्थायी परमिट जारी रिपोर्ट और रजिस्टर की जाँच की। जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया गया कि 408 अधिकृत डीलरों के द्वारा किए गए आवेदनों के आधार पर अप्रैल 2019 और मार्च 2024 के बीच कुल 89,629 परिवहन वाहन पंजीकृत किए गए थे। इन वाहनों के पंजीकरण के समय संबंधित जिला परिवहन कार्यालय को यह सुनिश्चित करना था कि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के साथ–साथ इन वाहनों को स्थायी परमिट जारी किए जाएं। हालांकि, संबंधित जिला परिवहन कार्यालय ने इन 89,629 वाहनों में से 42,121 परिवहन वाहनों[19] (47 प्रतिशत) को स्थायी परमिट प्रदान किए बिना पंजीकृत किया।

इन परिवहन वाहनों ने बिहार के किसी भी परिवहन प्राधिकार को स्थायी परमिट के लिए आवेदन नहीं किया। स्थायी परमिट जारी किए बिना परिवहन वाहन को पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी/प्रदान करने से न केवल ₹28.09 करोड़ ***(परिशिष्ट–11)*** की राशि के सरकारी राजस्व की हानि हुई, बल्कि संबंधित जिला परिवहन कार्यालय द्वारा विभाग के निर्देशों के अपर्याप्त अनुपालन को भी दर्शाया।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि: (i) बिहार के सभी जिला परिवहन कार्यालयों को वाहन के पंजीकरण के समय 25 नवम्बर 2020 से सभी वाणिज्यिक परिवहन वाहनों को परमिट देने का निर्देश दिया गया था। (ii) सीतामढ़ी, गोपालगंज और गया में, वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण के समय पर परमिट जारी करने में 16 प्रतिशत और 98 प्रतिशत के बीच की वृद्धि हुई थी और (iii) बांका और पटना के मामले में, सभी वाहन डीलरों को वाहन के पंजीकरण के समय परमिट शुल्क जमा करने के लिए सूचना जारी किए गए थे।

विभाग के उत्तर में, उन 42,121 वाणिज्यिक परिवहन वाहनों के मामले में उनके द्वारा की गई कार्रवाइयों का उल्लेख नहीं था, जहाँ परमिट प्रदान सुनिश्चित किए बिना पंजीकरण हुआ था और ये बिना परमिट के चल रहे थे।

3.4.3 मालवाहक गाड़ियों के लिए राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण न होना

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 87 में प्रावधान है कि राष्ट्रीय परमिट के लिए एक प्राधिकार हर साल बनाया जाएगा और एक समय में केवल एक वर्ष के लिए वैध होगा। एक वाहन के राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार के लिए अप्रैल 2012 से ₹1,000 प्रति वर्ष के प्राधिकार और गृह राज्य प्राधिकार शुल्क के लिए ₹16,500 प्रति वर्ष का समग्र शुल्क लगाया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाँच नमूना–जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों[20] के *'वाहन'* डेटाबेस में राष्ट्रीय परमिट रजिस्टर[21] की जाँच की और पाया कि 3,529 मालवाहक गाड़ियों का (जुलाई 2022 और अगस्त 2024 के बीच) उनके राष्ट्रीय परमिट का प्राधिकार नवीनीकरण नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ई–चालान

---

19 *माल वाहक गाड़ी 394; मैक्सी कैब: 996; तिपहिया (यात्री): 31,319 और ट्रैक्टर (वाणिज्यिक): 9,412।*

20 *बांका, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पटना और सीतामढ़ी।*

21 *राष्ट्रीय परमिट रजिस्टर में, वाहन का विवरण और परमिट विवरण जैसे वाहन पंजीकरण सख्या, पंजीकरण तिथि परमिट संख्या, परमिट जारी करने की तारीख, वैधता, आच्छादित क्षेत्र और वसूल किया गया शुल्क आदि का उल्लेख होता है।*

सॉफ्टवेयर[22] पर इन वाहनों के लिए ई–चालान विवरण की जाँच की और पाया कि राष्ट्रीय परमिट के तहत आच्छादित, 3,529 मालवाहक गाड़ियों में से 127 बिना नवीनीकरण के सड़कों पर (जुलाई 2022 और अगस्त 2024 के बीच)। उनकी राष्ट्रीय परमिट का प्राधिकार वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी चल रही थी। हालांकि, इन वाहनों ने न तो अपने प्राधिकार/राष्ट्रीय परमिट का नवीनीकरण किया, न ही उन्होंने परमिट का समर्पण किया।

हालांकि, आवश्यक जानकारी *'वाहन'* सॉफ्टवेयर में भी उपलब्ध थी, संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों के साथ–साथ विभाग के प्रवर्तन शाखा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192 के अनुसार इन वाहनों का पता नहीं लगाया। संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों ने संबंधित परमिट रद्द करने के लिए इन परमिट धारकों को नोटिस जारी नहीं किया। राष्ट्रीय परमिट रजिस्टर (ऑनलाइन और मैनुअल रूप से बनाए रखा गया) को संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा नियमित रूप से अद्यतन और जाँच किया जाना था, लेकिन संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों ने अप्रैल 2019 से मार्च 2024 के दौरान न तो अद्यतन किया और न ही भौतिक रूप से इसकी जाँच की। यह एक नियंत्रण तंत्र की अनुपस्थिति और निगरानी में कमियों को दर्शाता है, विशेष रूप से कालातीत राष्ट्रीय परमिट के नवीनीकरण के संबंध में। परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय परमिट प्राधिकार शुल्क (समग्र शुल्क सहित प्राधिकृत करने वाले राज्य को भुगतान किया जाने वाला गृह प्राधिकार शुल्क और लेनदेन शुल्क) ₹26.46 लाख की राशि वसूल नहीं की गई थी ***(परिशिष्ट–12)***।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि: (i) जिला परिवहन कार्यालय सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, बांका, गोपालगंज ने क्रमशः 06, 01, 04 और 07 वाहनों के राष्ट्रीय परमिट को नियमित किया था। शेष मामलों में, वाहन मालिकों को राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकरण के लिए नोटिस जारी किए गए थे और (ii) जिला परिवहन कार्यालय पटना के मामले में, राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार के लिए सभी वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ही कार्रवाई शुरू की थी। इसके अलावा, उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

3.4.4 मालवाहक गाड़ियों और अनुबंध गाड़ियों को अनियमित परमिट प्रदान करना

भारत सरकार द्वारा अधिनियमित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 79 में प्रावधान है कि एक अनुबंध गाड़ी और एक मालवाहक गाड़ी परमिट पूरे राज्य में वैध होने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 74 में प्रावधान है कि किसी भी क्षेत्र या मार्ग के संबंध में परमिट आवेदन में निर्दिष्ट होने के बाद ही दिया जाएगा। विभाग की अधिसूचना (मई 2017) के अनुसार, पूरे राज्य में वैध अनुबंध गाड़ियों और मालवाहक गाड़ियों के लिए स्थायी परमिट के लिए शुल्क, एक विशिष्ट क्षेत्र/क्षेत्रों के लिए जारी स्थायी परमिट से अधिक था।

लेखापरीक्षा ने चार जिला परिवहन कार्यालयों[23] में 3,774 नमूना जाँच किए गए वाहनों के लिए स्थायी परमिट रिपोर्ट और रजिस्टर से संबंधित अभिलेखों की जाँच की गई। जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि ट्रैक्टरों (वाणिज्यिक वाहनों) को 1,079 स्थायी मालवाहक गाड़ी परमिट दिए गए थे, जबकि मोटर कैब को 66 परमिट दिए गए थे। हालांकि जिला परिवहन कार्यालयों को वाहन मालिकों से इस उद्देश्य के लिए आवेदन लेने के बाद ही

---

22 *परिवहन प्रवर्तन अधिकारियों और यातायात पुलिसकर्मियों के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से वेब इंटरफेस के साथ एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। यह एप्लिकेशन 'वाहन' और 'सारथी'/सॉफ्वेयर के साथ एकीकृत।*

23 *बांका, पूर्वी चंपारण, गया और पटना।*

किसी क्षेत्र के लिए स्थायी परमिट देना था, हालांकि, संबंधित जिला परिवहन कार्यालय ने इन 1,145 मामलों में परमिट देते समय, इन वाहनों के मालिकों से उस उद्देश्य के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं किया और निर्धारित शुल्क प्राप्त करने के बाद, एक क्षेत्र के लिए अनियमित रूप से परमिट दिए। इन वाहनों को राज्य भर में उनकी वैधता के साथ स्थायी परमिट देने से राज्य को अधिक राजस्व का वसूली होता। इस प्रकार, पूरे राज्य के स्थान पर सीमित क्षेत्र के लिए मालवाहक गाड़ी के लिए स्थायी परमिट जारी करने/देने के परिणामस्वरूप परमिट शुल्क की कम वसूली हुई। इससे ₹48.05 लाख ***(परिशिष्ट–13)*** की राजस्व हानि हुई।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि वाहनों के पंजीकरण के समय, संबंधित डीलरों ने वाहन मालिकों की माँग के आधार पर परमिट शुल्क एकत्र किया और तदनुसार, एक या अधिक क्षेत्रों के लिए परमिट दिए जा रहे थे। इसके अलावा, जिला परिवहन कार्यालयों पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), गया, बांका और पटना के अनुसार, किसी क्षेत्र के लिए परमिट देने के मामले में वाहन मालिकों को केवल एक विशेष क्षेत्र के लिए शुल्क का भुगतान करना पड़ता था। इस प्रकार, विशेष क्षेत्र के लिए परमिट जारी किए गए थे।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पूरे राज्य के स्थान पर एक क्षेत्र के लिए परमिट वाहन के मालिक के अनुरोध के बिना परमिट देना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन था, जो प्रावधित करता है कि पूरे राज्य में एक मालवाहक गाड़ी परमिट दिया जायेगा।

3.4.5 आयु समाप्त मालवाहक गाड़ियों को अनियमित रूप से राष्ट्रीय परमिट प्रदान करना

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 88 में कहा गया है कि मालवाहक (मल्टी एक्सेल के अलावा) जो 12 साल से अधिक पुराना है, के संबंध में कोई राष्ट्रीय परमिट नहीं दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने *'वाहन'* सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत/प्रदान राष्ट्रीय परमिट डेटा के जाँच की और पाया कि दो जिला परिवहन कार्यालयों[24] के मामले में नमूना जाँच के, 2,889 वाहनों में से 124 मालवाहक गाड़ियों की आयु 12 वर्ष से अधिक थी। इसके बावजूद, **तालिका 3.3** में वर्णित इन आयु समाप्त मालवाहक गाड़ियों को राष्ट्रीय परमिट अनियमित रूप से दिए गए थे।

तालिका 3.3: आयु समाप्त मालवाहक गाड़ियों को दिए गए राष्ट्रीय परमिट

जिला परिवहन कार्यालय का नाम	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	राष्ट्रीय परमिट के साथ आयु समाप्त वाहनों की संख्या	राष्ट्रीय परमिट जारी करने की अवधि		वाहनों की आयु (वर्षों में)
गया	815	42	अप्रैल 2023	मार्च 2024	12 से 14
पटना	2,074	82	फरवरी 2023	मार्च 2024	12 से 15
कुल	**2,889**	**124**			

आयु समाप्त वाहनों को राष्ट्रीय परमिट प्रदान करना न केवल अनियमित है, बल्कि यह सड़क सुरक्षा के लिए भी जोखिम पैदा करता है।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के तहत निर्धारित वाहन की आयु के अनुसार राष्ट्रीय परमिट प्रदान किया जा रहा था। इसके अलावा,

[24] *गया और पटना।*

16 जनवरी 2023 की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के आलोक में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को चलाना प्रतिबंधित कर दिया गया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन सभी 124 मामलों में, ऐसे वाहनों को राष्ट्रीय परमिट दिया गया था जिनकी आयु राष्ट्रीय परमिट देने के लिए स्वीकृत आयु सीमा से अधिक थी।

3.5 निष्कर्ष और अनुशंसाएँ

इस प्रकार, निर्दिष्ट तिथि के बाद भारत स्टेज IV वाहनों के पंजीकरण सहित राज्य में परिवहन वाहनों के लिए पंजीकरण और परमिट प्रक्रिया में नए खरीदे गए अपंजीकृत वाहनों के लिए सर्वक्षमा योजना का अनियमित लाभ उठाने के कारण राजस्व की हानि, वाहनों के वित्तीय बकाया का समायोजन के बिना जमा प्रमाण–पत्र जारी करना, वैध दस्तावेजों के बिना स्थायी परमिट धारक वाहनों को चलाना, परमिट के प्रदान को सुनिश्चित किए बिना नए परिवहन वाहनों का पंजीकरण, माल गाड़ियों और अनुबंध गाड़ियों आदि के लिए अनियमित परमिट देना आदि में महत्वपूर्ण विसंगतियाँ और अनियमितताएँ थीं। इसके अलावा, 'वर्तमान पते' में परिवर्तन, वाहनों के पंजीकरण, नीलाम वाहनों के स्वामित्व के हस्तांतरण आदि के मामलों में राजस्व की कम वसूली की घटनाएँ थी। आगे, एममुश्त कर के विलंबित भुगतान के लिए गैर–परिवहन वाहनों पर अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान नहीं था। अपर्याप्त नियंत्रण तंत्र भी दिखाई दिया क्योंकि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को '*वाहन*' में ठीक से मैप नहीं किया गया था और कर पर अर्थदंड लगने से बचने के लिए अधिकृत डीलरों द्वारा वाहनों की गलत खरीद की तारीख के प्रवृष्टि की घटनाएँ थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, विभाग निम्नलिखित अनुशंसाओं पर विचार कर सकता है:

अनुशंसा 3: विभाग सरकारी खजाने के नुकसान को रोकने के लिए डीलर–पॉइंट पर पंजीकरण की निगरानी के लिए एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र की स्थापना सुनिश्चित कर सकता है।

अनुशंसा 4: विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि 'वर्तमान पते' में परिवर्तन के मामले में, वाहन मालिक पिछले पंजीकरण अधिकारियों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को अपलोड करके वाहन पोर्टल के माध्यम से वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन करता है और मानवीय हस्तक्षेपों से बचता है।

अनुशंसा 5: विभाग सभी वित्तीय बकाया के समायोजन पर ही पंजीकृत वाहन स्क्रेपिग सुविधा द्वारा जमा प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित कर सकता है।

अनुशंसा 6: विभाग डीलर–पॉइंट पर सभी परिवहन वाहनों को परमिट जारी करना सुनिश्चित कर सकता है और 'वाहन' सॉफ्टवेयर में आवश्यक सत्यापन नियंत्रण की व्यवस्था कर सकता है।

अध्याय–IV

परिवहन वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण–पत्र की स्वीकृति

अध्याय IV

4 परिवहन वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण–पत्र की स्वीकृति

4.1 स्वचालित परीक्षण केन्द्र द्वारा फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रदान करते समय निगरानी की कमी

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 189 में कहा गया है कि वाहनों को फिटनेस प्रमाण–पत्र का जारी करने और नवीनीकरण स्वचालित परीक्षण केन्द्र द्वारा केवल उसमें निर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार जाँच और परीक्षण करने के बाद किया जाएगा।

इसके अलावा, विभाग ने स्वचालित परीक्षण केन्द्र के माध्यम से वाहनों के फिटनेस परीक्षण करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की (जनवरी 2024)। इस मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, फिटनेस परीक्षण केवल स्वचालित उपकरण के माध्यम से किए जाने थे। इसके बाद, स्वचालित परीक्षण केन्द्र *'वाहन'* पोर्टल पर परीक्षण के परिणाम (रिपोर्ट) दर्ज करेगा। परीक्षण परिणाम और फिटनेस प्रमाण–पत्र की प्रतियाँ सक्षम क्षेत्रीय प्राधिकारी जैसे जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटर वाहन निरीक्षक (उनके प्रतिहस्ताक्षर के लिए) को डिजिटल रूप से अग्रेषित की जानी थीं।

मार्च 2024 तक, राज्य में कुल तीन स्वचालित परीक्षण केन्द्र थे, जिनमें से एक स्वचालित परीक्षण केन्द्र (जिला परिवहन कार्यालय, पटना के तहत गोल्डेन वाहन स्वचालित फिटनेस केंद्र) था, जो छः नमूना जाँच वाले जिलों के अन्तर्गत आता था। जिला परिवहन कार्यालय, पटना के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि स्वचालित परीक्षण केन्द्र ने 10 मार्च 2024 से 4 सितंबर 2024 के दौरान 3,600 फिटनेस परीक्षण किए और इन सभी वाहनों को इन परीक्षणों के दौरान सफल दिखाया गया। स्वचालित परीक्षण केन्द्र ने *'वाहन'* पोर्टल पर फिटनेस के परीक्षण परिणाम और प्रमाण–पत्र दोनों दर्ज किए। हालांकि, फिटनेस के इन प्रमाण–पत्रों में से कोई भी संबंधित मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं पाया गया।

इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने हल्के मोटर वाहन (25) और भारी माल वाहक (275) से संबंधित स्वचालित परीक्षण स्टेशन द्वारा *'वाहन'* पोर्टल पर दर्ज की गई 300 परीक्षण रिपोर्टों की जाँच की। परीक्षण रिपोर्टों की जाँच से पता चला है कि इन सभी 300 मामलों में, या तो परीक्षण स्वचालित उपकरण के माध्यम से नहीं किए गए थे या वाहनों ने फिटनेस का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए सभी अनिवार्य मानदंडों का पालन नहीं किया।

लेखापरीक्षा ने संबंधित मोटर वाहन निरीक्षक के साथ स्वचालित परीक्षण केन्द्र का एक संयुक्त भौतिक सत्यापन भी आयोजित किया (सितंबर 2024) जिसमें से दो वाहनों (WB76XXX26 और AR15XXX39) का फिटनेस परीक्षण किया गया था। यह देखा गया कि स्वचालित परीक्षण केन्द्र, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली में निर्धारित मापदंडों के अनुसार हल्के/भारी मोटर वाहनों के फिटनेस परीक्षण नहीं कर रहा था, जैसाकि इन मामले में है:

(क) WB76XXX26 (हल्के मोटर वाहन) – स्वचालित तरीके से सात[1] फिटनेस परीक्षण नहीं किए गए।

(ख) AR15XXX39 (भारी माल वाहक) – हालांकि केवल यात्री वाहनों के लिए आवश्यक है, 'वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस' और 'व्हीलचेयर के लिए व्हीलचेयर/हाउसिंग लॉकिंग व्यवस्था' आदि जैसे मापदंडों को 'ओके' (अर्थात, इन मापदंडों पर सफल वाहन) के रूप में चिह्नित किया गया था, जो स्वचालित परीक्षण केन्द्र सॉफ्टवेयर में सत्यापन नियंत्रण जाँच की कमी को दर्शाता है।

उपरोक्त अनियमितताओं से संकेत मिलता है कि विभागीय अधिकारियों ने विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया की निगरानी/अनुपालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप स्वचालित प्रणाली का उपयोग किए बिना और सभी निर्धारित मानको के अनुसार परीक्षण किए बिना फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी किए गए।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में संबंधित स्वचालित परीक्षण केन्द को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।

4.2 ऑनलाइन परीक्षण समय की बुकिंग और निर्धारित मापदंडों को पूरा किए बिना वाहनों को फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करना/नवीनीकरण करना

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 62 में प्रावधान है कि फिटनेस प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण निरीक्षण अधिकारी द्वारा इस नियम के तहत निर्दिष्ट परीक्षणों को पूरा करने के बाद ही किया जाएगा। इसके अलावा, पूर्वोक्त नियमावली के नियम 181 के उप नियम 1 और 3 (जैसा कि सितंबर 2021 में अधिसूचित किया गया है) और विभागीय निर्देश (फरवरी 2023) ने पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी स्वचालित परीक्षण केन्दों पर फिटनेस परीक्षण के लिए परीक्षण समय की बुकिंग और परीक्षण समय की बुकिंग का समय, वाहन दस्तावेजों जैसे पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति, वैध बीमा और अंतिम वैध परमिट अपलोड करना निर्धारित की।

लेखापरीक्षा ने सभी छः नमूना–जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों में *'वाहन'* डेटाबेस में फिटनेस जारी करने/नवीनीकरण के रिपोर्ट की जाँच की और पाया कि अप्रैल 2019 से मार्च 2024 के दौरान, 2,04,082 वाहनों को फिटनेस प्रमाण–पत्र दिए गए थे। इनमें से, मार्च 2023 से मार्च 2024 के दौरान, 47,223 वाहनों को फिटनेस प्रमाण–पत्र दिए गए। इन 47,223 वाहनों में से, संबंधित मोटर वाहन निरीक्षक ने 42,672 (90.36 प्रतिशत) वाहनों को फिटनेस प्रदान की, जहाँ फिटनेस का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए परीक्षण समय के लिए, ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया। यह न केवल केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली (जो ऑनलाइन आवेदन को अनिवार्य बनाता है) और विभागीय निर्देशों का संबंधित मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा का उल्लंघन था, बल्कि *'वाहन'* सॉफ्टवेयर में विभागीय निर्देशों की अनुचित मैपिंग का भी संकेत था।

इसके अलावा, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, संबंधित मोटर वाहन निरीक्षक के साथ (जुलाई 2024 से सितंबर 2024) आयोजित किया गया, लेखापरीक्षा ने फिटनेस परीक्षण के संचालन में कई विसंगतियों को पाया, जैसा कि **तालिका 4.1** में वर्णित है।

---

[1] *(i) बाएँ हैण्डलैम्प डिप्ड बीम उर्ध्वाधरी विचलन (ii) दाएँ हैण्डलैम्प डिप्ड बीम (iii) निकास गैस उत्सर्जन (iv) स्टेरिंग गीयर फ्री प्ले (अंश) (v) पार्किंग ब्रेक दक्षता (vi) निकास शोर परीक्षण एवं हॉर्न परीक्षण और (vii) गति नियंत्रक उपकरण संख्या परीक्षण रिपोर्ट में दर्ज नहीं था।*

तालिका 4.1: नमूना जिला परिवहन कार्यालयों में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखी गई अनियमितताओं का विवरण

जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि	पायी गई अनियमितताऐं
बांका	06 अगस्त 2024	चूँकि वाहनों के फिटनेस परीक्षण का निरीक्षण करने के लिए कोई उचित स्थान नहीं था, इसलिए संबंधित मोटर वाहन निरीक्षक को सड़क किनारे जिला परिवहन कार्यालय भवन के सामने वाहनों का निरीक्षण करना पड़ा, जो इस तरह के निरीक्षण करने के लिए एक उचित स्थान नहीं था।
पूर्वी चंपारण	23 जुलाई 2024	संबंधित मोटर वाहन निरीक्षक ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 62 के उल्लंघन में स्वीकृत लदान भार और परावर्तक पट्टी के लगाने को सुनिश्चित किए बिना 97 फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रदान किए।
गया	25 जुलाई 2024	
गोपालगंज	20 अगस्त 2024	
पटना	03 सितम्बर 2024	
सीतामढ़ी	30 अगस्त 2024	संबंधित मोटर वाहन निरीक्षक ने सड़क के किनारे फिटनेस परीक्षण किए जो इस तरह के परीक्षण करने के लिए एक उचित स्थान नहीं था।

चित्र 7: सड़क किनारे आयोजित किए जा रहे वाहनों का फिटनेस परीक्षण (जिला परिवहन कार्यालय, बांका के भवन के सामने)

चित्र 8: स्वीकृत लदान भार के बिना वाहन (जिसे फिटनेस प्रमाण–पत्र दिया गया था), (जिला परिवहन कार्यालय, पूर्वी चम्पारण)

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025): (i) संबंधित मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा परीक्षण स्थल के अक्षांश और देशांतर जिसे ऐप में मैप किया गया था का पता लगाने के बाद 'फिटनेस ऐप' के माध्यम से वाहनों का फिटनेस परीक्षण किया गया था, (ii) फिटनेस प्रमाण–पत्र केवल उन वाहनों को जारी किए गए जो मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार सभी मापदंडों को पूरा करते थे और (iii) बांका में, जिला परिवहन कार्यालय के भवन के 500 मीटर के भीतर फिटनेस परीक्षण किया जा रहा था और सीतामढ़ी में यह चालक परीक्षण ट्रैक के परिसर में आयोजित किया जा रहा था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया था कि: (i) ऐसे वाहनों के लिए भी फिटनेस परीक्षण किए गए थे जिनके लिए परीक्षण–समय को ऑनलाइन बुक नहीं किया गया था (ii) बांका और सीतामढ़ी में सड़क के किनारे फिटनेस परीक्षण किए जा रहे थे और (iii) गया, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण एवं पटना में, ऐसे वाहनों को भी फिटनेस प्रमाण–पत्र दिए गए थे जो सभी फिटनेस मापदंडों का पालन नहीं करते थे।

4.3 वैध फिटनेस प्रमाण–पत्र के बिना परिवहन वाहनों का परिचालन

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 62 में कहा गया है कि एक परिवहन वाहन को तब तक वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके पास फिटनेस का प्रमाण–पत्र न हो। एक नए पंजीकृत परिवहन वाहन के संबंध में दिया गया फिटनेस प्रमाण–पत्र दो साल के लिए वैध है और आठ साल तक पुराने वाहनों के लिए हर दो साल में नवीनीकृत किया जाना आवश्यक है। इसके बाद, फिटनेस प्रमाण–पत्र का हर साल नवीनीकरण किया जाना है। फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए 29 दिसंबर 2016 से तिपहिया वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के लिए ₹400 और भारी मोटर वाहनों के लिए ₹600 का निर्धारित परीक्षण शुल्क लगाया जाना था। इसके अलावा, सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए ₹200 का नवीनीकरण शुल्क भी लगाया जाना था। लेखापरीक्षा ने सभी नमूना जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों में *'वाहन'* डेटाबेस में फिटनेस समाप्त रिपोर्ट की जाँच की और पाया कि जनवरी 2010 और नवंबर 2018 के बीच पंजीकृत 66,345 नमूना जाँचित वाहनों में से 35,921 परिवहन वाहनों[2] ने वैध फिटनेस प्रमाण–पत्र के बिना (अप्रैल 2019 और मार्च 2024 के बीच) चल रही थी। इन 35,921 मामलों में से किसी में भी, इन वाहनों के किसी अन्य राज्य में स्थानान्तरण ('अनापत्ति प्रमाण–पत्र' के माध्यम से), निवास के परिवर्तन, पंजीकरण प्रमाण–पत्र के समर्पण या संबंधित जिला परिवहन कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में वाहन को न चलाने की सूचना के साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं पाए गए। इसने दर्शाया कि ये वाहन राज्य के संबंधित जिला परिवहन कार्यालय के साथ पंजीकृत थे और अभी भी सड़क पर चल रहे थे। इसलिए, इन वाहनों को निर्धारित परीक्षण शुल्क और फिटनेस नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करने के बाद अपने फिटनेस प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण करवाना था।

यह देखा गया कि *'वाहन'* सॉफ्टवेयर में फिटनेस की समाप्ति के बारे में जानकारी उपलब्ध थी, लेकिन संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों/मोटर वाहन निरीक्षकों ने ऐसे मामलों पर कोई कार्रवाई या समीक्षा नहीं की। इसके अलावा, वाहन मालिकों को ऐसे मामलों में जहाँ फिटनेस प्रमाण पत्र समाप्त हो गए थे कर का भुगतान करने से रोकने के लिए बीमा/प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण–पत्र जारी करने/नवीनीकरण के लिए आवेदन करने से रोकने के लिए *'वाहन'* सॉफ्टवेयर में कोई जाँच उपलब्ध नहीं थी।

यह भी देखा गया कि 2,683 वाहनों को वैध फिटनेस प्रमाण–पत्र की उपलब्धता के बिना मोटर वाहन कर का भुगतान करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, उपरोक्त में से 597 वाहनों पर प्रवर्तन गतिविधि के दौरान, जुर्माना लगाया गया था, इन वाहनों को जब्त करने और फिटनेस के बारे में संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों को सूचित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों ने भी मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1988 की धारा 53 में निर्धारित इन वाहनों के पंजीकरण के निलंबन के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की।

सड़क पर अनुपयुक्त परिवहन वाहनों के चलने से न केवल सड़क और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हुआ, बल्कि फिटनेस के जारी/नवीनीकरण शुल्क के रूप में ₹ 2.27 करोड़ की राजस्व से सरकार को भी वंचित कर दिया ***(परिशिष्ट–14)***।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अप्रैल 2025) कि लेखापरीक्षा अवलोकन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला परिवहन कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए थे। जिला परिवहन कार्यालय, पूर्वी चंपारण के मामले में, यह कहा

---

[2] *मालवाहक 12,501: स्टेज कैरेज़ 844: मैक्सी/मोटर कैब 3,336: तिपहिया (यात्री) 12,290: एवं ट्रैक्टर (वाणिज्यिक): 6,950।*

गया था कि कानून के अनुसार, दंडात्मक कार्रवाई के लिए प्रवर्तन शाखा को वाहनों की एक सूची उपलब्ध कराई गई थी।

4.4 निष्कर्ष और अनुशंसा

इस प्रकार, परिवहन वाहनों को फिटनेस प्रमाण–पत्र देने में अनियमितताएं थीं, जिसमें फिटनेस प्रमाण–पत्र देने में स्वचालित परीक्षण केन्द्रों की निगरानी की कमी, वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितता, और वैध फिटनेस प्रमाण–पत्र के बिना परिवहन वाहनों को चलाना, अधिनियमों के प्रावधानों का और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन। लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर विभाग निम्नलिखित अनुशंसा पर विचार कर सकता है:

अनुशंसा 7: विभाग वाहनों को जब वे उसमें निर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार स्वचालित परीक्षण केन्द में जाँच और परीक्षण सफल हो चुके हों तभी फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रदान करना सुनिश्चित कर सकता है।

अध्याय–V

मोटर वाहन करों और शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण

अध्याय V

5 मोटर वाहन करों और शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण

5.1 बैंक खाते में सरकारी राजस्व का भंडारण

बिहार वित्तीय नियमवली, 2005 के नियम 37 में कहा गया है कि सभी लेनदेन बिना किसी विलम्ब के खाते में लाए जाने चाहिए और प्राप्त धन को तुरंत सरकारी खाते में जमा किया जाना चाहिए। विभाग के आगे के निर्देश (फरवरी 2020) यह निर्धारित करते हैं कि संग्रह की गई राशि को लेनदेन के अगले दिन ऑनलाईन सरकारी रसीद लेखा प्रणाली[1] के माध्यम से सरकारी खाते में प्रेषित कर दिया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों की दैनिक नकद संग्रह, बैंक विवरण और प्रेषण रजिस्टरों की जाँच की (सितंबर 2024)। जाँच के दौरान यह पाया गया कि जुलाई 2021 से फरवरी 2024 के बीच, जिला परिवहन कार्यालय, पटना ने डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से ₹45.06 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया और इसे संबंधित बैंक के पास जमा कर दिया। संबंधित बैंक को जिला परिवहन कार्यालय, पटना के खाते में राशि जमा करनी थी, जो इसे सरकारी खाते में प्रेषित करता था। हालांकि, ₹ 45.06 लाख के कुल संग्रह में से केवल, ₹16.11 लाख की कर प्राप्तियाँ जिला परिवहन कार्यालय के बैंक खाते में जमा की गई थीं (जो अभी सरकारी खाते में प्रेषित की जानी थी)। 24 सितंबर 2024 तक संबंधित बैंक द्वारा जिला परिवहन कार्यालय के बैंक खाते में अभी भी ₹ 28.95 लाख की शेष राशि जमा नहीं की गई थी।

सरकारी खाते में राजस्व जमा न होने से राज्य सरकार उस सीमा तक राजस्व से वंचित रहा।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अप्रैल 2025) कि जिला परिवहन कार्यालय के बैंक खाते में राजस्व जमा करने के लिए बैंक द्वारा ₹ 40.01 लाख की राशि के 28 डिमांड ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई थी और यह राशि सरकारी खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी। इसके अलावा, शेष चार डिमांड ड्राफ्ट की निकासी के लिए बैंक को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया था कि सरकारी धन को नामित सरकारी खाते में स्थानांतरित करने में लंबे समय तक देरी के लिए संबंधित जिला परिवहन कार्यालय के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई थी या नहीं। इसके अलावा, सरकारी राजस्व जमा करने की पुष्टि करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया।

5.2 एकमुश्त कर का अल्प आरोपण और संग्रहण

विभाग की अधिसूचना के साथ पठित बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 7 में यह निर्धारित किया गया है कि वाहन के पंजीकरण के समय एकमुश्त कर वाहन के पूरे जीवन के लिए प्रत्येक पंजीकृत वाहन मालिक द्वारा निर्धारित दरों पर देय है। इसके अलावा, बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4 में उन मामलों में अधिदेश दिया गया है जहाँ कोई पूर्व कर का भुगतान नहीं किया गया है, कर का भुगतान करने की देयता मोटर वाहन के अधिग्रहण की तिथि से उत्पन्न होती है। भुगतान में 15 दिनों से अधिक की देरी पर देय कर के 25 से 200 प्रतिशत तक का जुर्माना लगता है।

---

[1] *ऑनलाईन सरकारी रसीद लेखा प्रणाली बिहार सरकार की एक पहल है जो ऑनलाईन और मैनुअल दोनों मोड में कर/गैर कर राजस्व के संग्रह की सुविधा प्रदान करती है।*

5.2.1 डीलर पॉइंट के माध्यम से पंजीकृत वाहनों के लिए डीलरों द्वारा एकमुश्त कर का कम भुगतान

उक्त **कडिका 5.2** में उल्लिखित मानदंडों के आलोक में, लेखापरीक्षा ने *'वाहन'* डेटाबेस में उपलब्ध चार जिला परिवहन कार्यालयों[2] में 18 अधिकृत डीलरों के डीलर पॉइंट पंजीकरण अभिलेख की जाँच की। जाँच के दौरान यह पाया गया कि इन 18 अधिकृत डीलरों ने अगस्त 2019 से जनवरी 2024 के दौरान 210 नए वाहनों[3] (27,714 नमूना जाँच मामलों में से) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण लागू किया। पंजीकरण के समय इन 210 वाहनों के लिए 15 वर्षों के लिए एकमुश्त कर का भुगतान किया जाना था। हालांकि, संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों ने अनिवार्य एकमुश्त कर के बजाय केवल एक या पाँच साल के लिए मोटर वाहन कर संग्रह करने के बाद पूरी 15 साल की अवधि के लिए पंजीकरण को मंजूरी दी।

यदि संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों ने एकमुश्त कर संग्रह किया होता तो उन्होंने ₹ 18.73 लाख की राशि का मोटर वाहन कर संग्रह किया होता। इस प्रकार उन्हें ₹ 11.88 लाख की कम राजस्व राशि का संग्रह हुआ। इसके अलावा, तिमाही/वार्षिक रूप से मोटर वाहन कर के संग्रह के कारण, कर 251 दिनों से 1,831 दिनों के बीच की अवधि के लिए बकाया रहा और ₹23.77 लाख की राशि के अर्थदण्ड की संग्रह और वसूली के लिए उत्तरदायी था।

इस प्रकार, संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा एकमुश्त कर की वसूली के बिना वाहनों के पंजीकरण के अनुमोदन के परिणामस्वरूप ₹ 35.65 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई (कर: ₹11.88 लाख; देरी के लिए अर्थदण्ड: ₹23.77 लाख) ***(परिशिष्ट–15)***।

5.2.2 जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा वाहन मालिकों से एकमुश्त कर और एकमुश्त कर पर अर्थदण्ड की वसूली न करना

उक्त कंडिका 5.2 में उल्लिखित मानदंडों के आलोक में, लेखापरीक्षा ने सभी नमूना जिला परिवहन कार्यालयों के लिए *'वाहन'* डेटाबेस में एकमुश्त कर देय वाहनों से संबंधित अभिलेखों की जाँच की।

तदनुसार, दो जिला परिवहन कार्यालयों[4] में, 8,046 ऐसे वाहनों के डाटा की लेखापरीक्षा नमूना जाँच किए गए जिन्हें एक समय में मोटर वाहन कर का भुगतान करना था, जिनमें से 18 वाहन मोटर टैक्सी (परिवहन वाहन) थे। इन 18 पंजीकृत मोटर टैक्सियों के लिए, यह देखा गया कि मई 2019 और अप्रैल 2024 के दौरान, संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों ने एकमुश्त में इसे वसूल करने के स्थान पर तिमाही/वार्षिक आधार पर मोटर वाहन कर की अनियमित रूप से वसूली की। इसके बावजूद संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा इन वाहनों के जीवन काल (15 वर्ष) के लिए पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी किया गया था।

त्रैमासिक/वार्षिक आधार पर एकमुश्त कर के अनियमित संग्रह के कारण, संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा केवल ₹3.12 लाख का मोटर वाहन कर संग्रह किया जा सका। यदि उन्होंने एक समय में यह कर एकत्र किया होता, तो वे ₹16.26 लाख की मोटर वाहन कर संग्रह करते। इस प्रकार उन्हें इस अवधि (2019–2024) के दौरान ₹13.13 लाख की कम राजस्व प्राप्त हुआ। इसके अलावा, तिमाही/वार्षिक आधार पर मोटर वाहन कर के संग्रह के कारण, कर 110 दिनों से 1,900 दिनों के बीच की अवधि के लिए

---

2 *पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पटना एवं सीतामढ़ी।*

3 *185–ई–रिक्शा; 03–मोटर/मैक्सी कैब; 04–ट्रैक्टर (वाणिज्यिक); एवं 18–तिपहिया (यात्री)।*

4 *गया और पटना।*

बकाया रहा, जो ₹26.27 लाख की राशि के अर्थदण्ड के आरोपण और वसूली के लिए उत्तरदायी था।

इसलिए, तिमाही/वार्षिक रूप से मोटर वाहन कर के संग्रह के परिणामस्वरूप न केवल कम संग्रह हुआ, बल्कि बकाया हिस्से पर अर्थदण्ड की गैर–वसूली भी हुई, जिसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर ₹39.40 लाख ***(परिशिष्ट–16)*** राजस्व की कम वसूली हुई।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों ने शेष कर राशि की वसूली के लिए संबंधित वाहन डीलरों को माँग पत्र जारी किए थे।

5.2.3 निर्माण उपकरण वाहनों से मोटर वाहन कर की वसूली न करना

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 2 में कहा गया है कि एक निर्माण उपकरण वाहन जैसे उत्खनक, बुलडोजर, क्रेन आदि को गैर–परिवहन वाहन माना जाएगा। इसके अलावा, सरकार ने अधिसूचित (फरवरी 2022) किया कि निर्माण उपकरण वाहनों पर एकमुश्त मोटर वाहन कर एक्स–शोरूम मूल्य के छः प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। कर वाहन की बिक्री के समय लगाया जाना था। निर्माण उपकरण वाहनों के लिए जो इस अधिसूचना से पहले पंजीकृत थे, और त्रैमासिक/वार्षिक रूप से अपने मोटर वाहन कर का भुगतान किया था, उन्हें कर के शेष हिस्से को एक बार में जमा करना था। इसके अलावा, गैर–परिवहन वाहनों पर मोटर वाहन कर के विलंबित भुगतान पर अर्थदण्ड लगाने और वसूल करने का कोई प्रावधान नहीं था।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों में *'वाहन'* डेटाबेस की जाँच की और पाया कि छः नमूना जाँच किए गए जिलों में, 2,761 नमूना जाँच किए गए निर्माण उपकरण वाहनों में से, 1,255 को तिमाही/वार्षिक आधार पर मोटर वाहन कर की प्राप्ति के बाद, अप्रैल 2019 से सितंबर 2022 के बीच पंजीकृत किया गया। इसके अलावा, इन वाहनों पर मोटर वाहन कर की वसूली उनकी बिक्री के समय, सरकार की अधिसूचना (फरवरी 2022) से पहले की गई थी। इसलिए, इन वाहनों को एक समय में शेष मोटर वाहन कर का भुगतान करना था। हालांकि, इन वाहनों द्वारा ₹ 20.41 करोड़ की मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं किया और बकाया कर (सितंबर 2024 तक) की वसूली के लिए संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा इसके लिए कोई माँग पत्र नहीं जारी किया गया।

इसके अलावा, न तो जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा इन कर चूककर्त्ता वाहनों की एक सूची तैयार की गई और न ही विभाग के प्रवर्तन शाखा द्वारा इन वाहनों का पता लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 20.41 करोड़ की राशि के राजस्व की कम वसूली हुई ***(परिशिष्ट–17)***।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों ने शेष कर राशि की वसूली के लिए संबंधित वाहन मालिकों को माँग पत्र जारी किए थे।

5.3 वार्षिक मोटर वाहन कर भुगतान करने वाले परिवहन वाहनों से मोटर वाहन कर का उद्ग्रहण न करना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 5 और 9 में यह प्रावधान है कि पंजीकृत वाणिज्यिक परिवहन मोटर वाहनों के मालिकों को संबंधित कर अधिकारी को मोटर वाहन कर का भुगतान करना होगा। निवास/व्यवसाय में परिवर्तन के मामले में, वाहन मालिक पिछले कर अधिकारी से ''अनापत्ति प्रमाण–पत्र'' प्रस्तुत करने पर नए कर अधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है। इसके अलावा, बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 7(3) के अनुसार, वाणिज्यिक परिवहन मोटर वाहनों के मामले में, उस

तिमाही के लिए देय कर की वार्षिक दर पर एक या अधिक तिमाहियों के लिए मोटर वाहन कर का भुगतान किया जा सकता है।

उक्त कंडिका 5.2 में उल्लिखित मानदंडों के आलोक में, मोटर वाहन कर के भुगतान में 15 दिनों से अधिक की देरी के मामले में, देय कर के 25 से 200 प्रतिशत के बीच की दरों पर अर्थदण्ड लगाया जाना था।

इसके अलावा, बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 6क, मोटर वाहन करों[5] पर एक प्रतिशत की दर से, वार्षिक रूप से देय सड़क सुरक्षा उपकर लगाने का प्रावधान करती है। यदि कोई व्यक्ति समय पर सड़क सुरक्षा उपकर जमा करने में विफल रहता है, तो वह हर महीने या उसके हिस्से के लिए उपकर का भुगतान 2.5 प्रतिशत के अर्थदण्ड के साथ करेगा।

लेखापरीक्षा ने छः नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में *'वाहन'* डेटाबेस के पंजीकरण, कर चूककर्त्ता और कर तालिकाओं की जाँच की (अप्रैल 2019 से मार्च 2024) और पाया कि मोटर वाहन कर का भुगतान 7,649 परिवहन वाहनों के मालिकों द्वारा वार्षिक/त्रैमासिक रूप से किया जाना आवश्यक था। 35,292 वार्षिक कर भुगतान परिवहन वाहनों में से (जनवरी 2010 और फरवरी 2024 के बीच पंजीकृत) 7,649 वाहनों में से किसी में भी, संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में पते में परिवर्तन, पंजीकरण प्रमाण–पत्र के समर्पण या वाहनों के नही चलने का साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं पाया गया, यह दर्शाता है कि ये वाहन सड़कों पर चल रहे थे।

हालांकि, इनमें से किसी भी वाहन ने फरवरी 2019 और मार्च 2024 के बीच की अवधि से संबंधित अपने बकाया मोटर वाहन करों (₹16.70 करोड़) का भुगतान नहीं किया था। बकाया मोटर वाहन कर पर ₹33.39 करोड़ (कर राशि पर 200 प्रतिशत की दर से) का अर्थदण्ड लगाया जाना था। इसके अलावा, सड़क सुरक्षा उपकर और उपकर पर अर्थदण्ड, ₹0.31 करोड़ (सड़क सुरक्षा उपकर: ₹0.17 करोड़ और अर्थदण्ड: ₹0.14 करोड़) की राशि भी अप्राप्त रही।

संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों, ने हालांकि लागू कर/उपकर लगाने/वसूलने के लिए न तो निगरानी की और न ही *'वाहन'* सॉफ्टवेयर की समीक्षा की। इसके परिणामस्वरूप ***परिशिष्ट–18*** में दिए गए विवरण के अनुसार कर और अर्थदण्ड /जुर्माना ₹50.40 करोड़ (करः ₹ 16.70 करोड़, अर्थदण्डः ₹33.39 करोड़, सड़क सुरक्षा उपकर: ₹0.17 करोड़ और जुर्मानाः ₹0.14 करोड़) की कम वसूली हुई।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों ने संबंधित वाहन मालिकों को देय कर की वसूली के लिए माँग पत्र जारी किए थे। इसके अलावा, कर चूककर्त्ता वाहनों की सूची संबंधित जिला परिवहन कार्यालय के प्रवर्तन शाखा को देय कर की वसूली के निर्देशों के साथ उपलब्ध कराई गई थी।

5.3.1 वर्गीकरण के गलत आकलन के कारण स्टेज कैरेज़ पर मोटर वाहन कर का अल्प आरोपण

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, स्टेज कैरेज़ (बसों) को साधारण, अर्द्ध डीलक्स और डीलक्स श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया था। यह वर्गीकरण स्टेज कैरेज़ में सीटों की संख्या पर आधारित था, जो वाहनों के व्हीलबेस की लंबाई[6]

---

5 *वार्षिक कर देने वाले मोटर वाहन में 12 से ज्यादा सीट क्षमता वाले बस और 3,000 किलोग्राम से ज्यादा लोडेड भार वाले माल वाहक गाड़ी शामिल है।*

6 *डिलक्स वाहन के आगे और पीछे के चक्कों के बीच क्षैतिजिक दूरी है।*

(परिशिष्ट–19) के अनुसार आया था। उक्त अधिनियम के अनुसार, 142 इंच से 228 इंच के बीच व्हीलबेस वाले स्टेज कैरेज़ पर ही मोटर वाहन कर का प्रावधान था।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों में *'वाहन'* डेटाबेस में स्टेज कैरेज़ के पंजीकरण और कर भुगतान से संबंधित डेटा की जाँच की। यह पाया कि पंजीकरण अधिकारियों ने 2,571 नमूना–जाँच की गई स्टेज कैरेज़ में से 641 के लिए कर की गणना की थी, जिसमें 142 इंच से 228 इंच के बीच व्हीलबेस था और इन्हें सबसे कम श्रेणी की बसों अर्थात, 'साधारण' के तहत पंजीकृत किया गया था। यह इस तथ्य के बावजूद था कि इन स्टेज कैरेज़ को उनके व्हीलबेस की लंबाई के अनुसार आने वाली सीटों की संख्या के आधार पर या तो *'डीलक्स'* (169 वाहन) या 'सेमी डीलक्स' (472 वाहन) श्रेणियों के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए था। संबंधित पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा स्टेज कैरेज़ की श्रेणी के गलत आकलन के परिणामस्वरूप ₹1.43 करोड़[7] तक कर की कम वसूली हुई ***(परिशिष्ट–20)***।

इसके अलावा, 228 इंच से अधिक के व्हीलबेस के साथ स्टेज कैरेज़ (नमूना–जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालय में 269 मामले) और 142 इंच से कम (नमूना–जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालय में 896 मामले) पर मोटर वाहन कर के आकलन के लिए कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं थे परिणामस्वरूप, ऐसे वाहनों पर मोटर वाहन कर को सही दर से आकलन नहीं किया जा सका।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि कर के शेष भाग की वसूली के लिए वाहन मालिकों को माँग पत्र जारी किए गए थे।

हालांकि, विभाग के उत्तर में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि भविष्य में इन वाहनों से मोटर वाहन कर की सही आरोपण और संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए कोई सुधारात्मक उपाय किए जा रहे थे या नहीं। इसके अलावा, 228 इंच से अधिक और 142 इंच से कम व्हीलबेस के साथ स्टेज कैरेज़ से मोटर वाहन कर आरोपण और संग्रह के प्रावधानों की अनुपस्थिति का भी समाधान नहीं किया गया था।

5.3.2 परिवहन वाहनों से हरित कर और अर्थदण्ड वसूली न करना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 5(6) में प्रावधान है कि हरित कर, देय कर के 10 प्रतिशत की दर से, एक पंजीकृत परिवहन वाहन जो 12 वर्ष से अधिक पुराना है, तिपहिया वाहन, ट्रैक्टर और ट्रेलर को छोड़कर के मालिक द्वारा देय होगा इसके अलावा, उक्त कंड़िका 5.2 में उल्लिखित मानदंडों के आलोक में, यदि परिवहन वाहन का कर 15 से अधिक दिनों तक बकाया रहता है, तो कर अधिकारी देय कर के 25 प्रतिशत से 200 प्रतिशत के बीच की दरों पर अर्थदण्ड लगा सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा पाँच जिला परिवहन कार्यालयों[8] में 'वाहन' डेटाबेस की जाँच से पता चला है कि 42,075 नमूना जाँच किए गए वाहनों में से (जहाँ वाहन की आयु 12 वर्ष से अधिक थी), 943 परिवहन वाहनों के मालिकों, ने मार्च 2018 से अगस्त 2024 की अवधि के दौरान हरित कर के भुगतान के बिना अपने वार्षिक मोटर वाहन कर का भुगतान किया।

सभी 943 मामलों में, वाहन मालिकों ने सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के परिवहन पोर्टल के *'वाहन'* सॉफ्टवेयर के माध्यम से मोटर वाहन कर का भुगतान किया। हालांकि, मोटर वाहन कर का भुगतान हरित कर का भुगतान किए बिना किया गया था। इसने *'वाहन'* सॉफ्टवेयर में व्यावसायिक नियमों के अनुचित मानचित्रण का

---

7 *₹1.43 करोड़ (वास्तविक कर ₹6.31 करोड़ – कर भुगतान ₹4.89 करोड़)।*

8 *पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, पटना एवं सीतामढ़ी।*

संकेत दिया, क्योंकि इसने हरित कर की वसूली के बिना मोटर वाहन कर के भुगतान की अनुमति दी। हरित कर की अप्राप्ति का पता न तो संबंधित जिला परिवहन कार्यालय द्वारा लगाया गया और न ही विभाग द्वारा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.64 लाख के हरित कर का संग्रहण न करने और उस पर ₹ 29.30 लाख की राशि का अर्थदण्ड न लगाने के कारण ₹ 43.94 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई ***(परिशिष्ट–21)***।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि कर की वसूली के लिए संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा माँग पत्र जारी किए गए थे।

हालांकि, विभाग के उत्तर में पोर्टल के माध्यम से वाहन मालिकों को मोटर वाहन कर के साथ हरित कर का भुगतान करने की अनुमति देने के लिए *'वाहन'* में व्यापार नियमों को ठीक से मैप करने के लिए उठाए जा रहे किसी भी कदम का उल्लेख नहीं किया गया था।

5.4.1 वाहनों के अस्थायी पंजीकरण पर व्यापार कर का आरोपण न करना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 6 में कहा गया है कि अधिनियम की अनुसूची–III में निर्दिष्ट वार्षिक दर[9] पर व्यापार कर का भुगतान मोटर वाहनों के निर्माण या डीलर द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान अपने कब्जे में वाहनों के लिए किया जाएगा।

इसके अलावा, विभाग ने निर्देश (जून 2020) दिया कि (i) सभी वाहनों के स्थायी/अस्थायी पंजीकरण शुल्क जारी करने, और (ii) व्यापार के दौरान माल का हस्तांतरण (यानी, एक डीलर से दूसरे डीलर) डीलरों से व्यापार कर संग्रह किया जाएगा व्यापार कर का भुगतान *'वाहन'* सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने सभी नमूना जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों में *'वाहन'* सॉफ्टवेयर के माध्यम से अस्थायी पंजीकरण रिपोर्ट और संबंधित शुल्क के संग्रह की जाँच की। जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि जुलाई 2020 और जुलाई 2024 के बीच की अवधि के दौरान व्यापार कर की वसूली के बिना किसी अन्य पंजीकरण प्राधिकारी के पक्ष में माल के स्टॉक हस्तांतरण/बिक्री के आधार पर जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा डीलरों को 66,260 अस्थायी पंजीकरण जारी किए गए थे। इस प्रकार, इन 66,260 मामलों में अस्थायी पंजीकरण जारी करते समय व्यापार कर की वसूली नहीं की गई थी। जिला परिवहन कार्यालय द्वारा अस्थायी पंजीकरण जारी करने के दौरान व्यापार कर की देयता का पता न लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.36 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई (जिसमें से ₹ 1.22 करोड़ जिला परिवहन कार्यालय पटना में 59,143 अस्थायी पंजीकरण के विरूद्व था) ***(परिशिष्ट–22)***।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि सभी जिला परिवहन कार्यालयों ने व्यापार कर की वसूली के लिए संबंधित अधिकृत डीलरों को माँग पत्र जारी किए थे।

5.4.2 स्टॉक अंतरण पर व्यापार कर न लगाना

परिवहन विभाग, बिहार सरकार के निर्देश (जून 2020) ने निर्धारित किया कि डीलरों द्वारा अपने उप–डीलरों को स्टॉक अंतरण के मामले में, डीलर द्वारा 'वाहन' सॉफ्टवेयर के माध्यम से दोपहिया वाहनों के लिए ₹150 की दर से एक व्यापार कर जमा किया जाएगा।

इस संदर्भ में लेखापरीक्षा ने परीक्षण जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालय में उपलब्ध व्यापार कर के संग्रह से संबंधित जानकारी की जाँच की। लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला परिवहन कार्यालय सीतामढ़ी के मामले में चार डीलरों ने अपने 27 उप–डीलरों को 29,826

---

[9] *मोटर साईकिल–₹ 150, भारी वाहन–₹ 250 और अन्य वाहन–₹ 200।*

दोपहिया वाहन अंतरित/बेचे हैं। इसके अलावा, जिला परिवहन कार्यालय, पूर्वी चंपारण में, एक डीलर ने 11 उप–डीलरों[10] को 22,356 दोपहिया वाहन बेचे/अंतरित किए। हालांकि, इन पाँच डीलरों से दो जिला परिवहन कार्यालय द्वारा माल की बिक्री/अंतरण के लिए व्यापार कर नहीं लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 78.27 लाख[11] के राजस्व की कम वसूली हुई।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में जिला परिवहन कार्यालय ने व्यापार कर की वसूली के लिए संबंधित अधिकृत डीलरों को माँग पत्र जारी किए थे।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ही नोटिस जारी किए थे और जिला परिवहन कार्यालय के पास डीलर से उसके उप–डीलर को स्टॉक की बिक्री/अंतरण के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी, जो जिला परिवहन कार्यालय की ओर से निगरानी की कमी को दर्शाता है।

5.5 स्वामित्व हस्तांतरण के आवेदन में देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाना

समय–समय पर संशोधित मोटर वाहन अधिनियम की धारा 50 के साथ पठित केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 81 में प्रावधान है कि आवेदक द्वारा स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन जमा करने में देरी (30 दिनों से अधिक) के मामले में, देरी के लिए ₹ 300 का अतिरिक्त शुल्क मोटर साइकिलों के मामले में प्रत्येक महीने या उसके हिस्से में, अन्य वाहनों के लिए प्रत्येक महीने या उसके हिस्से पर ₹ 500 का शुल्क लगाया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने चार जिला परिवहन कार्यालयों[12] के मामले में *'वाहन'* डेटाबेस में स्वामित्व के हस्तांतरण के संबंध में उपलब्ध डेटा की जाँच की। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने मई 2019 और जुलाई 2024 के बीच की अवधि के दौरान स्वामित्व हस्तांतरण के 59,024 मामलों की जाँच की। 59,024 मामलों में से, मोटर वाहनों के खरीदारों ने 13,113 मामलों में स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए, जिसमें एक महीने से 96 महीने के बीच की देरी थी। हालांकि, आवेदनों को जमा करने में देरी के लिए, संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि स्वामित्व के हस्तांतरण के अनुमोदन के समय अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था। वाहनों के खरीदारों द्वारा आवेदन जमा करने में देरी पर अतिरिक्त शुल्क न लगाने के कारण, जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा ₹ 2.09 करोड़ की राशि का शुल्क नहीं लगाया गया था ***(परिशिष्ट–23)***।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि अतिरिक्त शुल्क की वसूली के लिए संबंधित वाहन मालिकों को माँग पत्र जारी किए गए थे।

5.6 निष्कर्ष और अनुशंसाएँ

मोटर वाहन कर, व्यापार कर, अतिरिक्त शुल्क, अर्थदण्ड आदि संग्रह करने में अक्षमता थी, क्योंकि बैंक खाते में राजस्व की अवरोध के मामले थे; अधिकृत डीलरों और मालिकों से एकमुश्त कर के कम आरोपण और संग्रहण; निर्माण उपकरण वाहनों से मोटर वाहन कर की गैर–वसूली; परिवहन वाहनों से वार्षिक मोटर वाहन कर और हरित कर की गैर–वसूली; स्टेज गाड़ी पर मोटर वाहन कर की कम वसूली; अस्थायी पंजीकरण और

---

10 *शेष चार जिला एवं परिवहन कार्यालयों (बांका, गया, गोपालगंज और पटना) को एक डीलर से उसके उप–डीलर को भंडार के बिक्री/स्थानान्तरण के संबंध में सूचना नहीं था।*

11 *पूर्वी चंपारण : ₹ 33.53 लाख और सीतामढ़ी: ₹ 44.74 लाख।*

12 *पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पटना एवं सीतामढ़ी।*

स्टॉक स्थानान्तरण पर डीलरों से व्यापार कर का गैर आरोपण और स्वामित्व आवेदनों के हस्तांतरण में देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की कम वसूली हुई। इसके अलावा, 228 इंच से अधिक और 142 इंच से कम के व्हीलबेस के साथ स्टेज कैरिज पर मोटर वाहन कर के आकलन का कोई प्रावधान नहीं था, जिससे ऐसे वाहनों पर मोटर वाहन कर का आकलन नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, विभाग निम्नलिखित अनुशंसाओं पर विचार कर सकता है:

अनुशंसा 8: विभाग कर भुगतानों को ट्रैक और निगरानी करने, वाहन मालिकों को अनुस्मारक और माँग पत्र जारी करने और कर चोरी को रोकने के लिए चूककर्त्ताओं के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई के लिए चेतावनी उत्पन्न करने के लिए स्वचालित प्रणालियों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकता है।

अनुशंसा 9: विभाग व्यापार कर के भुगतान के साथ वाहनों के पंजीकरण को एकीकृत कर सकता है और अपने निर्देशों के पालन के लिए डीलरों से आवधिक अनुपालन रिपोर्ट माँग सकता हैं।

अध्याय–VI

मोटर वाहन अधिनियम/बिहार मोटर वाहन अधिनियम और नियमों का प्रवर्तन

अध्याय VI

6 मोटर वाहन अधिनियम/बिहार मोटर वाहन अधिनियम और नियमों का प्रवर्तन

6.1 ई–चालान की वसूली में निगरानी की कमी के कारण बकाया में वृद्धि

परिवहन विभाग, बिहार सरकार, ने वेब–आधारित ई–चालान सॉफ्टवेयर के माध्यम से गलत वाहन मालिकों/चालकों से उद्ग्रहण और संग्रहण पर जुर्माना शुरू किया (फरवरी 2020) जहाँ चालान एक हैंड–हेल्ड–डिवाइस के माध्यम से या किसी भी कम्प्यूटर सिस्टम में क्रेडेंशियल्स लॉग इन करके जारी किए गए थे। अधिकृत अधिकारी मौके पर वाहनों के मालिकों/चालकों को एक हस्ताक्षरित ई–चालान जारी करते हैं। यदि मौके पर जुर्माना नहीं दिया गया तो उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद वाहनों या दस्तावेजों की जब्ती शुरू की जाएगी। ई–चालान का भुगतान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के परिवहन पोर्टल (एनआईसी, बिहार द्वारा अनुरक्षित) के '*htttps://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan*' के माध्यम से किया जाना था। 14 कार्य दिवसों में ई–चालान राशि की वसूली न होने की स्थिति में, वैध कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

इसके अलावा, विभाग ने 90 दिनों के भीतर लंबित ई–चालान के निपटान के संबंध में निर्देश जारी किए (मई 2023)। यदि कोई चालान निर्धारित समय सीमा से अधिक बकाया है, तो 10 दिनों के भीतर भुगतान के लिए एक अतिरिक्त नोटिस जारी किया जाएगा। यदि 10 दिनों के भीतर चालान का निपटान नहीं किया जाता है, तो संबंधित वाहन को *'वाहन'* सॉफ्टवेयर में ''लेन–देन योग्य'' के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने राज्य परिवहन आयुक्त, पटना में उपलब्ध ई–चालान डेटा की जाँच की और पाया कि परिवहन विभाग ने फरवरी 2020 से मार्च 2024 के दौरान बिहार राज्य में कुल 3,58,062 ई–चालान जारी किए। इनमें से 25,928 ई–चालान, नमूना जाँच किये गए छः जिला परिवहन कार्यालयों में जारी किए गए ₹44.37 करोड़ के निपटान के लिए लंबित थे। इन 25,928 लंबित ई–चालानों में से ₹6.26 करोड़ के लिए जारी 3,895 ई–चालान 1,755 वाहनों से संबंधित थे, जिन्होंने दो या दो से अधिक अवसरों पर परिवहन नियमों का उल्लंघन किया। इन 1,755 वाहनों में से 858 वाहनों ने अपने फिटनेस प्रमाण–पत्र को उसी जिला परिवहन कार्यालय के साथ नवीनीकृत किया जिसने अपराधों के लिए वाहनों पर ई–चालान जारी किया था ***(परिशिष्ट–24)***। हालांकि, फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रदान करते समय संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों ने सभी लंबित ई–चालान का निपटान सुनिश्चित नहीं किया। इसने इंगित किया कि संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा *'वाहन'* सॉफ्टवेयर में वाहनों को ''**लेन–देन योग्य नहीं**'' के रूप में चिह्नित नहीं किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित अवधि से अधिक के ई–चालान लंबित थे।

इसके अलावा, बिहार राज्य में जारी ई–चालान के लंबित भुगतान 2020–21 से 2023–24 (मार्च 2024) तक 4.40 प्रतिशत से बढ़कर 39.21 प्रतिशत हो गई। जिला परिवहन कार्यालय, मोटर वाहन निरीक्षक और प्रवर्तन उप निरीक्षकवार लंबित ई–चालान का विवरण **चार्ट 6.1** में दिखाया गया है।

चार्ट 6.1: बिहार में ई–चालान लंबित होने का विवरण

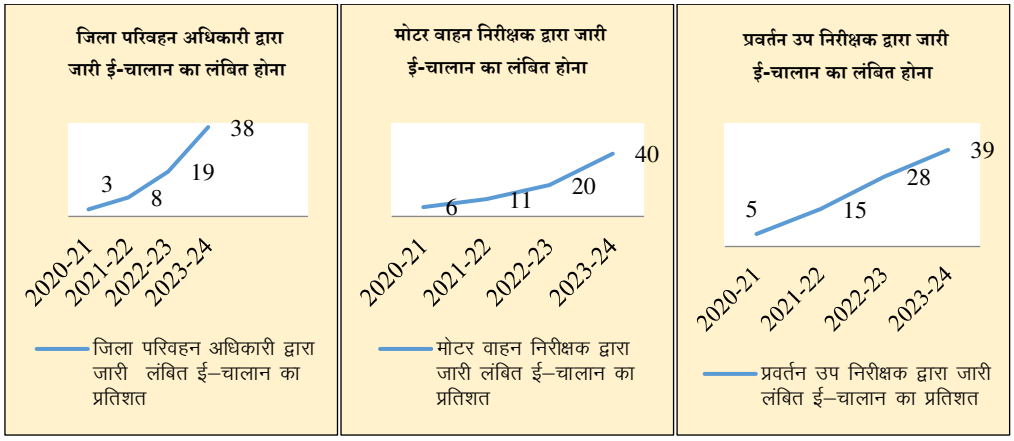

इसी तरह, ई–चालान के संबंध में सरकारी राजस्व का बकाया ₹14.30 करोड़ (2020–21) से बढ़कर ₹109.82 करोड़ (2023–24) हो गया। ₹203.35 करोड़ की कुल 80,901 ई–चालान निपटान के लिए, लंबित थे ***(परिशिष्ट–25)***।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025): (i) संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों को वाहनों की काली सूची में डालने के लिए निर्देश जारी किए गए थे, जहाँ 90 दिनों के भीतर चालान का निपटान नहीं किया गया था (ii) ई–चालान लंबित वाहनों के लिए, फिटनेस और प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण–पत्र देने को रोकने के लिए, प्रावधान *'वाहन'* सॉफ्टवेयर में मैप किया गया था और (iii) लंबित ई–चालान राशि की वसूली के लिए उन वाहनों की एक सूची मोटर वाहन निरीक्षक/प्रवर्तन शाखा को वसूली के निर्देश के साथ प्रदान की गई थी।

विभाग का उत्तर सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने पाया कि ई–चालान के लंबित होने के मामले में फिटनेस प्रमाण–पत्र देने से रोकने के प्रावधान को *'वाहन'* में मैप नहीं किया गया था, जैसा कि इस तथ्य से देखा गया है कि 858 ऐसे वाहनों के लिए, फिटनेस दी गई थी/नवीनीकृत की गई थी, जिसका ई–चालान लंबित था।

6.2 मोटर वाहन कर का भुगतान किए बिना सड़कों पर चलने वाले वाहनों पर प्रवर्तन शाखा द्वारा जुर्माना न लगाया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 28(1) में निर्धारित किया गया है कि जो कोई भी ऐसे वाहनों पर कर का भुगतान किए बिना मोटर वाहन का उपयोग करता है, उसे देय वार्षिक कर की राशि से दोगुना से अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली 1992 के नियम 259 में प्रावधान है कि सहायक प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारी मोटर वाहन/बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने के लिए दोषी वाहन मालिकों/चालकों पर जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत है। इसके अलावा, बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 22(2) में कहा गया है कि यदि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर (मोटर वाहन कर) और उस पर जुर्माना का भुगतान नहीं किया गया है, तो अधिकृत अधिकारी मोटर वाहन को जब्त कर सकता है और इसे तब तक रोक सकता है जब तक कर का भुगतान नहीं किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने राज्य परिवहन आयुक्त, पटना में जनवरी 2019 से सितंबर 2024 की अवधि के लिए ई–चालान डेटा की जाँच की। जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि सहायक प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी ने 691 वाहनों (1,117 परीक्षण जाँच में से) पर 795

ई–चालान के माध्यम से जुर्माना लगाया जो बिहार के 16 जिलों[1] में पाए गए थे। इन वाहनों के मामले में, ई–चालान केवल मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के लिए जारी किए गए थे, न कि इन 691 कर चूककर्त्ता वाहनों से मोटर वाहन कर का भुगतान न करने के लिए। कर चूक के ऐसे मामलों में, संबंधित सहायक प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी को देय मोटर वाहन कर से दोगुनी दर पर जुर्माना वसूल करना था और कर का भुगतान न होने तक वाहनों को जब्त करना था। हालांकि, मोटर वाहन टैक्स और ₹ 6.81 करोड़ का जुर्माना जो लगाया जा सकता था, के विरूद्ध केवल ₹ 4.34 करोड़ एकत्र किए गए। इस प्रकार, मोटर वाहन कर, साथ ही साथ ₹ 2.47 करोड़ का जुर्माना चूककर्त्ताओं के विरूद्ध बकाया रहा।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि लंबित ई–चालान राशि की वसूली के लिए, राशि की वसूली के निर्देश के साथ मोटर वाहन निरीक्षक/प्रवर्तन शाखा को वाहनों की एक सूची प्रदान की गई थी।

विभाग का उत्तर प्रासंगिक नहीं था क्योंकि इसमें प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा मोटर वाहन कर के भुगतान के बिना चलने वाले वाहनों पर जुर्माना न लगाने के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया था।

6.3 ई–चालान पर जुर्माना, साथ ही साथ वाहनों से कर की वसूली न होने के कारण बकाया में वृद्धि

उक्त **कंडिका 6.2** में उल्लिखित मानदंडों के आलोक में, यदि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर (मोटर वाहन कर) और उस पर जुर्माना का भुगतान नहीं किया गया, तो अधिकृत अधिकारी मोटर वाहन को जब्त कर सकता है और इसे तब तक रोक सकता है जब तक कर का भुगतान नहीं किया जाता।

लेखापरीक्षा ने जनवरी 2019 से सितंबर 2024 की अवधि के लिए राज्य परिवहन आयुक्त, पटना के ई–चालान डेटा की जाँच की। डेटा की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2,030 लंबित ई–चालान वाले 1,612 वाहन इस अवधि के दौरान देय कर के भुगतान के बिना सड़क पर चल रहे थे। इन 1,612 वाहनों में से, प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा 1,066 कर चूककर्त्ता वाहनों पर ₹8.70 करोड़ का जुर्माना 1,066 ई–चालान के माध्यम से लगाया गया था। हालांकि, ई–चालान के माध्यम से लगाए गए जुर्माने की वसूली नहीं हुई (सितंबर 2024)। इसके अलावा, ई–चालान जारी करते समय संबंधित प्रवर्तन अधिकारियों ने न तो वाहनों को जब्त किया और न ही इन 1,253 कर चूककर्त्ता वाहनों से उचित कर की वसूली की, जिससे उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। ये ई–चालान 15 से 2,041 दिनों की अवधि के लिए लंबित रहे, जिससे राजस्व बकाया में ₹8.70 करोड़ की वृद्धि हुई।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन का कोई संगत उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

6.4 सभी लंबित ई–चालान का निपटान करके सरकारी राजस्व की वसूली न करना

संबंधित सहायक प्रवर्तन अधिकारियों/प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जारी ई–चालान का भुगतान जिला परिवहन कार्यालयों के कार्यालय जाकर या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के परिवहन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

---

1 *अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगुसराय, बेतिया, भभुआ, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, छपरा, दरभंगा, गया, गोपालगंज, पटना और पूर्णिया।*

लेखापरीक्षा ने चार नमूना जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों[2] के ऑनलाइन ई–चालान डेटा की जाँच की और पाया कि ऐसे 171 वाहन थे जिन पर अप्रैल 2019 से जुलाई 2024 की अवधि के दौरान 373 ई–चालान के माध्यम से ₹1.10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। इनमें से प्रत्येक वाहन में दो या दो से अधिक ई–चालान थे।

इन 179 ई–चालानों के निपटान के दौरान, संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों ने (चालान राशि प्राप्त करके या ई–चालान राशि की जमा रसीद प्रस्तुत करने के बाद) केवल अंतिम जारी ई–चालान का निपटान किया और पहले जारी किया गया ई–चालान का निपटान नहीं किया। यह भी इस तथ्य के कारण था कि कई ई–चालान के मामले में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के परिवहन पोर्टल (एनआईसी, बिहार द्वारा अनुरक्षित) ने सभी लंबित ई–चालान के भुगतान को शामिल किए बिना केवल अंतिम जारी ई–चालान के भुगतान की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप केवल अंतिम ई–चालान का निपटान हुआ और पहले के ई–चालान लंबित रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹57.75 लाख के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई ***(परिशिष्ट–26)***।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों को उन मामलों में वाहनों को काली सूची में डालने के लिए निर्देश जारी किए गए थे जहाँ 90 दिनों के भीतर चालान का निपटान नहीं किया गया था।

हालांकि, विभाग के उत्तर ने इस मुद्दे का समाधान नहीं किया कि कई ई–चालान के मामले में, परिवहन पोर्टल ने सभी लंबित ई–चालान का भुगतान किए बिना, केवल अंतिम जारी किए गए ई–चालान के भुगतान की अनुमति दी।

6.5 कर और जुर्माना का कम आरोपण और संग्रहण

बिहार सरकार, ने दिनांक 06 जून 2013 की अधिसूचना के माध्यम से, बिहार में चलने के लिए, राज्य के बाहर पंजीकृत परिवहन वाहनों के बिहार प्रवेश कर और वैध अस्थायी परमिट के प्रावधान निर्धारित किए। बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 28(7) में कहा गया है कि यदि अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहन बिहार राज्य में निर्धारित करों के भुगतान के बिना या वैध परमिट के बिना चलता पाया जाता है, तो यह दंड के रूप में 30 दिनों की अवधि के लिए निर्धारित करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, कर राशि के दो गुना के बराबर अर्थदण्ड भी लगाया जायेगा। इसके अलावा, लागू अर्थदण्ड की राशि ₹5,000 से कम नहीं हो सकती है।

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2019 से मई 2023 की अवधि के लिए दो जिला परिवहन कार्यालयों[3] के ई–चालान डेटा की जाँच की। जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि वैध परमिट के बिना राज्य में 139 वाहन (बिहार के बाहर पंजीकृत) चल रहे पाए गए। इसलिए, ये वाहन 30 दिनों के लिए निर्धारित कर के भुगतान और कर राशि के दो गुना के बराबर अर्थदण्ड के लिए उत्तरदायी थे। हालांकि, संबंधित सहायक प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी ने इन वाहनों पर 175 ई–चालान के माध्यम से केवल ₹3.73 लाख का बिहार प्रवेश कर लगाया और एकत्र किया। हालांकि, उन्हें उक्त अधिनियम के तहत निर्धारित अर्थदण्ड लागू करके ₹20.49 लाख वसूलने और एकत्र करने थे। इसके परिणामस्वरूप कर और ₹16.76 लाख का अर्थदण्ड का कम उद्ग्रहण और संग्रहण हुआ ***(परिशिष्ट–27)***।

विभाग ने जिला परिवहन कार्यालय पटना के मामले में लेखापरीक्षा अवलोकन का प्रासंगिक उत्तर (अप्रैल 2025) प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि, जिला परिवहन कार्यालय सीतामढ़ी के मामले में, विभाग ने उत्तर दिया कि प्रवर्तन विभाग को दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

---

2 *पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पटना और सीतामढ़ी।*

3 *पटना, (7,472 ई–चालान) और सीतामढ़ी (2,894 ई–चालान)।*

6.6 ई–चालान पर वाहनों की अनुचित विशिष्ट आईडी दर्शाकर जुर्माना लगाना

हैंड–हेल्ड डिवाइस के माध्यम से एक नया ई–चालान जारी करते समय, 'नया चालान' पर क्लिक करने पर, एक स्क्रीन दिखाई देती है जो उपयोगकर्ता को वाहन के पंजीकरण संख्या की तस्वीर को कैप्चर करने और वाहन विवरण जैसे अल्फान्यूमेरिक पंजीकरण प्रमाण–पत्र संख्या/चेसिस संख्या दर्ज करने की अनुमति देती है।

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2019 से मार्च 2024 की अवधि के लिए राज्य परिवहन आयुक्त पटना के ई–चालान (39.61 लाख ई–चालान) डेटा की जाँच की। जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि वैध अल्फान्यूमेरिक चेसिस संख्या/पंजीकरण प्रमाण–पत्र संख्या[4] के स्थान पर अनुचित चेसिस या पंजीकरण प्रमाण–पत्र संख्या दर्ज करने के आधार पर विभिन्न परिवहन/यातायात पुलिस अधिकारियों द्वारा 540 ई–चालानों के माध्यम से जुर्माना लगाया गया था। परिणामस्वरूप, इन वाहनों का पता नहीं लगाया जा सका और ₹1.11 करोड़ के जुर्माने को एकत्र नहीं किया जा सका, जिससे उस सीमा तक सरकारी राजस्व का नुकसान हुआ।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि ई–चालान डेटाबेस में, 143 वाहनों को जब्त के रूप में दिखाया गया था और ई–चालान पर जब्ती के स्थान का भी उल्लेख किया गया था। लेखापरीक्षा ने *'वाहन'* सॉफ्टवेयर में इन 143 वाहनों के विवरण की जाँच की और पाया कि इन वाहनों पर चालान लगाया गया था। हालांकि उनकी फिटनेस का नवीनीकरण किया गया था, और प्रदूषण नियंत्रणधीन प्रमाण–पत्र जारी किया गया था, जो उनकी जब्ती की तारीखों के बाद जारी किया गया था। यह इंगित करता है कि ये वाहन बाद की तारीखों में सड़कों पर चल रहे थे और अधिकृत अधिकारी ने या तो वाहनों को जब्त नहीं किया या जारी किए गए ई–चालान का निपटान किए बिना उन्हें रिहा कर दिया।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि *'वाहन'* सॉफ्टवेयर में परिलक्षित नहीं होने वाले वाहनों के ई–चालान डेटा जैसे आवश्यक प्रावधानों की उचित मैपिंग के लिए एनआईसी को निर्देश जारी किए गए थे।

विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा अवलोकन के लिए प्रासंगिक नहीं है क्योंकि प्राधिकृत अधिकारियों ने अपने विशिष्ट पंजीकरण प्रमाण–पत्र संख्या/चेसिस संख्या के स्थान पर अनुचित चेसिस/पंजीकरण प्रमाण–पत्र संख्या दर्ज करके वाहनों पर जुर्माना लगाया था। इसके अलावा, जब्त किए गए के रूप में दिखाए गए 143 वाहनों को लंबित ई–चालान की वसूली के बिना रिहा पाया गया।

6.7 जाँच चौकी में पाई गई अनियमितताएँ

6.7.1 जाँच चौकी पर राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निगरानी और पर्यवेक्षण की कमी

परिवहन विभाग, बिहार सरकार, ने बिहार प्रवेश कर और चूककर्त्ता वाहनों से जुर्माना के आरोपण और संग्रहण के लिए राज्य में जाँच चौकी के संचालन के लिए निर्देश जारी किए (अप्रैल 2019)। विभाग ने केवल ई–चालान के माध्यम से बिहार प्रवेश कर और जुर्माना (यदि कोई हो) आरोपण और संग्रहण के लिए निर्देश जारी किए। रोस्टर आधार

[4] *330 मामलों में : ई–चालान पर उल्लिखित चेसिस संख्या 'वाहन' सॉफ्टवेयर में नहीं पाया गया और 210 मामलों में : चेसिस संख्या 'वाहन' सॉफ्टवेयर में पाया गया लेकिन ई–चालान पंजीकरण नंबर के साथ 'वाहन' सॉफ्टवेयर में मैप नहीं मिला।*

पर तीन पालियों में जाँच चौकी का संचालन किया जाना था और जाँच चौकी पर तैनात सभी अधिकारियों को आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाना था।

विभाग, वित्त विभाग, बिहार सरकार, से प्राप्त लक्ष्यों के आधार पर, वित्त वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान वार्षिक आधार पर अपनी जाँच चौकी के लिए राजस्व लक्ष्य निर्धारित करता है। राज्य में कुल छः जाँच चौकियों में से, लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा निर्धारित वर्षवार राजस्व लक्ष्यों की जाँच, दो नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों के तहत दो नमूना जाँच चौकियों[5] में की गई थी। राजस्व लक्ष्यों और उनके विरूद्ध राजस्व संग्रह का विवरण **तालिका 6.1** में दिया गया है।

तालिका 6.1: 2019–20 से 2023–24 के दौरान दो नमूना जाँच चौकियों में राजस्व लक्ष्य और संग्रह

(₹ करोड़ में)

बलथरी चेक–पोस्ट, गोपालगंज				डोभी चेक–पोस्ट, गया		
वर्ष	लक्ष्य	संग्रह	प्रतिशत	लक्ष्य	संग्रह	प्रतिशत
2019-20	NA*	46.72	NA	61.48	51.64	84
2020-21	39.76	41.00	103	32.67	33.34	102
2021-22	33.41	35.02	105	30.09	29.29	97
2022-23	44.40	26.45	60	35.60	29.67	83
2023-24	53.33	24.15	45	44.50	26.74	60

(स्रोत: संबंधित जिला परिवहन कार्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी) NA: लेखापरीक्षा के लिए जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी)

जैसाकि **तालिका 6.1** से देखा जा सकता है, राजस्व लक्ष्यों की तुलना में, बलथरी जाँच चौकी, गोपालगंज में उपलब्धि 2021–22 से 2023–24 के दौरान 105 प्रतिशत से घटकर 45 प्रतिशत हो गई। इसी तरह, डोभी जाँच चौकी, गया में, दिए गए लक्ष्यों के मुकाबले राजस्व उपलब्धि वर्ष 2020–21 से 2023–24 के बीच 102 प्रतिशत से घटकर 60 प्रतिशत हो गई।

विभाग ने 2019–20 से 2023–24 के दौरान अपनी जाँच चौकी द्वारा राजस्व लक्ष्यों की गैर–उपलब्धि के कारणों का विश्लेषण नहीं किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि गैर–कार्यात्मक निकास द्वार, ओवरलोड वाहनों की जाँच के लिए वेब्रिज का उपयोग न करना और कराधान अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए गैर–कराधान अधिकारियों की तैनाती बलथरी जाँच चौकी (गोपालगंज) पर राजस्व के कम संग्रह के कारण थे। विभाग ने दोनों नमूना जाँच चौकियों के जिला परिवहन कार्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया (फरवरी 2024)। हालांकि, कारण बताओ नोटिस का जवाब इन जिला परिवहन कार्यालय द्वारा नहीं दिया गया है (सितंबर 2024 तक)।

संबंधित अतिरिक्त जिला परिवहन अधिकारियों के साथ दोनों जाँच चौकियों की लेखापरीक्षा (जुलाई और अगस्त 2024 में) द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन की गई। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान बलथरी जाँच चौकी (गोपालगंज) में पायी गयी अनियमितताओं का विवरण नीचे दिया गया है:

(क) जाँच चौकी पर तैनात अधिकारियों (जिला परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त जिला परिवहन अधिकारी (01)/मोटर वाहन निरीक्षक (01)/प्रवर्तन अधिकारी (01) को सौंपे गए कर्तव्य सूची के अनुसार तीन पाली में संचालित किया जा रहा था। प्रत्येक प्रवर्तन अधिकारी (प्रवर्तन उप निरीक्षक) को अपने कर्तव्यों का पालन करने के दौरान अपनी व्यक्तिगत आईडी का उपयोग करना था। हालांकि, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि दो प्रवर्तन अधिकारी दो प्रवर्तन कराधान आईडी का उपयोग करके अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, हालांकि जाँच चौकी पर केवल एक प्रवर्तन अधिकारी

[5] *बलथरी चेक–पोस्ट, गोपालगंज और डोभी चेक–पोस्ट, गया।*

तैनात था। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि जिला परिवहन कार्यालय के किरानी (गैर–कराधान कर्मी) जिला परिवहन अधिकारी/अपर जिला परिवहन अधिकारी के स्थान पर जाँच चौकी पर ड्यूटी कर रहे थे।

(ख) यह जाँच चौकी एक एकीकृत जाँच चौकी[6] है जहां वाहनों की आवक और जावक आवाजाही दोनों के लिए दो वाहन निरीक्षण लेन का निर्माण किया गया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्व केवल आवक द्वार पर एकत्र किया जा रहा था। निकास द्वार पर वाहनों के निरीक्षण के लिए कोई तंत्र नहीं था, हालांकि आवश्यक अवसंरचना का निर्माण पाया गया। इसके अलावा, हालांकि दोनों तरफ (प्रवेश और निकास द्वारों) पर वेब्रिज का निर्माण किया गया था, प्रवेश द्वार पर वेब्रिज (हालांकि कार्यात्मक पाया गया), कराधान अधिकारियों द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा था।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, अपर जिला परिवहन अधिकारी ने कहा कि निकास द्वार पर वाहनों का निरीक्षण पिछले दो या तीन वर्षों से बंद कर दिया गया था, हालांकि निकास द्वार का उपयोग न करने के लिए विभाग से कोई अनुमोदन नहीं था।

निकास द्वार पर वाहनों की जाँच न करने के कारण, मोटर वाहन कर और बिहार प्रवेश कर जैसे करों का संग्रह न करने और ओवरलोडिंग, वैध दस्तावेजों के बिना चलने के लिए लागू जुर्माना न लगाने आदि के कारण राजस्व के संभावित नुकसान का जोखिम था।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025): (i) वित्त विभाग, भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्यों के आधार पर जाँच चौकी के लिए राजस्व लक्ष्यों का अनुमान लगाया गया और तय किया गया (ii) राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारण जाँच चौकी से गुजरने वाले वाहनों की संख्या में कमी; वाहनों में किए गए किसी भी परिवर्तन के लिए जुर्माना न लगाना; चेक पोस्ट पर भुगतान करने के बजाय सीधे सरकारी खाते में करों/शुल्क का डिजिटल/ऑनलाइन भुगतान और वाहनों द्वारा वैकल्पिक मार्गों के उपयोग (iii) बलथरी जाँच चौकी पर केवल चार आईडी की अनुमति है जिसमें जिला परिवहन अधिकारी (01)/मोटर वाहन निरीक्षक(01) / प्रवर्तन अधिकारी (02) के लिए उपयोगकर्ता आईडी शामिल थे और (iv) निकास द्वार से जुर्माना का संग्रह शुरू किया गया था। इसके अलावा, वाहनों के ओवरलोड होने का संदेह होने पर वेब्रिज पर वाहनों का निरीक्षण किया गया था।

विभाग का उत्तर इस प्रकार स्वीकार्य नहीं है: (i) 2021–22 से 2023–24 तक राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति में लगातार कमी आई थी। तथापि, विभाग ने कमी के कारणों की समीक्षा नहीं की और जाँच चौकी के लिए राजस्व लक्ष्यों में वृद्धि जारी रखी। (ii) कुल चार यूजर आईडी में से, दो प्रवर्तन अधिकारियों के लिए थे, लेकिन तीन प्रवर्तन अधिकारी दो यूजर आईडी का उपयोग करके अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। (iii) विभाग के उत्तर में जिला परिवहन अधिकारी/अपर जिला परिवहन अधिकारी के स्थान पर गैर–कराधान कर्मियों की तैनाती के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया था।

6.7.2 जाँच चौकी पर, दूसरे और उसके बाद के अपराधों के लिए दोषी वाहन मालिकों/चालकों पर अर्थदण्ड न लगाना

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय XIII में यह प्रावधान है कि जो कोई भी इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम, विनियम या अधिसूचना के किसी भी

---

6 *एकीकृत जाँच चौकियाँ बिहार की सीमाओं पर वाणिज्य कर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, उत्पाद शुल्क और खनन विभाग के काम–काज को नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए है।*

प्रावधान का उल्लंघन करेगा, वह पहले अपराध के लिए, जुर्माने के साथ और किसी दूसरे या बाद के अपराध के लिए बढ़ा हुआ जुर्माना के साथ दंडनीय होगा।

जिला परिवहन कार्यालय, गोपालगंज के कार्यालय में, लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2019 से अगस्त 2024 की अवधि के लिए उनके बलथरी जाँच चौकी पर जुर्माना लगाने और संग्रह के लिए ई–चालान डेटा की जाँच की। जाँच के दौरान, यह पाया कि 8,775 नमूना जाँच किए गए ई–चालान में से, 277 ई–चालान एक ही वाहन पर एक ही अपराध के लिए लेकिन विभिन्न अवसरों पर, ₹ 1.06 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था, यानी ये दूसरे या बाद के अपराध थे। संबंधित कराधान अधिकारियों द्वारा ₹1.89 करोड़ का बढ़ा हुआ जुर्माना (दूसरे और बाद के अपराधों के लिए) लगाया जाना चाहिए था। दूसरे और बाद के अपराधों के लिए बढ़ा हुआ जुर्माना न लगाने के परिणामस्वरूप ***(परिशिष्ट–28)*** में दिए गए विवरण के अनुसार ₹0.83 करोड़ का जुर्माना नहीं लगाया गया।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि दूसरे और बाद के अपराधों के लिए बढ़ा हुआ जुर्माना लगाने के प्रावधानों को परिवहन पोर्टल के ई–चालान सॉफ्टवेयर में मैप नहीं किया गया था। हालांकि, न तो जिला परिवहन कार्यालय गोपालगंज ने विभाग को इस प्रणालीगत् मुद्दे की रिपोर्ट की और न ही विभाग ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की, जो अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र को इंगित करता है।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि बढ़ा हुआ जुर्माना लगाने का प्रावधान हैंड हेल्ड डिवाईस/ई–चालान सॉफ्टवेयर में मैप किया गया था और जहाँ भी लागू हो, ई–चालान के माध्यम से लगाया जा रहा था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दूसरे और बाद के अपराधों के मामले में बढ़ा हुआ जुर्माना लगाने के प्रावधान को ई–चालान सॉफ्टवेयर में मैप नहीं किया गया था।

6.8 निष्कर्ष और अनुशंसाएँ

मोटर वाहन अधिनियम/बिहार मोटर वाहन अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों को लागू करने में कमियाँ थीं। इन कमियों को वसूली में निगरानी की कमी और ई–चालान की वसूली न करना, लंबित ई–चालान के निपटारे के बिना वाहनों को छोड़ना, के उदाहरणों से देखा जा सकता है; जिससे राजस्व के बकाया में वृद्धि हुई। इसके अलावा, प्रवर्तन शाखा ने वैध परमिट के बिना चलने वाले चूककर्त्ता वाहनों, मोटर वाहन कर और वाहनों पर जुर्माना नहीं लगाया। इसके अलावा, ई–चालान पर वाहनों की अनुचित विशिष्ट आईडी के माध्यम से जुर्माना लगाया जा रहा था। और भी, विभाग द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जाँच चौकियों पर अपर्याप्त निगरानी और नियंत्रण था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, विभाग निम्नलिखित अनुशंसाओं पर विचार कर सकता है:

अनुशंसा 10: विभाग लंबित ई–चालान के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित कर सकता है और वाहन सॉफ्टवेयर में मैप करके अपने निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।

अनुशंसा 11: विभाग कर सकता है: (i) 'वाहन' और ई–चालान सॉफ्टवेयर सिस्टम के एकीकरण पर विचार करे (ii) यह सुनिश्चित करे कि जब्त वाहनों को छोड़ने से पहले सभी बकाया राशि की वसूली की जाय और (iii) यह सुनिश्चित करे कि ई–चालान प्रणाली को इस तरह मैप किया गया है कि सबसे हाल के चालान के निपटान की अनुमति पहले से लंबित सभी चालानों के निपटाने के बाद ही दी जायें।

अनुशंसा 12: विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि चेसिस संख्या/पंजीकरण प्रमाण–पत्र संख्या के आधार पर जारी ई–चालान लंबित जुर्माना/ई–चालान के संग्रह के लिए वाहन की निगरानी के लिए 'वाहन' सॉफ्टवेयर से जुड़े हैं।

अध्याय–VII

लोक सेवाओं का वितरण

अध्याय VII

लोक सेवाओं का वितरण

7.1 पंजीकरण के प्रमाणन के अनुमोदन की गैर–निगरानी

परिवहन विभाग, बिहार सरकार ने विभिन्न वर्गों की सेवाओं, जैसे वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करना (सात से 10 कार्य दिवस), चालक अनुज्ञप्ति जारी करना (10 कार्य दिवस) आदि के लिए नागरिकों को परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत समय–सीमा अधिसूचित किया (सितंबर 2020)।

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2019 से मार्च 2024 की अवधि के लिए सभी नमूना–जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों में डीलर पॉइंट पंजीकरण डेटा की जाँच की। इसके आधार पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि, नए वाहनों के पंजीकरण के लिए 9,944 नमूना–जाँच किए गए आवेदनों में से, 1,097 आवेदनों के मामले में, हालांकि देय करों का भुगतान संबंधित डीलरों द्वारा समय पर किया गया था, संबंधित मोटर वाहन निरीक्षक के स्तर पर पंजीकरण दस्तावेजों के सत्यापन में 183 से 745 दिनों के बीच की देरी थी। इस प्रकार, सितंबर 2022 और मार्च 2024 की अवधि के दौरान इस सीमा तक संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों के पास 1,097 वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करना लंबित था। इन वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाण–पत्र को अभी तक (सितंबर 2024) अनुमोदित नहीं किया गया था।

प्रस्तुत किए गए कुल आवेदनों की संख्या और पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने में देरी का विवरण **चार्ट 7.1** में दिखाया गया है।

चार्ट 7.1: पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए लंबित आवेदनों का विवरण

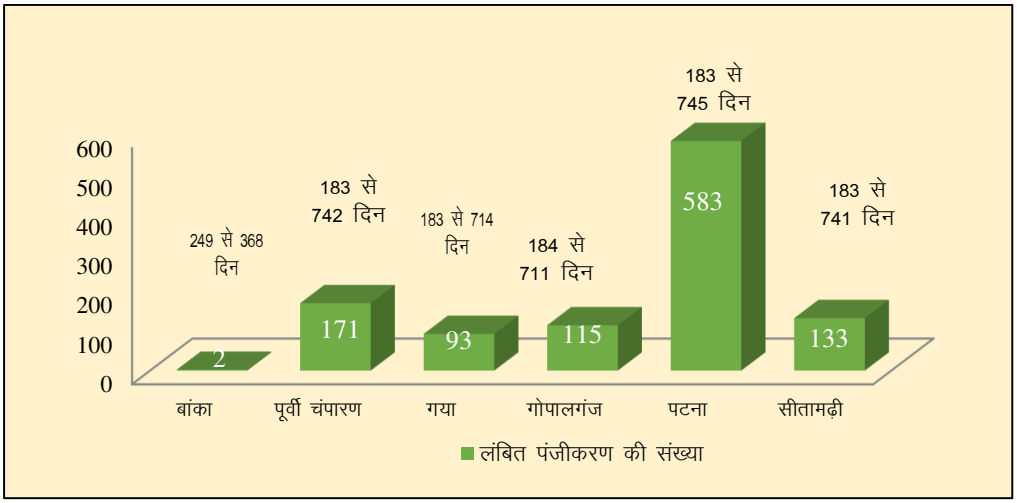

'वाहन' में पंजीकरण दस्तावेजों के सत्यापन में देरी को चिह्नित करने की भी कमी थी, यह इंगित करता है कि इसे बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम में निर्धारित समय सीमा को मैप नहीं किया गया था।

लंबी अवधि के लिए मोटर वाहन निरीक्षक के पास पंजीकरण दस्तावेजों के लंबित सत्यापन जिला परिवहन पदाधिकारी की ओर से अपर्याप्त निगरानी को इंगित करता है।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि दस्तावेजों की जाँच और सत्यापन और पंजीकरण के अनुमोदन सहित पंजीकरण प्रक्रिया की निगरानी विभाग द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के

माध्यम से नियमित आधार पर की जा रही थी। गया में, कर चालान के समय पर जारी करने के लिए सभी डीलरों को निर्देश जारी किए गए थे।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पंजीकरण के मामले मोटर वाहन निरीक्षक के पास मोटर कर और डीलरों से सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ शुल्क प्राप्त होने के बाद भी लंबित थे।

7.2 लोक सेवाओं के वितरण में विलंब

परिवहन विभाग, बिहार सरकार ने बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत 20 सार्वजनिक सेवाओं[1] की प्रदान करने के लिए को अधिसूचना जारी किया (सितंबर 2020)। इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2019 से मार्च 2024 की अवधि के लिए सभी नमूना–जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों में नए पंजीकरण/अस्थायी पंजीकरण प्रमाण–पत्र, परमिट/फिटनेस देने/नवीनीकरण, चालक अनुज्ञप्ति जारी करने/नवीनीकरण आदि से संबंधित डेटा की जाँच की।

जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित सभी 20 सेवाओं को प्रदान किया जा रहा था, 20 सेवाओं में से नौ के लिए प्रदान करने का समय निर्धारित समय सीमा से आगे था, जिसमें 01 और 1,973 दिनों के बीच की देरी थी, जैसाकि **तालिका 7.1:** में वर्णित हैं।

तालिका 7.1: निर्धारित समय के भीतर लोक सेवाओं का प्रदान न करना

क्र0 सं0	सेवा का नाम	बिहार लोक सेवा अधिकार के तहत निर्धारित समय–सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदान करने में देरी (दिनों में)
1	परमिट प्रदान करना/नवीनीकरण	10	01 से 346
2	फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करना /नवीनीकरण	7	01 से 1,475
3	अस्थायी पंजीकरण संख्या जारी करना	7	01 से 846
4	चालक अनुज्ञप्ति जारी करना	10	01 से 1,507
5	डुप्लीकेट चालक अनुज्ञप्ति जारी करना	7	01 से 1,740
6	डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करना	7	01 से 1,973
7	चालक अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	10	01 से 1,855
8	अंतरराष्ट्रीय चालक अनुज्ञप्ति परमिट	15	01 से 1,406
9	पंजीकरण प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण	15	01 से 1,473

नागरिकों को सेवाओं के समय पर वितरण से वंचित करने के अलावा, इस तरह की देरी ने विभाग की ओर से अपर्याप्त निगरानी और आंतरिक नियंत्रण पर भी प्रकाश डाला।

विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत अधिसूचित 20 सेवाओं के वितरण की निगरानी विभाग द्वारा नियमित आधार पर की जा रही थी। जिला परिवहन कार्यालय गया में, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अपूर्ण दस्तावेजों के कारण सेवाओं के वितरण में देरी पाई गई।

---

[1] *शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति/चालक अनुज्ञप्ति जारी करना, डुप्लिकेट अनुज्ञप्ति जारी करना, अनुज्ञप्ति को स्मार्ट कार्ड में परिवर्तित करना, अंतरराष्ट्रीय अनुज्ञप्ति जारी करना, वाहन का स्थानांतरण प्रमाण–पत्र, नया पंजीकरण, डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करना, पंजीकरण प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण, पंजीकरण प्रमाण–पत्र रद्द करना, व्यापार प्रमाण–पत्र जारी करना/नवीनीकरण, कर टोकन जारी करना, वाहन का समर्पण, पेट्रोल पंप का अनुज्ञप्ति जारी करना/नवीनीकरण, फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करना/नवीनीकरण, आकस्मिक रिपोर्ट, डुप्लिकेट फिटनेस जारी करना, कर वापसी/छूट के मामले को आगे बढ़ाना, प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण–पत्र आवेदन का निपटान और परमिट जारी करना।*

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य में प्रदान की जा रही 20 सेवाओं में से नौ सेवाएं बहुत विलंब से प्रदान की जा रही थीं। जिला परिवहन कार्यालय, गया के मामले में, उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी मामलों में, आवेदकों द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए गए थे और इस आधार पर कोई मामला वापस नहीं किया गया था/ टिप्पणी नहीं की गई थी कि दस्तावेज अपूर्ण थे।

7.3 निष्कर्ष और अनुशंसा

इस प्रकार, निर्धारित समय सीमा के भीतर लोक सेवाओं को प्रदान करने में कमियाँ थीं, क्योंकि वाहनों के पंजीकरण में बहुत विलंब के उदाहरण थे। इसके अलावा, अनिवार्य लोक सेवाएं या तो प्रदान नहीं की जा रही थीं या विलंब से प्रदान की जा रही थी जिसने नागरिकों को समय पर सेवाओं की प्राप्ति से वंचित कर दिया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, विभाग निम्नलिखित अनुशंसा पर विचार कर सकता है:

अनुशंसा 13: विभाग बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अनुसार लोक सेवाओं को समय पर प्रदान करना सुनिश्चित कर सकता है।

पटना
दिनांक : 12 जनवरी 2026

(हाउतिनल्ल स्वानतक)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 19 जनवरी 2026

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट– 1

(संदर्भः कंडिका 3.1.2)

मोटर वाहन कर अर्थदण्ड लगने से बचने के लिए अधिकृत डीलरों द्वारा *'वाहन'* सॉफ्टवेयर में गलत क्रय तिथि की प्रविष्टि (परिवहन वाहन पर)

(राशिः ₹ में)

क्र0 सं0	जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	डीलरों की संख्या	परिवहन वाहनों की संख्या	वाहनों के निबंधन की अवधि		वाहनों की खरीद की अवधि		बीमा की अवधि		मोटरवाहन कर भुगतान की अवधि		बीमा की तिथि एवं खरीद की तिथि के बीच का अंतर (दिनों में) (अधिनियम 192 बी(4) के अधीन जुर्माना के लिए)	बीमा की तिथि एवं भुगतान की तिथि के बीच का अंतर (दिनों में) (नियम 4(2) के अंतर्गत अर्थदण्ड के लिए)	अधिनियम 192बी (4)# के अधीन विक्रेता पर लगाया जाने वाला जुर्माना#	नियम 4(2) के अंतर्गत लगाया जाने वाला अर्थदण्ड की राशि जिसकी गणना *वाहन'* द्वारा नहीं की गई	कुल राशि (जुर्माना/अर्थदंड) (11 + 12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	बांका	44	213	13-09-2019	31-03-2024	18-08-2019	16-03-2024	20-12-2018	26-02-2024	29-08-2019	31-03-2024	8 – 364	16 – 365	21,48,259	27,39,623	48,87,882
2	गया	77	1,261	27-09-2019	31-03-2024	10-09-2019	31-03-2024	05-04-2019	02-03-2024	10-09-2019	31-03-2024	8 – 363	16 – 363	88,91,961	80,59,880	1,69,51,841
3	गोपालगंज	41	439	30-11-2019	08-05-2024	22-11-2019	07-05-2024	06-02-2019	23-04-2024	22-11-2019	08-05-2024	8 – 639	16 – 639	25,75,107	18,72,583	44,47,690
4	पूर्वी चंपारण	31	360	03-09-2019	04-05-2024	16-07-2019	02-05-2024	10-12-2018	24-02-2024	17-07-2019	04-05-2024	8 – 325	16 – 325	26,76,548	25,81,692	52,58,240
5	पटना	223	2140	08-05-2019	08-08-2024	30-04-2019	07-08-2024	04-02-2019	23-07-2024	04-05-2019	08-08-2024	8 – 622	16 – 629	2,32,16,754	2,65,75,363	4,97,92,117
6	सीतामढ़ी	37	302	06-09-2019	15-04-2024	26-08-2019	15-04-2024	08-04-2019	01-04-2024	05-09-2019	15-04-2024	8 – 325	16 – 327	19,51,282	16,39,918	35,91,200
कुल		**453**	**4,715**											**4,14,59,911**	**4,34,69,059**	**8,49,28,970**

(स्रोत : संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों का 'वाहन' डाटाबेस)

* बिलंब के दिनों के आधार पर अर्थदण्ड (25 प्रतिशत से 200 प्रतिशत) की गणना देय मोटर वाहन कर पर की गई थी।

\# देय वार्षिक मोटरवाहन कर की 10 गुणा के दर से जुर्माना की गणना की गई थी।

परिशिष्ट– 2

(संदर्भः कंडिका 3.1.2)

मोटर वाहन कर अर्थदण्ड लगने से बचने के लिए अधिकृत डीलरों द्वारा '*वाहन*' सॉफ्टवेयर में गलत क्रय तिथि की प्रविष्टि (गैर–परिवहन वाहन पर)

(राशिः ₹ में)

क्र0सं0	जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	डीलरों की संख्या	वाहनों की संख्या (गैर–परिवहन)	वाहनों की पंजीकरण की अवधि		वाहन मालिकों द्वारा क्रय की अवधि		बीमा के वैधता अवधि		कर भुगतान की अवधि		बीमा की तिथि एवं क्रय की तिथि के बीच अंतर (दिनों में)	अधिनियम 192वी (4)# के अधीन विक्रेताओं पर लगने वाला जुर्माना
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**	**10**
1	बांका	27	1,016	03-09-2019	10-03-2024	24-12-2018	08-03-2024	23-09-2018	27-12-2023	07-07-2019	10-03-2024	16 - 365	53,64,120
2	गया	71	2,940	01-09-2019	31-03-2024	14-01-2019	31-03-2024	02-11-2018	14-03-2024	14-05-2019	31-03-2024	16 - 1215	3,32,69,479
3	गोपालगंज	35	4,079	12-09-2019	08-05-2024	24-08-2019	07-05-2024	19-11-2018	25-04-2024	29-08-2019	08-05-2024	8 - 913	2,18,06,237
4	पूर्वी चंपारण	32	722	02-09-2019	08-05-2024	08-09-2018	08-05-2024	17-05-2018	04-04-2024	22-08-2019	08-05-2024	8 - 395	54,46,251
5	पटना	209	3,638	01-09-2019	20-08-2024	04-01-2019	18-08-2024	08-09-2018	31-07-2024	31-03-2019	18-08-2024	16 - 1246	6,52,68,410
6	सीतामढ़ी	34	1,741	02-09-2019	15-04-2024	02-06-2019	15-04-2024	09-10-2018	02-04-2024	11-06-2019	15-04-2024	8 - 1199	85,91,221
कुल		**408**	**14,136**										**13,97,45,718**

(स्रोत : संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों का वाहन डाटाबेस)

#(देय एकमुश्त कर का 2/3 की दर से जुर्माना की गणना की गयी थी।

परिशिष्ट– 3

(संदर्भः कंडिका 3.1.3)

कर के विलंबित भुगतान के लिए गैर–परिवहन वाहनों पर अर्थदण्ड लगाने के प्रावधान का अभाव

(राशिः ₹ में)

क्र0 सं0	जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	विलम्ब से पंजीकृत वाहनों की संख्या	वाहन मालिकों द्वारा क्रय की अवधि		वाहनों के पंजीकरण की अवधि		डीलरों द्वारा भुगतान किये गये कर की अवधि		विलंब दिनों में (क्रय एवं कर भुगतान की तिथि के बीच अंतर)	नियम 4(2)* के अंतर्गत लगने वाला अर्थदण्ड
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1	बांका	43,860	7,826	19-04-2017	11-03-2024	01-04-2019	31-03-2024	21-02-2019	31-03-2024	16– 1,016	3,65,21,112
2	गया	1,93,734	19,463	06-11-2009	13-03-2024	14-04-2019	31-03-2024	10-05-2018	31-03-2024	16– 3,658	10,95,78,372
3	गोपालगंज	83,723	8,041	20-01-2014	22-04-2024	01-04-2019	14-05-2024	23-01-2019	14-05-2024	16– 3,074	6,95,10,796
4	पूर्वी चंपारण	2,44,491	63,811	01-11-2012	15-03-2024	02-09-2019	31-03-2024	14-01-2019	31-03-2024	16– 3,170	27,24,13,486
5	पटना	4,92,117	16,416	31-10-2016	29-02-2024	01-04-2019	24-03-2024	10-09-2018	22-03-2024	16– 1,242	24,18,72,903
6	सीतामढ़ी	1,37,584	23,973	26-10-2014	14-03-2024	01-04-2019	31-03-2024	18-02-2019	31-03-2024	16 – 2,559	12,20,83,033
कुल		**11,95,509**	**1,39,530**								**85,19,79,702**

(स्रोत : संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों का वाहन डाटाबेस)

* बिलंब के दिनों के आधार पर अर्थदंड (25 प्रतिशत से 200 प्रतिशत) की गणना देय मोटर वाहन कर पर की गई थी।

परिशिष्ट– 4

(संदर्भः कंडिका 3.1.4)

'वर्तमान पते' में परिवर्तन के मामले में वाहनों के पंजीकरण का विवरण

(राशिः ₹ में)

क्र0 सं0	जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	वाहनों की संख्या जिसके लिए 'वर्तमान पते' का परिवर्तन के लिए आवेदन किया गया	वाहनों की संख्या जिसपर अनापत्ति प्रमण–पत्र की तिथि से कर नहीं लगाया गया	अनापत्ति प्रमण–पत्र निर्गत की अवधि		नये वाहन मालिकों द्वारा कर भुगतान (आवेदन किया गया) की अवधि		कर के नहीं वसूली की अवधि		कर के विलंबित भुगतान (दिनों में) (कर भुगतान एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र की तिथि के बीच अंतर)	वसूली नहीं किये गये कर की राशि	वसूली नहीं किये गये अर्थदण्ड की राशि	कुल (10 + 11)
									से	तक				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**		**7**		**8**		**9**	**10**	**11**	**12**
1	पूर्वी चंपारण	250	87	87	03-03-2021	21-10-2023	03-08-2022	02-11-2023	04-03-2021	01-11-2023	3 - 618	3,51,043	12,43,997	1595,040
2	गोपालगंज	36	12	12	31-05-2021	22-03-2024	24-09-2021	22-05-2024	01-06-2021	21-05-2024	15 - 1023	89,994	1,48,297	2,38,291
3	पटना	1,248	43	12	08-02-2020	11-10-2023	07-12-2020	01-12-2023	09-02-2020	30-11-2023	19 - 1190	48,929	77,604	1,26,533
4	सीतामढ़ी	1,217	82	6	21-12-2021	07-03-2024	11-03-2022	30-05-2024	22-12-2021	29-05-2024	0 - 1539	8,637	75,030	83,667
कुल		**2,751**	**224**	**117**								**4,98,603**	**15,44,928**	**20,43,531**

(स्रोत : संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों का वाहन डाटाबेस)

परिशिष्ट– 5

(संदर्भः कंडिका 3.1.5)

मोटर वाहन कर की वसूली के बिना नीलाम वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण

(राशिः ₹ में)

क्र0 सं0	जिला परिवहन कार्यालय का नाम	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	शामिल वाहनों की संख्या	नीलामी तिथि की अवधि		अनुमति/स्वामित्व स्थानांतरण की अवधि		मोटर वाहन कर नहीं वसूली की अवधि		विलंब दिनों में (जिसके लिए कर नहीं लगाया गया)	लगाने योग्य कर की राशि	नियम 4(2)* के अंतर्गत लगाने योग्य अर्थदण्ड	कुल लगाने योग्य कर एवं अर्थदंड (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**7**		**8**		**10**	**11**	**12**	**13**
1	पटना	28	5	28-12-2021	29-11-2023	02-02-2022	15-05-2024	29-12-2021	13-04-2028	107-962	88,081	1,76,162	2,64,243
2	सीतामढ़ी	66	5	18-11-2021	13-04-2022	29-03-2022	28-01-2023	19-11-2021	13-04-2027	584-891	1,03,078	2,06,156	3,09,234
कुल		**94**	**10**								**1,91,159**	**3,82,318**	**5,73,477**

(स्रोत : संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों का वाहन डाटाबेस)

* बिलंब के दिनों के आधार पर अर्थदंड (25 प्रतिशत से 200 प्रतिशत) की गणना देय मोटरवाहन कर पर की गई थी।

परिशिष्ट– 6

(संदर्भ: कंडिका 3.2)

नए खरीदे गए अपंजीकृत वाहनों द्वारा सर्वक्षमा योजना का लाभ उठाना

(राशि: ₹ में)

क्र0 सं0	जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	सर्वक्षमा योजना के तहत अनियमित रूप से पंजीकृत वाहनों की संख्या	के बीच खरीदे गए वाहन		के बीच पंजीकृत वाहन		वाहन वर्ग	भुगतान कर (कॉलम 4* 25000)	के बीच भुगतान किया गया कर		दिनों में देरी (कर भुगतान की तारीख और वाहन खरीद की तारीख के	वाहन का बिक्री मूल्य	देय मोटर वाहन कर (बिक्री मूल्य *4.5%)	देय अर्थदण्ड (25% से 200%)	कुल मोटर वाहन कर और देय अर्थदण्ड (12+13)	मोटर वाहन कर और अर्थदण्ड का कम संग्रह (14-8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**	**8**	**9**		**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
1	अररिया	5,914	67	जुलाई 2017	अप्रैल 2018	अक्टूबर 2017	नवम्बर 2018	ट्रैक्टर (वाणिज्यिक)	16,75,000	जनवरी 2018	जून 2018	25-353	3,74,48,892	16,85,195	23,16,957	40,02,152	23,27,152
2	बांका	3,839	115	जुलाई 2017	सितम्बर 2020	जुलाई 2017	दिसम्बर 2020	ट्रैक्टर (वाणिज्यिक)	28,90,500	नवम्बर 2017	सितम्बर 2020	0-275	6,49,53,919	29,22,937	15,76,265	44,99,202	16,08,702
3	बक्सर	3,207	25	अक्टूबर 2017	मई 2018	अक्टूबर 2017	जुलाई 2018	ट्रैक्टर (वाणिज्यिक)	6,25,000	मई 2018	जून 2018	14-242	1,41,55,029	6,36,976	8,90,875	15,27,851	9,02,851
4	दरभंगा	2,215	48	नवम्बर 2019	सितम्बर 2020	दिसम्बर 2019	जुलाई 2021	ट्रैक्टर (वाणिज्यिक)	12,00,000	दिसम्बर 2019	सितम्बर 2020	0-82	3,03,79,994	13,67,102	2,00,212	15,67,314	3,67,314
5	मधेपुरा	4,350	37	जुलाई 2017	जुलाई 2020	अक्टूबर 2017	सितम्बर 2020	ट्रैक्टर (वाणिज्यिक)	9,25,000	सितम्बर 2017	सितम्बर 2020	15-206	2,20,31,542	9,91,418	9,04,991	18,96,409	9,71,409
6	सुपौल	3,456	80	जुलाई 2017	जनवरी 2020	सितम्बर 2017	फरवरी 2020	ट्रैक्टर (वाणिज्यिक)	20,00,000	सितम्बर 2017	फरवरी 2020	18-340	4,46,62,780	20,09,835	35,40,665	55,50,500	35,50,500
7	पूर्वी चंपारण	8,950	167	जुलाई 2017	सितम्बर 2020	दिसम्बर 2017	अक्टूबर 2020	ट्रैक्टर (वाणिज्यिक)	41,75,000	दिसम्बर 2017	सितम्बर 2020	0-348	8,99,11,894	40,46,035	66,11,877	1,06,57,912	64,82,912
कुल		**31,931**	**539**						**1,34,90,500**				**30,35,44,050**	**1,36,59,498**	**1,60,41,842**	**2,97,01,340**	**1,62,10,840**

(स्रोत : संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों का वाहन डाटाबेस)

परिशिष्ट– 7

(संदर्भ: कंडिका 3.3)

पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र द्वारा वाहन मालिक के अलावा अन्य व्यक्ति के नाम जमा प्रमाण–पत्र जारी करना

(राशि: ₹ में)

क्र0 सं0	पुराने वाहन का पंजीकरण संख्या	वाहन वर्ग	जिला परिवहन कार्यालय के साथ पंजीकृत	जमा प्रमाण–पत्र संख्या	ज्मा प्रमाण–पत्र जारी	नए वाहन का पंजीकरण संख्या	नए वाहन की बिक्री राशि	कुल देय मोटर वाहन कर देय	जिला परिवहन कार्यालय द्वारा दी गयी छूट (कॉलम 9*25%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	DL3XXXXX89	मोटरकार	पटना	COD2023126DL3CBC2589	03-12-2023	BR01XXXX00	1,23,70,000	14,84,400	3,71,100
2	BR1XXX15	मोटरकार	पटना	COD202312700BR1Z7015	23-12-2023	BR01XXXX98	9,78,000	97,800	24,450
3	JH0XXXX55	मोटरकार	पटना	COD20240160JH09H3855	04-01-2024	BR01XXXX01	13,69,000	1,36,900	34,225
4	BR2XXXX74	मोटरकार	बोकारो	COD20240300BR20C2274	16-03-2024	BR01XXXX56	7,51,500	67,635	16,909
5	BR01XXXX81	मोटरकार	पटना	COD2024057BR01AR9381	11-05-2024	BR01XXXX75	21,28,999	2,55,480	63,870
6	JH05XXXX0	मोटरकार	सिवान	COD20240320JH05D7500	18-03-2024	BR01XXXX59	14,23,500	1,42,350	35,588
7	BR1XXX30	मोटरकार	पटना	COD202405700BR1X5630	14-05-2024	BR01XXXX74	12,61,000	1,26,100	31,525
8	BR1XXX65	मोटरकार	पटना	COD202406800BR1Z3765	29-06-2024	BR01XXXX44	9,24,900	92,490	23,123
9	BR1XXXX45	मोटरकार	पटना	COD20240660BR1AL0445	05-06-2024	BR01XXXX31	30,98,000	3,71,760	92,940
10	JH01XXX55	मोटरकार	राँची	COD20240710JH01N7555	16-07-2024	BR01XXXX77	22,49,000	2,69,880	67,470
11	BR1XXXX14	मोटरकार	पटना	COD20240700BR1AF1714	25-07-2024	BR01XXXX65	12,14,990	1,21,499	30,375
12	BR1XXXX50	मोटरकार	रांची	COD20240830BR14H3950	08-08-2024	BR01XXXX93	10,40,200	1,04,020	26,005
13	DL9XXXX67	मोटरकार	द्वारिका	COD20240860DL9CW2267	13-08-2024	BR01XXXX06	9,14,499	91,450	22,863
14	BR1XXX07	मोटरकार	पटना	COD202408400BR1Z9007	18-08-2024	BR01XXXX08	17,41,801	2,09,016	52,254
15	BR01XXXX71	मोटरकार	पटना	COD2024081BR01AT1571	10-08-2024	BR01XXXX95	8,77,500	87,750	21,938
16	JH01XXX23	मोटरकार	पटना	COD20240880JH01J2323	21-08-2024	BR01XXXX74	6,75,500	60,795	15,199
17	GJ05XXXX56	मोटरकार	पटना	COD2024083GJ05JK0456	18-03-2024	BR01XXXX13	10,68,999	1,06,900	26,725
18	BR01XXXX69	मोटरकार	पटना	COD2024091BR01BG6469	11-09-2024	BR01XXXX80	25,35,499	3,04,260	76,065
19	BR01XXXX33	मोटरकैव	पटना	COD2024033BR01PD8933	18-03-2024	BR01XXXX13	7,45,999	67,140	16,785
कुल									**10,49,409**

(स्रोत : संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों का 'वाहन' डाटाबेस)

परिशिष्ट– 8

(संदर्भ: कंडिका 3.3)

वाहनों से मोटर वाहन कर एकत्र किए बिना जमा का प्रमाण–पत्र जारी करना

(राशि: ₹ में)

क्र0 सं0	पुराने वाहन का पंजीकरण संख्या	वाहन वर्ग	जिला परिवहन कार्यालय के साथ पंजीकृत	जमा प्रमाण–पत्र संख्या	जमा प्रमाण–पत्र जारी	नए वाहन का पंजीकरण संख्या	नए वाहन की बिक्री राशि	कुल देय मोटर वाहन कर	जिला परिवहन कार्यालय द्वारा दी गई छूट (कॉलम 9*25%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	BR2XXXX74	मोटरकार	बोकारो	COD20240300BR20C2274	16-03-2024	BR01XXXX56	7,51,500	67,635	16,909
2	BR1XXX57	मोटरकार	दुमका	COD202401800BR1P2657	18-01-2024	BR01XXXX29	11,14,500	1,11,450	27,863
3	DL9XXXX67	मोटरकार	द्वारिका	COD20240860DL9CW2267	13-08-2024	BR01XXXX06	9,14,499	91,450	22,863
4	JH05XXX55	मोटरकार	जमशेदपुर	COD20240750JH05K7155	13-07-2024	BR01XXXX64	6,59,500	59,355	14,839
5	NL04XXX86	मोटरकार	नागालैंड	COD20240880NL04C0786	17-08-2024	BR01XXXX59	8,94,900	89,490	22,373
6	JH01XXX55	मोटरकार	राँची	COD20240710JH01N7555	16-07-2024	BR01XXXX77	22,49,000	2,69,880	67,470
7	BR14XXX50	मोटरकार	राँची	COD20240830BR14H3950	08-08-2024	BR01XXXX93	10,40,200	1,04,020	26,005
8	GJ05XXXX56	मोटरकार	सूरत	COD2024083GJ05JK0456	18-03-2024	BR01XXXX13	10,68,999	1,06,900	26,725
कुल									**2,25,047**

(स्रोत : संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों का 'वाहन' डाटाबेस)

परिशिष्ट– 9

(संदर्भः कंडिका 3.3)

वाहनों के वित्तीय बकाया की समायोजन के बिना पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र द्वारा जमा का प्रमाण पत्र जारी करना

(राशिः ₹ में)

क्र0 सं0	स्क्रैपिंग सुविधा का नाम	वाहन का पंजीकरण संख्या	वाहन वर्ग	जमा प्रमाण–पत्र संख्या	जमा प्रमाण–पत्र जारी	से कर भुगतान	तक कर भुगतान	भुगतान किये गये मोटर वाहन कर की राशि	देय मोटर वाहन कर से	देय मोटर वाहन कर की राशि	लंबित ई–चलान की राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	श्री नीलायम प्रीकोटेड स्टील	BR01XXXX66	मोटरकैब	COD2024078BR01BK6666	08-07-2024	19-10-2020	18-10-2021	3,200	19-10-2021	8,000	0
2		UP32XXXX81	मालवाहक	COD2024063UP32AN4081	06-06-2024	01-01-2023	30-06-2023	12,100	01-07-2023	24,200	0
3		UP32XXXX82	मालवाहक	COD2024060UP32AN4082	06-06-2024	01-01-2023	30-06-2023	12,100	01-07-2023	24,200	0
4		GRXXX45	मालवाहक	COD2024064000GRQ7145	06-06-2024	01-04-2018	30-09-2018	8,228	01-10-2018	94,622	0
5		UP32XXXX79	मालवाहक	COD2024094UP32AN3279	10-09-2024	01-01-2019	31-12-2019	22,325	01-01-2020	1,06,044	0
6		BR01XXXX94	मोटरकार	COD2023127BR01AS3994	29-12-2023	03-10-2009	02-10-2024	NA*	NA	NA	1,000
7		BR01XXXX59	मोटरकार	COD2024060 BR01BF4259	24-06-2024	12-12-2012	20-12-2027	NA	NA	NA	5,500
8		BR01XXXX71	मोटरसाईकिल	COD2024085 BR01CF5771	10-08-2024	29-11-2014	28-11-2029	NA	NA	NA	1,000
9		BR01XXXX69	मोटरकार	COD2024091BR01BG6469	11-09-2024	01-12-2011	30-11-2026	NA	NA	NA	2500
कुल										**2,57,066**	**10,000**
सकल कुल											**2,67,066**

(स्रोत : संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों का 'वाहन' डाटाबेस)

* NA = लागू नहीं क्योंकि कर भुगतान किया गया था।

परिशिष्ट– 10

(संदर्भः कंडिका 3.4.1)

वैध दस्तावेजों के बिना स्थायी परमिट धारक परिवहन वाहनों का परिचालन

क्र0 सं0	जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	जारी किए गए स्थायी परमिट की संख्या	निलंबन के लिए पात्र वाहनों की संख्या	पंजीकृत वाहन की अवधि		जारी किए गए परमिट की अवधि	
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	
1	बांका	1,442	974	जुलाई 2004	अक्टूबर 2023	अगस्त 2021	मार्च 2024
2	पूर्वी चंपारण	1,313	946	मार्च 1997	अक्टूबर 2023	सितम्बर 2021	मार्च 2024
3	गया	2,172	1,256	फरवरी 1991	नबम्वर 2023	फरवरी 2023	मार्च 2024
4	गोपालगंज	869	361	जून 2000	अक्टूबर 2023	जुलाई 2021	मार्च 2024
5	पटना	15,049	5,669	फरवरी 1974	फरवरी 2024	अगस्त 2021	मार्च 2024
6	सीतामढ़ी	698	316	फरवरी 2006	जनवरी 2024	फरवरी 2023	मार्च 2024
कुल		**21,543**	**9,522**				

परिशिष्ट– 11

(संदर्भः कंडिका 3.4.2)

परमिट प्रदान को सुनिश्चित किए बिना नए परिवहन वाहनों का पंजीकरण

(राशिः ₹ में)

क्र0 सं0	जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	वाहन का वर्ग				परमिट के बिना पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या	पंजीकृत वाहन की अवधि		डीलरों की संख्या	नहीं लगाई गई परमिट शुल्क* की राशि
			माल वाहक	मैक्सी कैब/मोटर कैब (अनुबंध वाहन)	तिपहिया यात्री वाहन (अनुबंध वाहन)	ट्रैक्टर (वाणिज्यिक)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**		**10**	**11**
1	बांका	3,240	12	11	146	1,755	1,924	जुलाई 2019	मार्च 2024	25	1,55,74,450
2	पूर्वी चंपारण	10,653	17	19	317	750	1,103	जून 2020	मार्च 2024	40	85,29,800
3	गया	12,498	89	229	3,311	2,243	5,872	अप्रैल 2019	मार्च 2024	76	4,32,45,400
4	गोपालगंज	3,916	19	62	313	109	503	अप्रैल 2019	मार्च 2024	32	42,84,350
5	पटना	53,685	254	664	25,959	2,890	29,767	अप्रैल 2019	मार्च 2024	194	18,81,52,750
6	सीतामढ़ी	5,637	3	11	1,273	1,665	2,952	अप्रैल 2019	अगस्त 2023	41	2,11,30,200
कुल		**89,629**	**394**	**996**	**31,319**	**9,412**	**42,121**			**408**	**28,09,16,950**

(स्रोत : संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों का 'वाहन' डाटाबेस)

*परमिट शुल्क में आवेदन शुल्क और स्थायी परमिट शुल्क (वाहन के वर्ग के आधार पर); लेनदेन शुल्क (₹1000) और अधिभार (अनुबंध गाड़ी पर उद्ग्रहणीय) शामिल है।

परिशिष्ट– 12

(संदर्भः कंडिका 3.4.3)

माल वाहक गाड़ियों के लिए राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण न होना

(राशिः ₹ में)

क्र0 सं0	जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	अधिकृत राष्ट्रीय परमिट के बिना वाहनों की संख्या	राष्ट्रीय परमिट के गैर–प्राधिकार की अवधि		देय राष्ट्रीय परमिट प्राधिकार शुल्क
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**
1	बांका	37	13	मार्च 2023	मार्च 2024	2,77,500
2	पूर्वी चंपारण	86	4	नवम्बर 2023	फरवरी 2024	74,000
3	गोपालगंज	1,291	41	जुलाई 2022	मार्च 2024	10,17,500
4	पटना	2,074	59	जनवरी 2024	मार्च 2024	10,91,500
5	सीतामढ़ी	41	10	अप्रैल 2024	अगस्त 2024	1,85,000
कुल		**3,529**	**127**			**26,45,500**

(स्रोत : संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों का वाहन डाटाबेस)

** प्राधिकार शुल्क (प्रति वाहन) में समग्र शुल्क (₹16,500), गृह प्राधिकार शुल्क (₹1,000) और लेनदेन शुल्क (₹1,000) शामिल हैं

परिशिष्ट– 13

(संदर्भः कंडिका 3.4.4)

मालवाहक गाड़ियों और अनुबंध गाड़ियों को अनियमित परमिट प्रदान करना

(राशिः ₹ में)

क्र0 सं0	जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	वाहनों की संख्या जिसके लिए अनियमित परमिट दिए गए थे	वाहन का वर्ग	परमिट के प्रकार	परमिट शुल्क उद्ग्रहणीय (पूरे राज्य के लिए)	एक क्षेत्र के लिए लगाया गया परमिट शुल्क	लगाया गया कम परमिट शुल्क
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	बांका	1,125	876	ट्रैक्टर (वाणिज्यिक)	माल ढुलाई परमिट	71,83,200	36,85,200	34,98,000
2	पूर्वी चंपारण	284	133	ट्रैक्टर (वाणिज्यिक)	माल ढुलाई परमिट	10,90,600	5,58,600	5,32,000
3	गया	465	70	ट्रैक्टर (वाणिज्यिक)	माल ढुलाई परमिट	5,74,000	2,94,000	2,80,000
4	पटना	1,900	66	मोटर कैब	ढुलाई अनुबंध परमिट	15,60,900	10,65,900	4,95,000
कुल		**3,774**	**1,145**			**1,04,08,700**	**56,03,700**	**48,05,000**

(स्रोत : संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों का 'वाहन' डाटाबेस)

परिशिष्ट– 14

(संदर्भ: कंडिका 4.3)

वैध फिटनेस प्रमाण–पत्र के बिना परिवहन वाहनों का परिचालन

(राशि: ₹ में)

क्र0 सं0	जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	समय सीमा समाप्त फिटनेस वाले वाहनों की संख्या	वाहन वर्ग					फिटनेस के बिना चलाये गये जाने की अवधि		फिटनेस नवीकरण शुल्क* उद्ग्रहणीय	फिटनेस तिथि समाप्त होने के बाद कर भुगतान करने वाहनें की संख्या	फिटनेस समाप्त वाहनों की संख्या जिस पर ई–चालान के माध्यम से जुर्माना लगाया गया था
				माल वाहक	स्टेज गाड़ी	मैक्सी/मोटर कैब (हल्के मोटर वाहन)	ट्रैक्टर (वाणिज्यिक)	तिपहिया यात्री गाडी (हल्के मोटर वाहन)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**		**11**	**12**	**13**
1	बांका	3,010	1,228	185	20	42	800	181	अप्रैल 2019	मार्च 2024	7,57,200	53	30
2	पूर्वी चंपारण	2,620	2,271	744	52	334	916	225	अप्रैल 2019	मार्च 2024	13,90,400	102	24
3	गया	8,107	2,478	1,175	157	322	253	571	जनवरी 2022	मार्च 2024	15,93,000	456	67
4	गोपालगंज	2,620	666	290	32	91	195	58	अप्रैल2019	मार्च 2024	4,21,800	59	41
5	पटना	46,237	26,444	9,724	563	2,444	3,520	10,193	अप्रैल2019	मार्च 2024	1,68,44,600	1,948	375
6	सीतामढ़ी	3,751	2,834	383	20	103	1,266	1,062	अप्रैल 2019	मार्च 2024	17,36,200	65	60
कुल		**66,345**	**35,921**	**12,501**	**844**	**3,336**	**6,950**	**12,290**			**2,27,43,200**	**2,683**	**597**

(स्रोत : संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों का 'वाहन' डाटाबेस)

*फिटनेस नवीनीकरण शुल्क में फिटनेस निरीक्षण शुल्क (हल्के मोटर वाहन के लिए ₹400 और भारी मोटर वाहन के लिए ₹600 की दर से उद्ग्रहणीय शुल्क) और वाहनों के प्रत्येक वर्ग के लिए ₹200 का परीक्षण शुल्क शामिल है।

परिशिष्ट– 15

(संदर्भः कंडिका 5.2.1)

डीलर पॉइंट के माध्यम से पंजीकृत वाहनों के लिए डीलरों द्वारा एकमुश्त कर का कम भुगतान

(राशिः ₹ में)

क्र0 सं0	जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	डीलरों की संख्या	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	वाहन के प्रकार				वाहनों की कुल संख्या	पंजीकृत वाहनों की अवधि		वाहनों द्वारा भुगतान किया गया मोटर वाहन कर की अवधि		मोटर वाहन कर का भुगतान	प्रतिवेदन दिनांक	प्रतिवेदन तिथि से लद्यु कर के भुगतान में देरी (दिनों में)	देय मोटर वाहन कर	कम मोटर वाहन कर का भुगतान	नियम 4(2) के तहत देय अर्थदण्ड़ (25% से 200%)	कुल आरोप्य राशि (कॉलम 16+कॉलम 17)
				ई–रिक्शा	तिपहिया	ट्रैक्टर	मैक्सी कैब												
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**		**11**		**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
1	सीतामढ़ी	1	2,770	8	0	0	0	8	फरवरी 2020	फरवरी 2020	फरवरी 2020	फरवरी 2020	1,976	04-09-2024	1667-1672	42,336	40,360	80,720	1,21,080
2	पूर्वी चंपारण	3	4,272	0	18	4	1	23	सितम्बर 2019	अक्टूबर 2023	सितम्बर 2019	अक्टूबर 2023	1,41,909	30-07-2024	294-1789	3,61,106	2,19,197	4,38,394	6,57,591
3	गोपालगंज	2	5,052	1	0	0	1	2	अगस्त 2019	अक्टूबर 2023	अगस्त 2019	अक्टूबर 2023	3,573	21-08-2024	316-1831	72,317	68,744	1,37,487	2,06,231
4	पटना	12	15,620	176	0	0	1	177	मार्च 2021	जनवरी 2024	फरवरी 2021	जनवरी 2024	5,36,861	23-09-2024	251-1306	13,96,964	8,60,103	17,20,206	25,80,309
कुल		**18**	**27,714**	**185**	**18**	**4**	**3**	**210**					**6,84,319**			**18,72,723**	**11,88,404**	**23,76,807**	**35,65,211**

(स्रोत : संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों का 'वाहन' डाटाबेस)

परिशिष्ट– 16

(संदर्भः कंडिका 5.2.2)

जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा वाहन मालिकों से एकमुश्त कर और एकमुश्त कर पर अर्थदण्ड की वसूली न करना

(राशिः ₹ में)

क्र0 सं0	जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	पंजीकृत वाहनों की संख्या	पंजीकृत वाहन की अवधि		भुगतान किया गया मोटर वाहन कर की अवधि		विलंब दिनों में	वसूल किए गए मोटर वाहन कर की राशि (तिमाही/वार्षिक)	देय एकमुश्त मोटर वाहन कर	कम मोटर वाहन कर के भुगतान की राशि	नियम 4(2) के अंतर्गत विलंब के लिए देय अर्थदण्ड	कुल देय राशि (कॉलम 10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	गया	829	16	जनवरी 2018	सितम्बर 2019	मई 2019	जनवरी 2024	110– 1900 (02.08.2024 तक)	2,61,749	13,77,495	11,15,746	22,31,492	33,47,238
2	पटना	7,217	2	मार्च 2020	दिसम्बर 2020	मार्च 2020	अप्रैल 2024	171– 1645 (23.09.2024 तक)	50,675	2,48,444	1,97,769	3,95,538	5,93,307
कुल		**8,046**	**18**						**3,12,424**	**16,25,939**	**13,13,515**	**26,27,030**	**39,40,545**

(स्रोतः संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों का वाहन डाटाबेस)

परिशिष्ट– 17

(संदर्भः कंडिका 5.2.3)

निर्माण उपकरण वाहनों से मोटर वाहन कर की वसूली न करना

(राशिः ₹ में)

क्र0 सं0	जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	पंजीकृत वाहनों की सख्या जिसने मोटर वाहन कर का भुगतान (तिमाही/वार्षिक) किया	पंजीकृत वाहन की अवधि		भुगतान किया गया मोटर वाहन कर की अवधि		वसूल किए गए मोटर वाहन कर की राशि (तिमाही/वार्षिक)	देय एकमुश्त मोटर वाहन कर	कम मोटर वाहन कर देय (कॉलम 8–7)
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**	**8**	**9**
1	सीतामढ़ी	142	67	जून 2020	फरवरी 2022	जून 2020	फरवरी 2022	3,00,125	1,12,55,423	1,09,55,298
2	पूर्वी चंपारण	403	234	अप्रैल 2019	सितम्बर 2022	अप्रैल 2019	फरवरी 2022	11,23,325	3,74,42,279	3,63,18,954
3	गोपालगंज	155	92	जुलाई 2020	फरवरी 2022	जुलाई 2020	जनवरी 2022	4,24,025	1,41,39,741	1,37,15,716
4	पटना	1,702	687	नवम्बर 2019	मार्च 2022	मई 2020	फरवरी 2022	32,79,550	11,89,41,115	11,56,61,565
5	गया	325	155	जून 2019	मार्च 2022	मार्च 2020	फरवरी 2022	8,49,299	2,51,58,244	2,43,08,945
6	बांका	34	20	दिसम्बर 2019	फरवरी 2022	दिसम्बर 2019	जनवरी 2022	1,54,225	32,94,029	31,39,804
कुल		**2,761**	**1,255**					**61,30,549**	**21,02,30,831**	**20,41,00,282**

(स्रोत : संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों का वाहन डाटाबेस)

परिशिष्ट– 18

(संदर्भः कंडिका 5.3)

वार्षिक मोटर वाहन कर भुगतान करने वाले परिवहन वाहनों से मोटर वाहन कर का उद्ग्रहण न करना

(राशिः ₹ में)

क्र0 सं0	जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	आपति वाले वाहन की संख्या	पंजीकरण की अवधि		मोटर वाहन कर भुगतान की अवधि		प्रतिवेदन दिनांक	प्रतिवेदन की तारीख से विलंब (दिनों में)	देय मोटर वाहन कर की राशि	देरी के लिए नियम 4(2) के तहत अर्थदण्ड की राशि	सड़क सुरक्षा उपकर की राशि (मोटर वाहन कर का 1% की दर से)	सड़क सुरक्षा उपकर जुर्माना*	वसूल की जाने वाली राशि (कॉलम 9+10+11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	बांका	509	165	03-02-2010	16-11-2023	20-04-2019	29-03-2024	08-08-2024	132-1937	46,40,464	92,80,928	46,403	50,649	1,40,18,444
2	गया	4,747	1,286	01-01-2010	19-02-2024	03-04-2019	29-03-2024	23-07-2024	116-1210	2,65,35,166	5,30,70,332	2,65,366	1,80,752	8,00,51,616
3	गोपालगंज	2,132	481	13-01-2010	28-12-2023	07-04-2019	29-03-2024	12-08-2024	136-1954	1,54,16,029	3,08,32,058	1,54,154	1,59,649	4,65,61,890
4	पूर्वी चंपारण	10,614	353	14-01-2010	23-10-2023	15-02-2019	29-03-2024	18-07-2024	111-1980	83,06,118	1,66,12,236	83,053	85,197	2,50,86,604
5	पटना	14,020	4,935	01-01-2010	02-01-2024	03-04-2019	29-03-2024	03-09-2024	158-1342	9,63,03,420	19,26,06,840	9,63,080	7,21,526	29,05,94,866
6	सीतामढ़ी	3,270	429	08-01-2010	25-08-2023	07-04-2019	28-03-2024	27-08-2024	152-1969	1,57,71,531	3,15,43,062	1,57,705	1,70,599	4,76,42,897
कुल		**35,292**	**7,649**							**16,69,72,728**	**33,39,45,456**	**16,69,761**	**13,68,372**	**50,39,56,317**

(स्रोत : संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों का वाहन डाटाबेस)

* सड़क सुरक्षा उपकर का 2.5 प्रतिशत प्रतिमाह के दर से

परिशिष्ट– 19

(संदर्भः कंडिका 5.3.1)

वाहनों की श्रेणी का वर्गीकरण

व्हीलबेस (इंच में)	बैठने की क्षमता के अनुसार बस की श्रेणी		
	साधारण बस	सेमी डीलक्स बस	डीलक्स बस
228	61	49	41
216	55	44	37
210	54	43	36
206	53	42	35
205	53	42	35
203	53	42	35
204	53	42	35
190	48	38	32
180	40	32	27
179	38	30	25
176	37	30	25
167	33	26	22
166	33	26	22
165	33	26	22
163	32	26	21
143	28	22	19
142	25	20	17

(स्रोत : 2014 में संशोधित बिहार मोटर वाहन अधिनियम 1994)

परिशिष्ट– 20

(संदर्भः कंडिका 5.3.1)

वर्गीकरण के गलत आकलन के कारण स्टेज कैरेज़ पर मोटर वाहन कर का अल्प आरोपण

(राशिः ₹ में)

क्र0 सं0	जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	पंजीकृत वाहन की संख्या	वाहनों के पंजीकरण की अवधि		बसों का व्हीलबेस (ईंच में)	वाहनों में सीट की संख्या	मोटर वाहन कर के संग्रह के लिए मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा निर्धारित बसों का वर्गीकरण	के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले वाहनों की संख्या		भुगतान किऐ गए मोटर वाहन कर की राशि	देय मोटर वाहन कर की राशि	देय मोटर वाहन कर की कम राशि (कॉलम 12–11)
									डीलक्स	सेमी डीलक्स			
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	सीतामढ़ी	113	23	जून 2019	फरवरी 2024	142-207	20-44	साधारण	2	21	25,16,967	31,15,047	5,98,080
2	पूर्वी चंपारण	116	25	अप्रैल 2019	अक्टूबर 2023	146-213	18-43	साधारण	2	23	25,60,634	32,30,633	6,69,999
3	गोपालगंज	285	14	जुलाई 2019	जून 2023	146-213	18-43	साधारण	1	13	11,90,279	15,03,408	3,13,129
4	पटना	1054	324	अप्रैल 2019	मार्च 2024	146-244	18-55	साधारण	134	190	2,26,72,788	2,97,48,426	70,75,638
5	गया	940	217	अप्रैल 2019	मार्च 2024	158-222	26-53	साधारण	19	198	1,70,19,645	2,17,06,971	46,87,326
6	बांका	63	38	अप्रैल 2019	दिसम्बर 2023	146-236	22-63	साधारण	11	27	29,16,808	38,47,103	9,30,295
कुल		**2571**	**641**						**169**	**472**	**4,88,77,121**	**6,31,51,588**	**1,42,74,467**

(स्रोत : संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों का 'वाहन' डाटाबेस)

परिशिष्ट– 21

(संदर्भः कंडिका 5.3.2)

परिवहन वाहनों से हरित कर और अर्थदण्ड की वसूली न करना

(राशिः ₹ में)

क्र0 सं0	जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	पंजीकृत वाहन की संख्या जिसने हरित कर का भुगतान किए बिना मोटर वाहन कर का भुगतान किया	पंजीकृत वाहन की अवधि		भुगतान किया गया मोटर वाहन कर की अवधि		प्रतिवेदन दिनांक	प्रतिवेदन हरित कर	प्रतिवेदन तिथि से हरित कर के भुगतान में देरी (दिनों में)	नियम 4(2) के तहत देय अर्थदण्ड़	कुल हरित कर और देय अर्थदण्ड़ (कॉलम **8+10**)
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	सीतामढ़ी	839	63	नवम्बर 2003	मार्च 2012	अप्रैल 2019	मई 2024	27-08-2024	85,749	95-1952	1,71,498	2,57,247
2	पूर्वी चंपारण	1397	28	जनवरी 2005	अप्रैल 2012	फरवरी 2019	अप्रैल 2024	31-07-2024	30,883	120-2007	61,766	92,649
3	गोपालगंज	948	34	सितम्बर 2004	मार्च 2012	अप्रैल 2019	मार्च 2024	19-08-2024	42,414	145-1967	84,828	1,27,242
4	पटना	37935	814	जनवरी 2000	दिसम्बर 2011	मार्च 2018	मई 2024	23-08-2024	12,94,844	95-2347	25,89,688	38,84,532
5	गया	956	4	नवम्बर 2006	सितम्बर 2008	नवम्बर 2018	जुलाई 2020	02-08-2024	10,762	1514-2077	21,524	32,286
कुल		**42075**	**943**						**14,64,652**		**29,29,304**	**43,93,956**

(स्रोत : संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों का 'वाहन' डाटाबेस)

परिशिष्ट– 22

(संदर्भः कंडिका 5.4.1)

वाहनों के अस्थायी पंजीकरण पर व्यापार कर का आरोपण न करना

(राशिः ₹ में)

क्र0 सं0	जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	वाहनों की संख्या जिसके लिए अस्थायी पंजीकरण जारी किया गया था	अस्थायी पंजीकरण वैधता की अवधि		देय व्यापार कर*
1	**2**	**3**	**4**		**5**
1	बांका	1,396	जुलाई 2020	मार्च 2024	2,65,350
2	पूर्वी चंपारण	1,606	जुलाई 2020	जून 2024	3,14,500
3	गया	1,521	जुलाई 2020	मार्च 2024	2,99,400
4	गोपालगंज	1,666	जुलाई 2020	जुलाई 2024	3,13,100
5	पटना	59,143	जुलाई 2020	नवम्बर 2023	1,22,40,200
6	सीतामढ़ी	928	जुलाई 2020	सितम्बर 2022	1,74,350
कुल		**66,260**			**1,36,06,900**

(स्रोतः संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों का वाहन डेटाबेस)

*मोटरसाईकिल के लिए ₹150, भारी मोटर वाहन के लिए ₹250 की दर से देय व्यापार कर की गणना की गई।

परिशिष्ट– 23

(संदर्भ: कंडिका 5.5)

स्वामित्व हस्तांतरण के आवेदन में देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाना

(राशि: ₹ में)

क्र0 सं0	जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	वाहनों की संख्या जिसके लिए स्वामित्व स्थानान्तरण आवेदन किया गया	स्वामित्व स्थानान्तरण के लिए आवेदन की तिथि		स्वामित्व स्थानान्तरण की तिथि		विलंब दिनों में	देय अतिरिक्त शुल्क
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	सीतामढ़ी	10,435	2,330	फरवरी 2019	फरवरी 2024	जून 2019	मार्च 2024	1 - 46	30,98,500
2	पूर्वी चंपारण	11,920	4,534	अप्रैल 2019	मार्च 2024	मई 2019	जुलाई 2024	1 - 51	76,74,050
3	गोपालगंज	10,974	1,880	दिसम्बर 2016	फरवरी 2024	जुलाई 2019	मार्च 2024	1 - 62	25,12,800
4	पटना	25,695	4,369	जुलाई 2014	फरवरी 2024	अक्टूबर 2019	मार्च 2024	2 - 96	76,40,200
कुल		**59,024**	**13,113**						**2,09,25,550**

(स्रोत : संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों का 'वाहन' डाटाबेस)

परिशिष्ट– 24

(संदर्भः कंडिका 6.1)

ई–चालान की वसूली में नमूना जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा निगरानी की कमी के कारण बकाया में वृद्धि

(राशिः ₹ में)

क्र0 सं0	जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	बिहार में लंबित ई–चालान की कुल संख्या (मार्च 2024)	जाँच किए गए जिला परिवहन कार्यालय में लंबित ई–चालान की संख्या	ई–चालान जारी करने की अवधि		ई–चालान के माध्यम से लगाए गए जुर्माने की राशि जो लंबित थे	दो या दो से अधिक अलग–अलग अवसरों पर उसी वाहनों पर लंबित ई–चालान		कॉलम 7 में वाहनों पर लगाया गया जुर्माना	ऐसे वाहनों की संख्या जिनकी फिटनेस को लंबित ई–चालान के जुर्माने को वसूल किए बिना नवीनीकृत किया गया था
							वाहनों की संख्या	चालानों की संख्या		
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	सीतामढ़ी	3,58,062	628	15-02-2020	30-03-2024	1,50,23,262	27	64	14,63,469	7
2	पूर्वी चंपारण		2,959	14-02-2020	30-03-2024	2,35,26,077	286	615	28,31,976	9
3	गोपालगंज		5,536	02-04-2021	31-03-2024	8,94,12,432	325	745	1,63,95,324	51
4	पटना		4,837	03-08-2021	30-03-2024	16,87,01,491	267	579	1,91,93,808	773
5	गया		10,253	01-03-2020	31-03-2024	7,62,03,810	723	1,613	83,42,310	15
6	बांका		1,715	21-03-2020	29-03-2024	7,08,20,258	127	279	1,44,19,020	3
कुल		**3,58,062**	**25,928**			**44,36,87,330**	**1,755**	**3,895**	**6,26,45,907**	**858**

(स्रोत : जिला परिवहन कार्यालयों का ई–चालान डाटाबेस)

परिशिष्ट– 25

(संदर्भ: कंडिका 6.1)

ई–चालान की वसूली में निगरानी की कमी के कारण राज्य में बकाया राशि में वृद्वि (मार्च 2024 तक)

(राशि: ₹ में)

वर्ष (1)	द्वारा जारी ई–चालान (2)	कुल		मौके पर ही निपटाया गया ई–चालान		मौके पर निपटान के बाद लंबित ई–चालान		मालिकों/जिला परिवहन कार्यालय द्वारा निपटाए कए ई–चलान		लंबित शेष ई–चालान		ई–चालान का प्रतिशत (13=11/3*100)
		ई–चालान की संख्या (3)	राशि (4)	ई–चालान की संख्या (5)	राशि (6)	ई–चालान की संख्या (7)	राशि (8)	ई–चालान की संख्या (9)	राशि (10)	ई–चालान की संख्या (11)	राशि (12)	
2020-21	जिला परिवहन पदाधिकारी	24,936	38,24,97,477	20,251	19,34,20,303	4,685	18,90,77,174	3,885	16,18,20,574	800	2,72,56,600	3.20
	मोटर वाहन निरीक्षक	20,022	49,69,59,739	12,406	12,71,34,647	7,616	36,98,25,092	6,442	32,09,87,586	1,174	4,88,37,506	5.90
	प्रवर्तन उप–निरीक्षक	33,944	62,81,67,302	24,539	15,25,13,152	9,405	47,56,54,150	7,877	40,87,08,538	1,528	6,69,45,612	4.50
कुल		**78,902**								**3502**	**14,30,39,718**	**4.4**
2021-22	जिला परिवहन पदाधिकारी	15,008	34,34,07,955	9,145	10,77,21,963	5,863	23,56,85,992	4,654	19,54,71,206	1,209	4,02,14,786	8.01
	मोटर वाहन निरीक्षक	20,179	54,91,22,444	10,373	10,24,09,887	9,806	44,67,12,557	7,508	34,95,87,230	2,298	9,71,25,327	11.39
	प्रवर्तन उप–निरीक्षक	28,213	70,51,63,050	12,290	6,99,70,300	15,923	63,51,92,750	11,710	50,08,05,579	4,213	13,43,87,171	14.93
कुल		**63,400**								**7720**	**27,17,27,284**	**12.18**
2022-23	जिला परिवहन पदाधिकारी	24,757	51,87,31,419	10,627	12,61,60,962	14,130	39,25,70,457	9,469	29,94,05,264	4,661	9,31,65,193	18.83
	मोटर वाहन निरीक्षक	28,305	60,81,87,297	11,855	10,11,37,675	16,450	50,70,49,622	10,726	35,27,04,814	5,724	15,43,44,808	20.22
	प्रवर्तन उप–निरीक्षक	39,708	87,51,35,438	12,380	5,95,98,847	27,328	81,55,36,591	16,261	54,25,72,353	11,067	27,29,64,238	27.87
कुल		**92,770**								**21452**	**52,04,74,239**	**23.12**
2023-24	जिला परिवहन पदाधिकारी	41,118	65,69,94,605	10,579	10,16,47,065	30,539	55,53,47,540	14,747	30,62,32,804	15,792	24,91,14,736	38.41
	मोटर वाहन निरीक्षक	31,783	66,87,88,898	7,378	6,02,25,586	24,405	60,85,63,312	11,734	31,56,93,383	12,671	29,28,69,929	39.87
	प्रवर्तन उप–निरीक्षक	50,089	1,08,73,47,327	14,574	5,94,20,797	35,515	1,02,79,26,530	15,751	47,16,34,961	19,764	55,62,91,569	39.46
कुल		**1,22,990**								**48,227**	**1,09,82,76,234**	**39.21**
कुल		**3,58,062**	**7,52,05,02,951**	**1,56,397**	**1,26,13,61,184**	**2,01,665**	**6,25,91,41,767**	**1,20,764**	**4,22,56,24,292**	**80,901**	**2,03,35,17,475**	**22.59**

(स्रोत : परिवहन विभाग का ई–चालान डाटाबेस)

परिशिष्ट– 26

(संदर्भः कंडिका 6.4)

लंबित ई–चालान निपटान के बिना वाहनों की रिहाई

(राशिः ₹ में)

क्र0 सं0	जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	ई–चालान की संख्या	शामिल वाहनों की संख्या	ई–चालान की अवधि		ई–चालान के माध्यम से लगाया गया जुर्माना	निपटाए गए ई–चालान की संख्या	निपटाए गए ई–चालान की राशि	लंबित ई–चालान	लंबित ई–चालान की राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	सीतामढ़ी	36	18	अगस्त 2020	जुलाई 2024	9,62,700	18	4,66,600	18	4,96,100
2	पूर्वी चंपारण	71	30	फरवरी 2020	जुलाई 2024	5,14,100	34	2,66,500	37	2,47,600
3	गोपालगंज	125	59	मार्च 2020	मई 2024	22,63,800	61	9,42,400	64	13,21,400
4	पटना	141	64	अप्रैल 2019	जुलाई 2024	72,25,024	66	35,15,212	75	37,09,812
कुल		**373**	**171**			**1,09,65,624**	**179**	**51,90,712**	**194**	**57,74,912**

(स्रोत : संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों का वाहन डाटाबेस)

परिशिष्ट– 27

(संदर्भः कंडिका 6.5)

कर और अर्थदण्ड़ का कम आरोपण और संग्रहण

(राशिः ₹ में)

क्र0 सं0	जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	जाँच की गई ई–चालान की संख्या	ई–चालान की संख्या	वाहनों की संख्या	ई–चालान करने की अवधि		वसूल किए गए कर राशि	देय राशि (बिहार प्रवेश कर के दो गुणा के बराबर और ₹5,000 से कम नहीं है के आधार पर अर्थदण्ड की गणन की गई)	कर कर राशि और जुर्माना वसूल नहीं किया गया (कॉलम 8–7)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**		**7**	**8**	**9**
1	पटना	7,472	142	108	अप्रैल 2019	जनवरी 2021	2,66,400	10,64,900	7,98,500
2	सीतामढ़ी	2,894	33	31	मई 2020	मई 2023	1,06,500	9,83,900	8,77,400
कुल		**10,366**	**175**	**139**			**3,72,900**	**20,48,800**	**16,75,900**

(स्रोत : जिला परिवहन कार्यालयों ई–चालान डाटाबेस)

परिशिष्ट– 28

(संदर्भः कंडिका 6.7.2)

जाँच चौकी पर, दूसरे और उसके बाद के अपराधों के लिए दोषी वाहन मालिकों/चालकों पर अर्थदण्ड न लगाना

(राशिः ₹ में)

जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	जाँच किए गए चालान की संख्या	चालान की संख्या	चालान जारी किया गया करने की अवधि		अधिरोपित धारा*	भुगतान किया गया अर्थदण्ड	देय अर्थदण्ड	अल्प अर्थदण्ड
1	**2**	**3**	**4**		**5**	**6**	**7**	**8**
गोपालगंज	8,775	277	फरवरी 2020	अगस्त 2024	177,179,190-1(A), 190(3),192,196	1,06,32,500	1,89,81,000	83,48,500

(स्रोत : संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों का ई–चालान डाटाबेस)

* पहले अपराध के लिए धारा 177 के तहत देय अर्थदण्ड़ = ₹500, दूसरे अपराध के लिए = ₹1,500
पहले अपराध के लिए धारा 179 के तहत देय अर्थदण्ड़ = ₹2,000, दूसरे अपराध के लिए = ₹2,000
पहले अपराध के लिए धारा 190–1(ए) के तहत देय अर्थदण्ड़ = ₹1,500, दूसरे अपराध के लिए = ₹1,500
पहले अपराध के लिए धारा 190(3) के तहत देय अर्थदण्ड़ = ₹10,000, दूसरे अपराध के लिए = ₹20,000
पहले अपराध के लिए धारा 192 के तहत देय अर्थदण्ड़ = ₹5,000, दूसरे अपराध के लिए = ₹10,000
पहले अपराध के लिए धारा 196 के तहत देय अर्थदण्ड़ = ₹2,000, दूसरे अपराध के लिए = ₹4,000

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/bihar/hi/audit-report